WDRA
Warehousing Development & Regulatory Authority

भण्डारण विकास एवं विनियामक प्राधिकरण
(भारत सरकार)

चौथी मंजिल, एनसीयूआई बिल्डिंग, 3, सिरी इंस्टीट्यूशनल एरिया, अगस्त क्रांति मार्ग, हौज खास, नई दिल्ली - 110016
दूरभाष: 011-49536496, फैक्स: 011-26515503, वेबसाइट: WWW.Wdra.gov.in

WDRA
Warehousing Development & Regulatory Authority

सत्यमेव जयते

International Year of Cooperatives
2025
Cooperatives Build a Better World

वार्षिक रिपोर्ट
2024 2025

भण्डारण विकास एवं विनियामक प्राधिकरण
भारत सरकार

WDRA
Warehousing Development & Regulatory Authority

भांडागारण विकास और विनियामक प्राधिकरण

वार्षिक रिपोर्ट

2024—25

भांडागारण विकास और विनियामक प्राधिकरण

भारत सरकार

विषय सूची

अध्याय	विवरण	पृष्ठ सं.
अध्याय 1	**सिंहावलोकन**	**9**
1.1	प्राधिकरण की स्थापना और निगमन	9
1.2	प्राधिकरण का गठन	9
1.3	संगठन	9
1.4	लक्ष्य, दूरदृष्टि और उद्देश्य	10
1.5	परक्राम्य भांडागार रसीद जारी करने वाले भांडागारों के पंजीकरण की आवश्यकता	10
1.6	प्राधिकरण की शक्तियाँ और कार्य	11
1.7	भांडागारण (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 2007 के बनने से पूर्व देश में परक्राम्य भांडागार रसीद प्रणाली की स्थिति	12
1.8	परक्राम्य भांडागार रसीदों के लाभ	12
1.9	इलेक्ट्रॉनिक परक्राम्य भांडागार रसीदें (इ–एन.डब्ल्यू.आर.)	12
1.10	इलेक्ट्रॉनिक परक्राम्य भांडागार रसीदों की प्रमुख विशिष्टताएँ	13
1.11	इ–एन.डब्ल्यू.आर. प्रणाली के लाभ	13
1.12	प्राधिकरण की रूपान्तरण योजना	14
1.13	प्राधिकरण की बैठक	14
1.14	भांडागारण परामर्शदात्री समिति (डबल्यू.ए.सी.) की बैठक	14
1.15	प्राधिकरण की वैबसाइट	14
1.16	विज्ञापन एवं प्रचार	14
1.17	जागरूकता, प्रशिक्षण तथा आउटरीच कार्यक्रम	15
1.18	क्रेडिट गारंटी स्कीम का शुभारंभ	16
अध्याय II.	**कृषि विपणन एवं भांडागारण से संबंधित नीति तथा कार्यक्रमों की समीक्षा**	**17**
2.1	भूमिका	17
2.2	खाद्यान्नों का उत्पादन	17
2.3	अन्य प्रमुख कृषि फसलों का उत्पादन	19

अध्याय	विवरण	पृष्ठ सं.
2.4	कुछ महत्वपूर्ण कृषि उत्पादों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य	19
2.5	केंद्रीय पूल के लिए भारतीय खाद्य निगम द्वारा खाद्यान्नों की खरीद	21
2.6	गत तीन वर्षों के में गेहूँ तथा चावल की खरीद	22
2.7	दालों तथा तिलहनों की खरीद	22
2.7.1	मूल्य समर्थन योजना (पी.एस.एस.)	23
2.7.2	बाजार हस्तक्षेप योजना (एम.आई.एस.)	23
2.7.3	मूल्य न्यूनता भुगतान योजना (पी.डी.पी.एस.)	24
2.8	भारत में भांडागारण क्षमता की वर्तमान स्थिति	26
2.9	भांडागारण क्षमता में वृद्धि	27
2.9.1	कृषि विपणन अवसंरचना (ए.एम.आई.)	27
2.9.2	निजी उद्यमी गारंटी योजना	29
2.9.3	साइलो का निर्माण	29
2.9.4	केंद्रीय सैक्टर (पूर्व योजना) स्कीम	29
2.10	सहकारिता क्षेत्र में भांडागारण क्षमता	30
2.11	राष्ट्रीय कृषि मंडी (ई–एन.ए.एम.)	30
2.12	मॉडल राज्य/संघ राज्य क्षेत्र कृषि उत्पाद तथा पशुधन विपणन (संवर्द्धन एवं सुगमता) अधिनियम, 2017	31
2.13	फसल कटाई के बाद फसल ऋणों पर ब्याज सहायता योजना	32
2.14	प्राथमिकता क्षेत्र ऋण के लिए भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्य निर्देश	33
2.15	भांडागारण विकास और विनियामक प्राधिकरण द्वारा अधिसूचित वस्तुएँ	33
अध्याय III.	**भांडागारण विकास और विनियामक प्राधिकरण की कार्य प्रणाली की समीक्षा**	**41**
3.1	प्राधिकरण द्वारा हाल में की गई पहल	41
3.1.1	भांडागार पंजीकरण नियमों में संशोधन तथा अन्य अपडेट	43
3.1.2	आवेदन शुल्क आवश्यकताएँ	45
3.1.3	पंजीकरण के लिए न्यूनतम नेटवर्थ आवश्यकता	46
3.1.3.1	संसद या राज्य विधानमंडल के अधिनियम के तहत बनाई गई किसी इकाई के लिए न्यूनतम निवल मूल्य आवश्यकताओं में छूट	47
3.1.4	पाँच वर्ष से कम अवधि के लिए भांडागारों का पंजीकरण	47
3.1.5	प्रतिभूति जमा	48

अध्याय	विवरण	पृष्ठ सं.
3.1.6	प्राथमिक कृषि सहकारी समितियों / किसान उत्पादक संगठनों के स्वामित्व वाले भांडागारों के लिए विशेष छूट	50
3.1.7	छोटे भांडागारों के लिए छूट	52
3.2	भांडागारों के पंजीकरण के लिए ऑनलाइन आवेदन का क्रियान्वयन	52
3.2.1	ऑनलाइन आवेदन के साथ अपलोड किए जाने वाले दस्तावेज़	53
3.3	इलेक्ट्रॉनिक परक्राम्य भांडागार रसीदों के संबंध में अधिसूचना	54
3.4	भांडागार रसीद/स्टॉक रसीद की तुलना में इलेक्ट्रॉनिक परक्राम्य भांडागार रसीद के लाभ	54
3.5	पंजीकृत भांडागारों द्वारा इ–एन.डब्ल्यू.आर. जारी करना अनिवार्य	56
3.6	भांडागारों का पंजीकरण	56
3.7	प्राथमिक कृषि सहकारी समितियों के भांडागारों के पंजीकरण की प्रगति	60
3.8	भांडागारों के पंजीकरण का ऑनलाइन नवीनीकरण	60
3.9	भांडागारों की निगरानी और निरीक्षण	60
3.10	निरीक्षण एजेंसियों के पैनलीकरण और भांडागारों के निरीक्षण पर दिशानिर्देश	61
3.11	पैनलबद्ध निरीक्षण एजेंसियों का विवरण	62
3.12	निरीक्षण एजेंसियों को शुल्क का भुगतान	63
3.13	2024–25 के दौरान निरीक्षण अधिकारियों का प्रशिक्षण और जोड़ा जाना	63
3.14	भांडागारों का स्टॉक निरीक्षण	64
3.15	डब्ल्यू.डी.आर.ए. के साथ रेपॉजिटरी का पंजीकरण	64
3.16	इ–एन.डब्ल्यू.आर. का ई–एनएएम प्लेटफॉर्म के साथ एकीकरण	66
3.17	भांडागारण क्षेत्र में कौशल विकास कार्यक्रम	67
3.17.1	भांडागारण (विकास और विनियमन) अधिनियम, 2007 और एन.डब्ल्यू.आर. /इ–एन.डब्ल्यू.आर. प्रणाली के लाभों पर किसानों के लिए जागरूकता कार्यक्रम	67
3.17.2	भांडागारपाल/भांडागार प्रबंधकों का प्रशिक्षण	71
3.17.3	परख प्रशिक्षण कार्यक्रम	73
3.18	आउटरीच कार्यक्रमों, संगोष्ठियों का आयोजन और समझौता ज्ञापनों का निष्पादन	75
3.18.1	आउटरीच कार्यक्रम	75

अध्याय	विवरण	पृष्ठ सं.
IV.	**गिरवी वित्त**	**77**
4.1	परिचय	77
4.2	ब्याज सहायता	77
4.3	रेपोजिटरी सिस्टम पर गिरवी प्रक्रिया	77
4.4	रेपोजिटरी के साथ बैंकों को शामिल करना	77
4.5	गिरवी वित्त को बढ़ावा देने के लिए आउटरीच कार्यक्रम	78
4.6	बैंकों के साथ बैठकें	82
4.7	बैंकों के साथ समझौता ज्ञापन	82
4.8	गिरवी वित्त को बढ़ावा देने के लिए मंत्रालयों द्वारा पहल	82
4.9	गिरवी वित्त को बढ़ावा देने के लिए बैंकों द्वारा की गई पहल	82
4.10	गिरवी वित्त की वृद्धि	83
V.	**डब्ल्यू.डी.आर.ए. की उपलब्धियां**	**86**
5.1	इ–एन.डब्ल्यू.आर. आधारित गिरवी वित्त पर ऋण गारंटी योजना	86
5.2	वित्तीय वर्ष 2024–25 के लिए डब्ल्यू.डी.आर.ए. की महत्वपूर्ण उपलब्धियां/गतिविधियां	88
5.3	डब्ल्यू.डी.आर.ए. द्वारा किए गए सुधार	89
5.4	प्रदर्शनी /मेला	92
VI.	**वित्तीय प्रदर्शन सहित डबल्यू.डी.आर.ए. के संगठनात्मक मामले**	**94**
6.1	डब्ल्यू.डी.आर.ए. के संगठनात्मक मामले	94
6.2	प्राधिकरण में सतर्कता संबंधी कार्य	95
6.3	प्राधिकरण में सूचना का अधिनियम, 2005 का क्रियान्वयन	95
6.4	राजभाषा क्रियान्वयन	95
6.5	स्वच्छता पखवाड़े का आयोजन	96
6.6	प्राधिकरण के कार्मिकों का प्रशिक्षण	106
6.7	वर्ष 2024–25 के लिए प्राधिकरण के लेखापरीक्षित खाते	107
	वित्तीय वर्ष 2024–2025 के लिए वार्षिक लेखा विवरण	108–156

वार्षिक रिपोर्ट 2024–25 के लिए अध्यक्ष का वक्तव्य

यह मेरा सौभाग्य है कि मुझे भांडागारण विकास और विनियामक प्राधिकरण (डब्ल्यू.डी.आर.ए.) की वार्षिक रिपोर्ट 2024-25 को संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष प्रस्तुत करने का अवसर प्राप्त हुआ है। रिपोर्ट में भांडागारण (विकास और विनियमन) वार्षिक रिपोर्ट और विवरणी नियम, 2010 के प्रावधानों के अंतर्गत केंद्र सरकार को प्रेषित की जाने वाली आवश्यक सूचनाएँ सम्मिलित हैं। रिपोर्ट में वर्ष के दौरान प्राधिकरण द्वारा चलाई गई विभिन्न गतिविधियों तथा मुद्दों पर की गई पहलों का विवरण भी दिया गया है।

वर्ष 2024-25 में, 116.02 लाख मीट्रिक टन क्षमता के 1681 भांडागार पंजीकृत किए गए। इलेक्ट्रॉनिक परक्राम्य भांडागार रसीदों (इ-एन.डब्ल्यू.आर.) के विरुद्ध गिरवी वित्त बढ़कर 4271.61 करोड़ रुपये हो गया। डब्ल्यू.डी.आर.ए. ने अपनी क्षमता और कुशलता में वृद्धि के लिए 16 भांडागारपाल प्रशिक्षण कार्यक्रम (डब्ल्यू.टी.पी.) और किसानों एवं जमाकर्ताओं के बीच प्राधिकरण और इ-एन.डब्ल्यू.आर. के संबंध में जानकारी प्रदान करने के लिए 212 किसान जागरूकता कार्यक्रम (एफ.ए.पी.) आयोजित किए। इसके अतिरिक्त, डब्ल्यू.डी.आर.ए. द्वारा भांडागारों में परख प्रक्रियाओं/कार्यप्रणालियों में सुधार हेतु पंजीकृत भांडागारों के हितधारकों/नामित व्यक्तियों को वस्तुओं की परख पर प्रशिक्षण देने हेतु 20 परखकर्ता प्रशिक्षण कार्यक्रम भी आयोजित किए गए।

इलेक्ट्रॉनिक परक्राम्य भांडागार रसीदों के लाभों, सुरक्षित वैज्ञानिक भंडारण प्रणालियों, इ-एन.डब्ल्यू.आर. के विरुद्ध ऋण और डब्ल्यू.डी.आर.ए. पारिस्थितिकी तंत्र के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए देश के विभिन्न भागों में कई आउटरीच कार्यक्रम आयोजित किए गए।

माननीय केंद्रीय उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण तथा नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री, श्री प्रल्हाद जोशी ने 16 दिसंबर, 2024 को नई दिल्ली स्थित भारत मंडपम में इ-एन.डब्ल्यू.आर. आधारित गिरवी वित्त (सीजीएस-एनपीएफ) के लिए ऋण गारंटी योजना का शुभारंभ किया। यह योजना किसानों को भांडागारण विकास और विनियामक प्राधिकरण (डब्ल्यू.डी.आर.ए.) से मान्यता प्राप्त भांडागारों में माल जमा करने के बाद प्राप्त इलेक्ट्रॉनिक परक्राम्य भांडागार रसीदों (इ-एन.डब्ल्यू.आर.) के आधार पर फसलोत्तर वित्त के लिए 1,000 करोड़ रुपये का कोष प्रदान करती है।

सभी नीतिगत पहलों और संगठनात्मक गतिविधियों में व्यापार सुगमता को आधार बनाया गया है। इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए, जहाँ भी आवश्यक हुआ, संबंधित नियमों में संशोधन किए गए हैं।

रिपोर्ट में वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए लेखापरीक्षित वार्षिक लेखा विवरण तथा भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की रिपोर्ट भी शामिल है।

डब्ल्यू.डी.आर.ए. द्वारा की गई विभिन्न पहलों को देखते हुए मुझे विश्वास है कि आने वाले समय में प्राधिकरण अपने सभी हितधारकों को और बेहतर ढंग से सेवा प्रदान करने में सक्षम होगा।

अनीता

अनीता प्रवीण
(अध्यक्ष)

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 06/10/2025

अध्याय 1

सिंहावलोकन

1.1 प्राधिकरण की स्थापना और निगमन

भांडागारण विकास और विनियामक प्राधिकरण (भा.वि.वि.प्रा.) (जिसे आगे प्राधिकरण कहा गया है) का गठन भारत सरकार द्वारा भांडागारण (विकास और विनियमन) अधिनियम, 2007 (जिसे आगे अधिनियम कहा गया है) की धारा 24 के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अधिनियम को क्रियान्वित करने तथा इसके तहत दिये गए कार्यों को निष्पादित करने के लिए 26 अक्टूबर 2010 को किया गया था।

प्राधिकरण का मुख्यालय नई दिल्ली में है। वर्तमान में, इसका किसी अन्य स्थान पर कोई कार्यालय नहीं है। तथापि, अधिनियम की धारा 24 में यह भी प्रावधान है कि प्राधिकरण, केंद्र सरकार के पूर्व अनुमोदन से भारत में अन्य स्थानों पर कार्यालय स्थापित कर सकता है।

1.2 प्राधिकरण का गठन

प्राधिकरण, केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त एक अध्यक्ष तथा दो पूर्णकालिक सदस्यों द्वारा गठित है। अधिनियम में प्रावधान है कि अध्यक्ष एवं प्रत्येक सदस्य, अपना पद ग्रहण करने की तारीख से, पाँच वर्ष से अनधिक अवधि तक पद धारण करेगा तथा पुनर्नियुक्ति का पात्र होगा लेकिन कोई व्यक्ति पैंसठ वर्ष की आयु प्राप्त कर लेने के पश्चात ऐसे अध्यक्ष या अन्य सदस्य के रूप में पद धारण नहीं करेगा।

वर्ष 2024–25 में प्राधिकरण के अध्यक्ष और सदस्यों की सूची नीचे दी गई है:

नाम	कार्य–अवधि
सुश्री अनीता प्रवीण, अध्यक्ष	05.12.2024 से
श्री टी.के. मनोज कुमार, अध्यक्ष	22.11.2021 से 21.11.2024 तक
श्री अरुण कुमार श्रीवास्तव, सदस्य	14.12.2022 से
श्री एस.एल. जैन, सदस्य	24.03.2025 से
श्री मुकेश कुमार जैन, सदस्य	23.03.2022 से 22.03.2025 तक 22.11.2024 से 04.12.2024 तक (अध्यक्ष–प्रभारी)

1.3 संगठन

प्राधिकरण में 31 मार्च, 2025 को स्वीकृत स्टाफ तथा कार्यरत स्टाफ की संख्या रिपोर्ट के अध्याय–**VI** में दी गई है।

1.4 लक्ष्य, दूरदृष्टि और उद्देश्य

प्राधिकरण का लक्ष्य पूरे देश में पंजीकृत भांडागारों के नेटवर्क के माध्यम से कृषि उत्पादों सहित सभी वस्तुओं के लिए परक्राम्य भांडागार रसीद प्रणाली स्थापित करना, परक्राम्य भांडागार रसीदों को व्यापार के एक प्रमुख साधन के रूप में विकसित करना तथा रसीद के विरूद्ध ऋण प्राप्त करने की प्रक्रिया को सरल तथा सुविधाजनक बनाने सहित बैंकों को अपने ऋण पोर्टफोलियो की गुणवत्ता में सुधार का अवसर प्रदान करना एवं पंजीकृत भांडागारों में जमा की गयी वस्तुओं के विरुद्ध ऋण देने में उनकी रुचि में वृद्धि करना है। इससे वस्तुओं का वैज्ञानिक भंडारण, ग्रामीण क्षेत्रों में लिक्विडीटी में वृद्धि, आपूर्ति श्रृंखलाओं को बेहतर बनाने, माल की ग्रेडिंग तथा गुणवत्ता में सुधार तथा जमाकर्ताओं के लिए उच्च प्रतिलाभ सुनिश्चित हो सकेगा।

25 अक्टूबर, 2010 को अधिनियम के लागू होने पर देश में परक्राम्य भांडागार रसीद प्रणाली शुरू हुई। अधिनियम के प्रमुख उद्देश्य इस प्रकार हैं:

(i) अधिनियम के प्रावधानों को लागू करने के लिए भांडागार विकास एवं विनियामक प्राधिकरण (भा.वि.वि.प्रा.) की स्थापना करना।

(ii) कृषि एवं बागवानी वस्तुओं सहित सभी वस्तुओं के लिए परक्राम्य भांडागार रसीद प्रणाली शुरू करना।

(iii) परक्राम्य भांडागार रसीद जारी करने के लिए भांडागारों का पंजीकरण एवं विनियमन करना।

(iv) परक्राम्य भांडागार रसीद जारी करने वाले भांडागारों के विनियमन के लिए आवश्यक प्रशासनिक आधार और वैधानिक समर्थन प्रदान करना।

(v) भांडागार रसीद की परक्राम्यता में आने वाली बाधाओं को दूर करना तथा जमाकर्ताओं तथा बैंकों का न्यासी विश्वास बढ़ाने के लिए कानूनी समर्थन प्रदान करना।

(vi) भांडागारपालों द्वारा कुप्रबंधन तथा धोखाधड़ी अथवा जमाकर्ताओं के दिवालियेपन को रोकना।

(vii) परक्राम्य भांडागार रसीद को व्यापार के प्रमुख साधन के रूप में विकसित करने सहित इसके विरुद्ध बैंकों द्वारा ऋण पोर्टफोलियो की गुणवत्ता में सुधार तथा पंजीकृत भांडागार में जमा की गयी वस्तुओं के विरुद्ध ऋण देने में उनकी रुचि में वृद्धि करना है।

1.5 परक्राम्य भांडागार रसीद जारी करने वाले भांडागारों के पंजीकरण की आवश्यकता

अधिनियम की धारा 3 में प्रावधान किया गया है कि कोई व्यक्ति, जो भांडागारण के कारोबार में संलग्न है तथा परक्राम्य भांडागार रसीद जारी करता है, उसे प्राधिकरण से अपने भांडागार पंजीकृत कराना होगा। ऐसे भांडागार जिसके द्वारा परक्राम्य रसीद जारी करना प्रस्तावित नहीं है, उन्हें भांडागार पंजीकृत करवाने की आवश्यकता नहीं है। इस प्रकार वे भांडागार जो परक्राम्य भांडागार

रसीद जारी करने के इच्छुक नहीं है, उनके लिए भांडागारों को प्राधिकरण के पास पंजीकरण कराना अनिवार्य नहीं है।

1.6 प्राधिकरण की शक्तियाँ और कार्य

अधिनियम की धारा 35 में प्राधिकरण की शक्तियों तथा कार्यों का प्रावधान है। प्राधिकरण अधिनियम के विभिन्न प्रावधानों के विनियमन और क्रियान्वयन एवं भांडागारण व्यवसाय के सुचारु विकास के लिए अधिकृत है। प्राधिकरण की शक्तियों और कार्यों में निम्नलिखित शामिल हैं:

i. भांडागारपालों के लिए निर्धारित अपेक्षाएँ पूरी करने वाले आवेदकों को भांडागारों के संबंध में पंजीकरण प्रमाण पत्र जारी करना या पंजीकरण का नवीनीकरण करना, उपांतरित करना, वापस लेना, निलंबित करना या रद्द करना;

ii. भांडागारपालों तथा भांडागारण व्यवसाय में संलग्न कर्मचारियों के लिए अर्हताएँ, आचार संहिता और व्यावहारिक प्रशिक्षण विनिर्दिष्ट करना;

iii. भांडागार में जमा माल को गिरवी रखने की प्रक्रिया, प्रभारों के सृजन और उसके प्रवर्तन को विनियमित करना;

iv. भांडागार व्यवसाय के संचालन में कुशलता को बढ़ावा देना;

v. माल की श्रेणीकरण के लिए प्रमाणकर्ता एजेंसियों के अनुमोदन हेतु मानक निर्धारित करने के लिए विनियम बनाना;

vi. भंडारण व्यवसाय से जुड़े पेशेवर संगठनों को बढ़ावा देना;

vii. इस अधिनियम के उपबंधों को क्रियान्वित करने के लिए शुल्कों और अन्य दर अवधारित करना और उनका उदग्रहण करना;

viii. भांडागारों, प्रत्यायन एजेंसियों और भांडागारण के कारोबार से संबंध अन्य संगठनों से सूचना मांगना, उनका निरीक्षण करना, जांच और अन्वेषण करना जिसमें अंतर्गत उनकी संपरीक्षा भी शामिल है;

ix. ऐसी दरों, लाभों, निबंधन एवं शर्तों को विनियमित करना जो भांडागारण कारोबार के संबंध में भांडागारपालों द्वारा प्रतिस्थापित की जाएं;

x. विनियमों द्वारा वह प्ररूप और रीति विनिर्दिष्ट करना जिनके अंतर्गत लेखाबहियाँ रखी जाएंगी और भांडागारपालों द्वारा लेखा विवरण दिए जाएंगे;

xi. मध्यस्थों का पैनल रखना और भांडागारों और भांडागार रसीदधारकों के बीच विवादों में ऐसे पैनल से मध्यस्थों को नामनिर्दिष्ट करना;

xii. भांडागारों में जमा प्रतिमोच्य (फंजीबल) वस्तुओं के रख–रखाव एवं हस्तांतरण के क्रेडिट शेष के लिए इलेक्ट्रॉनिक प्रणाली विनियमित एवं विकसित करना;

xiii. पंजीकृत भांडागार में कृषि वस्तुओं के भंडारण के लिए आरक्षित रखे जाने वाले स्थान व न्यूनतम प्रतिशत निर्धारित करना;

xiv. भांडागारपाल के कर्तव्यों और दायित्वों को निर्दिष्ट करना;

xv. ऐसी शक्तियों का प्रयोग करना तथा ऐसे कार्य करना जो विहित किए जाएँ।

1.7 भांडागारण (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 2007 के बनने से पूर्व देश में परक्राम्य भांडागार रसीद प्रणाली की स्थिति

भांडागारण (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 2007 अधिनियमित होने से पूर्व भांडागार रसीदों के लिए जमाकर्ताओं तथा बैंकों के पास न्यासी ट्रस्ट नहीं था। भांडागारपाल द्वारा छल–कपट अथवा कुप्रबंधन अथवा जमाकर्ता के दिवालियापन की स्थिति में ऋण की वसूली न होने का भय बना रहता था। उपलब्ध कानूनी उपचार अपर्याप्त थे तथा उनमें समय लगता था। इसके अतिरिक्त परक्राम्य भांडागार रसीद का प्रारूप एक समान नहीं था। अतः परक्राम्य भांडागार रसीदों की परक्राम्यता में अड़चनें होने के कारण किसानों तथा समान के जमाकर्ताओं के सामने काफी कठिनाइयाँ थी। इन कठिनाइयों को दूर करने के लिए, कृषि वस्तुओं सहित सभी वस्तुओं के लिए एक परक्राम्य भांडागार रसीद प्रणाली स्थापित करने पर प्रस्ताव किया गया।

1.8 परक्राम्य भांडागार रसीदों के लाभ

(i) ग्रामीण क्षेत्रों में नकदी में वृद्धि;

(ii) वस्तुओं का वैज्ञानिक भंडारण, जिसके फलस्वरूप फसल कटाई के बाद होने वाली हानियों में कमी;

(iii) वित्तपोषण की लागत में कमी;

(iv) लघु तथा अपेक्षाकृत कुशल आपूर्ति श्रृंखलाएं;

(v) मानक अनुभाग, श्रेणीकरण और गुणवत्ता के लिए अधिक प्रतिफल;

(vi) बेहतर मूल्य जोखिम प्रबंधन;

(vii) किसानों को अपेक्षाकृत अधिक लाभ और उपभोक्ताओं को बेहतर सेवाएं (सामान की गुणवत्ता)।

1.9 इलेक्ट्रॉनिक परक्राम्य भांडागार रसीदें (इ–एन.डब्ल्यू.आर.)

अधिनियम की धारा 11 के अनुसार, भांडागार रसीद लिखित में अथवा इलेक्ट्रॉनिक रूप में हो सकती है। इसके अतिरिक्त, अधिनियम की धारा 2 के अनुसार, भांडागार रसीद को भांडागारपाल अथवा उसके विधिवत प्राधिकृत प्रतिनिधि (रेपोजिटरी सहित जो भी नाम दिया गया हो) द्वारा भंडारित माल के लिए, जिसका मालिकाना हक भांडागारपाल के पास नहीं है, लिखित में अथवा इलेक्ट्रॉनिक प्रारूप में प्राप्ति के रूप में परिभाषित किया गया है।

केंद्र सरकार के पूर्व अनुमोदन तथा भांडागारण परामर्शदायी समिति (वेअरहाउसिंग एडवाइजरी कमेटी) की सलाह से प्राधिकरण द्वारा इलेक्ट्रॉनिक परक्राम्य भांडागार रसीदों के संबंध में 29 जून, 2017 को भांडागारण विकास और विनियामक प्राधिकरण (इलेक्ट्रॉनिक नेगोशिएबल वेयरहाउस रसीद) विनियम, 2017 जारी किए गए। इस विनियमों के अंतर्गत जमा माल के विरुद्ध रेपोजिटरी प्रणाली के माध्यम से पंजीकृत भांडागारों द्वारा इलेक्ट्रॉनिक परक्राम्य भांडागार रसीद (ई–एन.डब्ल्यू. आर.) जारी की जाती है।

प्राधिकरण ने 26 सितंबर, 2017 को इलेक्ट्रॉनिक परक्राम्य भांडागार रसीद (इ–एन.डब्ल्यू.आर.) प्रक्रिया का शुभारंभ किया। इलेक्ट्रॉनिक रसीदें रेपोजिटरी प्रणाली द्वारा पंजीकृत भांडागारों द्वारा जारी की जाती हैं। प्राधिकरण द्वारा यह भी अधिसूचित किया गया है कि 1 अगस्त, 2019 से सभी पंजीकृत भांडागार केवल इलेक्ट्रॉनिक प्रारूप में परक्राम्य भांडागार रसीद जारी करेंगे।

1.10 इलेक्ट्रॉनिक परक्राम्य भांडागार रसीदों की मुख्य विशिष्टताएँ

(i) इ–एन.डब्ल्यू.आर. केवल इलेक्ट्रॉनिक प्रारूप में उपलब्ध है।

(ii) इ–एन.डब्ल्यू.आर. का एकमात्र स्रोत रेपोजिटरी प्रणाली है जहां पंजीकृत भांडागारों द्वारा इ–एन. डब्ल्यू.आर. जारी की जाती है।

(iii) रेपोजिटरी प्रणाली द्वारा गोपनीयता, सत्यनिष्ठा तथा इ–एन.डब्ल्यू.आर. में उपलब्ध सूचना रेपोजिटरी प्रणाली द्वारा प्रदान की जाती है।

(iv) इ–एन.डब्ल्यू.आर. की वैधता की एक समय सीमा है।

(v) सभी इ–एन.डब्ल्यू.आर. का ऑफ–मार्केट अथवा कमोडिटी एक्सचेंज प्लेटफॉर्मों पर ऑन–मार्केट व्यापार किया जा सकता है।

(vi) कुछ विशिष्ट परिस्थितियों में जैसे ऋण न चुकाना, समाप्ति, डिलीवरी न लेना तथा भांडागार में माल में क्षति तथा उसके खराब होने की स्थिति में इ–एन.डब्ल्यू.आर. की नीलामी की जा सकती है।

(vii) इ–एन.डब्ल्यू.आर. को सम्पूर्ण अथवा भाग में हस्तांतरित किया जा सकता है।

1.11 इ–एन.डब्ल्यू.आर. प्रणाली के लाभ

(i) भांडागार रसीद में धोखाधड़ी/खोने/छेड़छाड़/विकृति से बचाव।

(ii) एक समान भांडागार रसीद के विरुद्ध एक से अधिक वित्तपोषण से बचाव।

(iii) मॉनिटरिंग लागत में कमी तथा बाजार भागीदारों में विश्वसनीयता बढ़ना।

(iv) बाजार भागीदारों तक सुगम पहुँच, जिसके फलस्वरूप वे ऑनलाइन पोर्टल पर अपनी भांडागार रसीद को देख सकते हैं एवं तदनुसार प्रबंधन कर सकते हैं।

(v) समान के भौतिक रूप में संचलन के बिना अधिक संख्या में हस्तांतरण, जिससे वित्तपोषण हेतु सुगम पहुँच।

(vi) अंशतः बिक्री/गिरवी/वापसी के लिए परक्राम्य भांडागार रसीद के विखंडन की सुविधा।

1.12 प्राधिकरण की रूपान्तरण योजना

प्राधिकरण ने केंद्र सरकार के अनुमोदन तथा खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग, आर्थिक कार्य विभाग, भारत सरकार तथा राष्ट्रीय लोक वित्त एवं नीति संस्थान (एनआईपीएफपी) के सहयोग से एक रूपान्तरण योजना शुरू की थी जिसके अंतर्गत अन्य के साथ–साथ प्राधिकरण के पास पंजीकृत भांडागारों द्वारा जारी की जाने वाली इ–एन.डब्ल्यू.आर. के सृजन तथा प्रबंधन के लिए लाइसेन्स प्राप्त रेपोजिटरी के माध्यम से एक इ–एन.डब्ल्यू.आर. प्रणाली की स्थापना पर विचार किया गया।

1.13 प्राधिकरण की बैठक

रिपोर्ट वर्ष में प्राधिकरण की दस बैठकें 28 मई 2024, 20 जून 2024, 29 जुलाई 2024, 13 सितम्बर 2024, 04 अक्तूबर 2024, 22 अक्तूबर 2024, 20 नवंबर 2024, 24 जनवरी 2025, 25 फरवरी 2025 और 10 मार्च 2025 को आयोजित की गईं।

1.14 भांडागारण परामर्शदात्री समिति (डबल्यू.ए.सी.) की बैठक

वर्ष 2024–25 के दौरान, भांडागारण परामर्शदात्री समिति (डब्ल्यू.ए.सी.) की दो बैठकें 30 जुलाई, 2024 और 8 अक्टूबर, 2024 को आयोजित की गईं जिसमें डबल्यू.डी.आर.ए. के संगठनात्मक अध्ययन पर एनपीसी की रिपोर्ट तथा प्राधिकरण में विभिन्न कर्मचारी लाभ के मामलों पर चर्चा की गई।

1.15 प्राधिकरण की वेबसाइट

प्राधिकरण के गठन, कार्यों तथा गतिविधियों संबंध में समस्त सूचनाएँ इसकी वैबसाइट https://wdra-gov-in पर उपलब्ध है। नियमों तथा विनियमों के संबंध में विभिन्न अधिसूचनाएँ, परिपत्र, दिशानिर्देश, रिक्तियों का विज्ञापन, निविदाएँ आदि नियमित रूप से वैबसाइट पर अपलोड की जाती हैं। पंजीकरण प्रक्रिया से संबंधित सूचनाएँ भी वैबसाइट पर उपलब्ध कराई जाती है। प्राधिकरण के पास पंजीकृत भांडागारों को भी वैबसाइट पर देखा जा सकता है और नियमित रूप से अद्यतन की जाती है। प्राधिकरण ने अपनी वेबसाइट हिंदी में भी विकसित की है।

1.16 विज्ञापन एवं प्रचार

डबल्यू.डी.आर.ए. ने वर्ष 2024–25 में अपने सभी हितधारकों को सक्रिय रूप में शामिल कर अपनी आउट रिच को विस्तार देने के लिए वैज्ञानिक भंडारण के प्रति जागरूकता बढ़ाने, परक्राम्य भांडागार रसीदों (एन.डब्ल्यू.आर.) तथा इलेक्ट्रॉनिक परक्राम्य भांडागार रसीदों (इ–एन.डब्ल्यू.आर.) के लाभों को प्रचारित करने के लिए एक विस्तृत प्रचार एवं विज्ञापन अभियान चलाया। इस उद्देश्य के लिए

डबल्यू.डी.आर.ए. ने भांडागार प्रचालकों, कृषक संघों तथा बैंकों तक अभियान का संदेश पहुंचाने सहित किसानों को फसल कटाई के उपरांत ऋणों के लिए ई–किसान उपज निधि प्लेटफॉर्म एवं इ–एन.डब्ल्यू.आर. आधारित क्रेडिट गारंटी स्कीम का लाभ उठाने के लिए बैंकों आदि को प्रोत्साहित किया गया ताकि वे इ–एन.डब्ल्यू.आर. के विरुद्ध ऋण प्रदान करने के क्षेत्र में और आगे आ सकें।

प्राधिकरण ने निम्नलिखित सूचनात्मक वीडियो तैयार किए तथा अपनी वैबसाइट **(https://wdra.gov.in/web/wdra/video-spots)** तथा यू–ट्यूब पर डाले तथा उन हितधारकों से अपने–अपने नेटवर्कों पर प्रसारित करने हेतु आग्रह किया:

- *ई–किसान उपजनिधि :* यह एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के संबंध में सूचना देता है कि किस प्रकार डबल्यू.डी.आर.ए. द्वारा पंजीकृत भांडागारों में अपनी उपज भंडारित कर बैंकों से फसल कटाई उपरांत ऋण ले सकते हैं।
- *इ–एन.डब्ल्यू.आर.आधारित गिरवी ऋण पर क्रेडिट गारंटी स्कीम* : इसमें इ–एन.डब्ल्यू.आर. के विरुद्ध गिरवी वित्त प्रदान करने के लिए सरकार की पहल को प्रमुखता से दिखाया गया है।
- *भांडागारों में कीट–नियंत्रण* : यह प्रभावी कीट नियंत्रण द्वारा भंडारित कृषि उत्पादों की गुणवत्ता तथा सुरक्षा के संबंध में मार्गदर्शन प्रदान करता है।
- *आजादी का अमृत महोत्सव* : कृषि आपूर्ति श्रृंखला को सशक्त बनाने के लिए भांडागार पंजीकरण तथा इ–एन.डब्ल्यू.आर. के महत्व पर बल देता है।
- *सुरक्षित भण्डारण – समृद्ध किसान* : किसानों की समृद्धि हेतु नियंत्रण तथा ऋण सुविधा को प्रचारित कर सुरक्षित भंडारण प्रक्रियाओं को बढ़ावा देने के लिए तैयार किया गया है।
- *डब्ल्यू.डी.आर.ए. इ–परक्राम्य भांडागार रसीद* : इसमें इ–एन.डब्ल्यू.आर. की उपयोगिता तथा लाभों को स्पष्ट किया गया है। यह हिन्दी तथा काफी प्रादेशिक भाषाओं में उपलब्ध है।

डब्ल्यू.डी.आर.ए. ने हितधारकों को जोड़ने के लिए एक्स, इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप सहित सोशल मीडिया प्लेटफॉर्मों का लाभ भी उठाया है। हितधारकों ने वर्चुअल तथा व्यक्तिगत रूप से कार्यशालाओं और वेबिनारों में भाग लिया तथा उन्हें डबल्यू.डी.आर.ए. पहलों के संबंध में अपने समुदायों में बताने के लिए प्रशिक्षित किया गया। दूरदर्शन (डीडी) नेशनल, डीडी न्यूज़ तथा डीडी किसान चैनलों पर स्पॉट वीडियो भी टेलिकास्ट किए गए। इन सामूहिक प्रयासों से डबल्यू.डी.आर.ए. की पहुँच बढ़ी तथा वित्तीय वर्ष 2024–25 में वैज्ञानिक भंडारण, वित्तीय समावेशन तथा सशक्त कृषि इकोसिस्टम के प्रति प्राधिकरण की प्रतिबद्धता को बल मिला।

1.17 जागरूकता, प्रशिक्षण तथा आउटरीच कार्यक्रम

प्राधिकरण प्रशिक्षण, जागरूकता तथा आउटरीच के उद्देश्य से विभिन्न हितधारकों के लिए विभिन्न कार्यक्रम आयोजित करता है। इनमें किसानों/व्यापारियों के लिए किसान जागरूकता कार्यक्रम (एफ.ए.पी.), भांडागारपाल भांडागार प्रबन्धकों प्रशिक्षण कार्यक्रम एवं विभिन्न हितधारकों जैसे बैंकर्स,

व्यापारियों, कमोडिटी एक्सचेंजों, राज्य सरकारों आदि के लिए आउटरीच कार्यक्रम शामिल हैं। वर्ष 2022–23 को प्राधिकरण ने पंजीकृत भांडागारों के नामित व्यक्तियों द्वारा वस्तुओं की परख पर प्रशिक्षण प्रदान करना शुरू किया है ताकि योग्यता प्राप्त परखकर्ताओं का एक बैंड तैयार होने सहित भांडागारों में परख प्रक्रिया/पद्धति में सुधार हो तथा यह इ–एन.डब्ल्यू.आर. से जुड़े विभिन हितधारकों को भी स्वीकार्य हो। अच्छी परख पद्धति से जमाकर्ताओं के साथ–साथ इ–एन.डब्ल्यू.आर. धारकों में भी विश्वास बढ़ेगा। वर्ष 2024–25 में आयोजित ऐसे कार्यक्रमों का विवरण अध्याय–III में दिया गया है।

1.18 क्रेडिट गारंटी स्कीम का शुभारंभ

इ–एन.डब्ल्यू.आर. आधारित वित्त के लिए भारत सरकार द्वारा क्रेडिट गारंटी स्कीम अनुमोदित की गयी। तत्पश्चात, माननीय उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण तथा नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री श्री प्रल्हाद जोशी ने 16.12.2024 को भारत मंडपम, नई दिल्ली में इसका शुभारंभ किया। इस योजना के लिए लघु एवं सीमांत किसानों/महिलाओं/अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/दिव्यांग किसानों, अन्य किसानों, मध्याम एवं लघु उद्योगों, व्यापारियों, किसान उत्पादक संगठनों तथा किसान सहकारी समितियों के लिए डब्ल्यू.डी.आर.ए. द्वारा मान्यता प्राप्त भांडागारों में अपना समान भंडारित कराने के पश्चात प्राप्त द्वारा इलेक्ट्रॉनिक परक्राम्य भांडागार रसीद के विरुद्ध फसल बाद वित्त प्रदान कराने के लिए 1,000 करोड़ रुपये की निधि उपलब्ध कराई गई है।

अध्याय – II

कृषि विपणन एवं भांडागारण से संबंधित नीति तथा कार्यक्रमों की समीक्षा

2.1 भूमिका

देश में कृषि–जलवायु की भारी विभिन्नताओं के कारण भारत के किसान भिन्न–भिन्न प्रकार की फसलें उगाते हैं। कृषि उत्पादन प्रोद्योगिकी में परिवर्तन, परिवहन–साधनों में सुधार तथा भंडारण की सुविधाएँ एवं विपणन ढांचे में बेहतरी के कारण कृषि अब एक वाणिज्यिक गतिविधि में परिवर्तित हो गई है। तथापि, इस प्रकार के परिवर्तनों से इस क्षेत्र में काफी बिचौलिए भी आ गए हैं, जिसके फलस्वरूप प्राथमिक उत्पादकों अर्थात किसानों को उनके उत्पादों के लाभकारी मूल्य नहीं मिल रहे हैं जबकि उत्पाद का बाजार मूल्य साल–दर–साल बढ़ता रहा है। अतः, उत्पादन बढ़ने के साथ–साथ उत्पाद के लिए अच्छा बाजार होना भी आवश्यक है।

कृषि उत्पाद के लिए एक कुशल विपणन प्रणाली से उम्मीद की जाती है:

i. प्राथमिक उत्पादकों को उनके उत्पाद का लाभकारी मूल्य मिलने की व्यवस्था हो;

ii. किसानों के उत्पाद का रख–रखाव तथा परिवहन उचित लागत पर हो;

iii. उपभोक्ता द्वारा चुकाए गए मूल्य में प्राथमिक उत्पादकों की हिस्सा भी बढ़े; तथा

iv. गुणवत्ता से समझौता किए बिना उपभोक्ताओं को उचित मूल्य पर कृषि उत्पाद उपलब्ध हो।

कृषि विपणन, फसल कटाई के बाद शुरू होने वाले कोई अलग गतिविधि नहीं है। यह बेचने–योग्य कृषि उत्पाद के उगाने से शुरू हो जाती है तथा इसमें विपणन प्रणाली के सभी पहलू जैसे फसल एकत्रित करना, श्रेणीकरण, भंडारण, परिवहन तथा वितरण शामिल हैं। सम्पूर्ण विपणन श्रृंखला में भांडागारण का एक महत्वपूर्ण स्थान है। कृषि विपणन प्रणाली में सुधार के लिए सरकार द्वारा बनाई गयी नीतियों में ऊपर वर्णित सभी पहलुओं पर ध्यान दिया जाता रहा है।

2.2 खाद्यान्नों का उत्पादन

उत्तरवर्ती सरकारों द्वारा उठाए गए कदमों/पहलों के कारण स्वतंत्रता–प्राप्ति के पश्चात देश में खाद्यानों के उत्पादन में उल्लेखनीय प्रगति हुई है, जैसा कि नीचे दिए गए आंकड़ों से स्पष्ट है:–

तालिका 2.1 – वर्षवार खाद्यान्न उत्पादन

वर्ष	खाद्यान्न का उत्पादन (मिलियन मीट्रिक टन में)
1951–52	50.82
1961–62	82.71
1971–72	105.17
1981–82	133.30
1991–92	168.38
2001–02	212.85
2011–12	259.29
2015–16	251.54
2016–17	275.11
2017–18	285.01
2018–19	285.21
2019–20	297.50
2020–21	310.74
2021–22	315.62
2022–23	329.69
2023–24	332.29
2024–25	353.95*

*वर्ष 2024–25 के लिए 28.05.2025 को तीसरे अग्रिम अनुमान के अनुसार।

तालिका 2.2 मुख्य खाद्यान्न फसलों का उत्पादन

फसल/समूह	**उत्पादन (मिलियन टन में)**		
	2022–23	**2023–24**	**2024–25***
चावल	135.75	137.80	149.07*
गेहूँ	110.55	113.29	117.50*
न्यूट्री/मोटे अनाज	57.32	56.93	62.14*
दालें	26.06	24.24	25.23*
कुल	**329.68**	**332.26**	**353.95***

* वर्ष 2024–25 के लिए 28.05.2025 को तीसरे अग्रिम अनुमान के अनुसार।

2.3 अन्य प्रमुख कृषि फसलों का उत्पादन

वर्ष 2023–24 के अंतिम अनुमानों के अनुसार, कपास का उत्पादन 325.22 लाख गांठें (प्रत्येक गांठ का वजन 170 किलोग्राम) तथा गन्ने का उत्पादन 453.15 मिलियन टन था। तीसरे अग्रिम अनुमानों के अनुसार वित्त वर्ष 2024–25 में कपास तथा गन्ने का उत्पादन क्रमशः 306.92 लाख गांठें तथा 450.01 मिलियन टन रहने का अनुमान है। वर्ष 2024–25 के लिए तिलहनों का उत्पादन, जिसमें मूंगफली, सरसों तथा सोयाबीन शामिल है, 42.60 मिलियन टन था। (स्रोतः 28.05.2025 को कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार)

2.4 कुछ महत्वपूर्ण कृषि उत्पादों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य

कृषि लागत एवं मूल्य आयोग की सिफारिशों पर विभिन्न राज्य सरकारों, केंद्र के संबंधित मंत्रालयों/विभागों के विचारों तथा अन्य संबन्धित कारकों को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार ने 22 कृषि फसलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य (एम.एस.पी.) निर्धारित किया है। इसके अतिरिक्त तोरिया तथा भूसी रहित नारियल का न्यूनतम समर्थन मूल्य भी क्रमशः तोरीबीज, सरसों तथा खोपरा के मूल्य के आधार पर निर्धारित किया जाता है। एम.एस.पी. निर्धारित करते समय सी.ए.सी.पी. अन्य महत्वपूर्ण कारकों जैसे उत्पादन–लागत, मांग–आपूर्ति, की सम्पूर्ण स्थिति, घरेलू तथा अंतर्राष्ट्रीय मूल्य, अंतर–फसल मूल्य, कृषि तथा कृषि से इतर क्षेत्रों के बीच व्यापार शर्तें, शेष अर्थव्यवस्था पर प्रभाव सहित, भूमि, पानी तथा अन्य उपदान स्रोतों का युक्तिसंगत उपयोग एवं एम.एस.पी. के मामले में उत्पादन लागत के न्यूनतम 50 प्रतिशत मार्जिन को ध्यान में रखता है।

केन्द्रीय बजट 2018–19 में की गयी घोषणा के अनुसार विपणन मौसम 2025–26 के लिए एम.एस.पी. में उत्पादन की अखिल भारत औसत लागत के कम से कम डेढ़ गुणा वृद्धि की गयी है ताकि किसानों को उनके उत्पाद का लाभकारी मूल्य प्राप्त हो सके। किसानों के लिए उत्पादन का प्रत्याशित मार्जिन बाजरे के लिए उच्चतम (63%) तथा तूर के लिए (59%), मक्का के लियी (59%) तथा उड़द के लिए (53%) रहने का अनुमान है। शेष फसलों हेतु किसानों के लिए लागत प्रत्याशित मार्जिन उत्पादन लागत का कम से कम 50% रहने का अनुमान है। इसी प्रकार रबी फसलों के मामले में, किसानों को उनके उत्पादन लागत पर अपेक्षित रिटर्न गेहूं (105%) के मामले में सबसे अधिक होने का अनुमान है और कुसुम के लिए, उत्पादन लागत पर अपेक्षित लाभ 50% है।

हाल के वर्षों में सरकार अनाज के सिवाय अन्य फसलों, जैसे दालें, तिलहन तथा पोषक–अनाज/श्रीअन्न के लिए उच्च एम.एस.पी. प्रदान करते हुए इन फसलों का बढ़ावा दे रही है। इसके अतिरिक्त सरकार ने किसानों द्वारा उनके उत्पादों में विविधता लाने के लिए राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (आर.के.वी.वाई.), राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन (एन.एफ.एस.एम.) जैसी विभिन्न योजनाएँ तथा पहल आरंभ की हैं।

वर्ष 2024—25 के लिए दूसरे अग्रिम अनुमानों के अनुसार, देश में कुल खाद्यान्न उत्पादन 353.95 मिलियन टन रहने की उम्मीद है।

तालिका 2.3. न्यूनतम समर्थन मूल्य

क्र. स.	वस्तु	प्रजाति	2023—24	2024—25	2025—26	गत वर्ष की तुलना में एम.एस.पी. में वृद्धि (रुपये प्रति क्विंटल)
	खरीफ फसलें					
1	धान	साधारण	2183	2300	2369	69
		ग्रेड ए'	2203	2320	2389	69
2	ज्वार	हाइब्रिड	3180	3371	3699	328
		मालडंडी	3225	3421	3749	328
3	बाजरे		2500	2625	2775	150
4	रागी		3846	4290	4886	596
5	मक्का		2090	2225	2400	175
6	अरहर (तूर)		7000	7550	8000	450
7	मूंग		8558	8682	8768	86
8	उड़द		6950	7400	7800	400
9	कपास	मीडियम स्टेपल	6620	7121	7710	589
		लोंग स्टेपल	7020	7521	8110	589
10	मूंगफली		6377	6783	7263	480
11	सूरजमुखी सीड		6760	7280	7721	441
12	सोयाबीन (पीला)		4600	4892	5328	436
13	तिल		8635	9267	9846	579
14	नाइजर सीड		7734	8717	9537	820
	रबी फसलें		आरएमएस 23—24	आरएमएस 24—25	आरएमएस 25—26	

क्र. स.	वस्तु	प्रजाति	2023–24	2024–25	2025–26	गत वर्ष की तुलना में एम.एस.पी. में वृद्धि (रुपये प्रति क्विंटल)
15	गेहूँ		2125	2275	2425	150
16	जौ		1735	1850	1980	130
17	चना		5335	5440	5650	210
18	मसूर (लेनटिल)		6000	6425	6700	275
19	रेपसीड और सरसों		5450	5650	5950	300
20	कुसुम		5650	5800	5940	140
21	तोरिया		5450	5650	5950	300
	अन्य फसलें					
22	खोपरा	(कैलेंडर वर्ष)	2023	2024	2025	
		मिलिंग	10860	11160	11582*	422
		बाल	11750	12000	12100*	100
23	डी–हस्क नारियल		2930	3013	3130*	117
	मौसम		23–24	24–25	25–26	
24	पटसन		5050	5335	5650*	315

- सरकार ने 2025 विपणन मौसम के लिए एफ.ए.क्यू. पर एम.एस.पी. तय किया है।

II. वर्ष 2025–26 के लिए कच्चे जूट (टीडी–3 ग्रेड) का एम.एस.पी. 5650 रुपये प्रति क्विंटल

(स्रोतः एम.एस.पी. पर कृषि और किसान कल्याण विभाग की रिपोर्ट)

2.5 केन्द्रीय पूल के लिए भारतीय खाद्य निगम द्वारा खाद्यान्नों की खरीद

खाद्यान्नों की खरीद (चावल, गेहूं तथा मोटे अनाज) संबन्धित विपणन मौसम के लिए भारत सरकार द्वारा घोषित न्यूनतम समर्थन मूल्य पर भारतीय खाद्य निगम (एफ.सी.आई.) तथा राज्य एजेंसियों द्वारा की जाती है। किसानों तथा उपभोक्ताओं के हितों को सुरक्षित रखने लिए खरीफ विपणन तथा रबी विपणन मौसम शुरू होने से पहले खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग, भारत साकार द्वारा खाद्यान्नों के एक समान स्पेसिफिकेशन (एफ.ए.क्यू. मानक) निर्धारित कर सभी केन्द्रीय तथा राज्य

खरीद एजेन्सियों को समय–पूर्व अधिसूचित किए जाते हैं। केन्द्रीय पूल के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य पर एक समान स्पेसिफिकेशन वाले खाद्यान्न स्टॉक की खरीद की जाती है। वर्तमान में 24 वस्तुओं के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य घोषित किए जाते हैं। उपभोक्ताओं को गुणवत्ता वाले खाद्यान्नों की आपूर्ति सुनिश्चित करने तथा लंबी अवधि के भंडारण से होने वाली हानियों को न्यूनतम स्तर पर रखने के लिए सरकार ने गेहूँ तथा धान / चावल की खरीद को अधिकतम स्तर पर रखने के लिए एवं पुराने स्टॉक के समापन की नीति अपनाई है ताकि भारतीय खाद्य निगम के पास 2 वर्ष से अधिक जारी किया जा सकने वाले किसी स्टॉक को आगे ना ले जाना पड़े।

2.6 गत तीन वर्षों में गेहूँ तथा चावल की खरीद

तालिका 2.4 आंकड़े लाख मीट्रिक टन में22 अनिवार्य फसलें

वस्तु/विपणन वर्ष	2022–23	2023–24	2024–25*
गेहूँ (आर.एम.एस.)	187.92	262.02	266.05
धान (चावल के संदर्भ में) (के.एम.एस.)	568.66	586.66	439.94
कुल	756.58	716.45	705.99

* खरीफ विपणन मौसम 2024–25 के लिए 13.02.2025 तक के आंकड़े

(स्रोतः भारतीय खाद्य निगम, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग, उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय से प्राप्त सूचना)

2.7 दालों तथा तिलहनों की खरीद

कृषि एवं किसान कल्याण विभाग (डी.ए.एफ.डब्ल्यू.), भारत सरकार ने कुछ संशोधनों सहित पूर्व की मूल्य समर्थन स्कीम (पी.एस.एस.) को शामिल करते हुये मूल्य न्यूनता पेमेंट स्कीम कोष (पी.डी.पी.एस.) तथा पॉयलट ऑफ प्राइवेट प्रोक्यूरमेंट तथा स्टॉकिस्ट स्कीम (पी.पी.एस.एस.) नाम से कई स्कीम को मिलाकर "प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान" (पी.एम.–ए.ए.एस.एच.ए) क्रियान्वित कर रहा है। इसके अलावा मूल्य न्यूनता पेमेंट स्कीम (पी.डी.पी.एस.) तथा पायलट ऑफ प्राइवेट प्रोक्यूरमेंट तथा स्टॉकिस्ट स्कीम चलाई जा रही हैं। पी.एम.–आशा के अंतर्गत राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों को किसी एक की खरीद के लिए पूरे राज्य के लिए विशेष रूप से तिलहनों के लिए पी.एस.एस. तथा पी.डी.एस. से कोई एक स्कीम चुनने का विकल्प है। दालें तथा खोपरा की खरीद पी.एस.एस. के अधीन की जाती है। किसी एक राज्य में विपणन मौसम के लिए एक वस्तु के संबंध में केवल एक स्कीम पी.एस.एस. अथवा पी.डी.पी.एस. चलाई जाएगी। इसके अतिरिक्त राज्यों द्वारा निजी खरीद तथा स्टॉकिस्ट (पी.पी.एस.एस.) को जिले प्राइवेट स्टॉकिस्ट को शामिल करते हुए चुनिन्दा ए.पी.एम.सी. में चलाई जा सकती है। पी.एस.एस., पी.डी.पी.एस. तथा पी.पी.एस.एस. का विवरण इस प्रकार हैः –

2.7.1 मूल्य समर्थन योजना (पी.एस.एस.)

मूल्य समर्थन योजना पी.एम.–आशा का घटक है। फसल कटाई के बाद विपणन के समय अधिसूचित दालों, तिलहनों तथा खोपरा की एम.एस.पी. से कम कीमत होने पर लागू की जाती है। इस स्कीम का उद्देश्य किसानों को उस समय लाभकारी मूल्य उपलब्ध करना है। अधिसूचित दलहन, तिलहन तथा खोपरा की उचित औसत गुणवत्ता (एफ.ए.क्यू.) होने पर केन्द्रीय नोडल एजन्सियों जैसे नैफेड तथा एन.सी.सी.एफ. द्वारा राज्य स्तरीय एजेंसियों के माध्यम से पूर्व पंजीकृत किसान, जिनके पास वैध भूमि रिकॉर्ड है, से न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीद की जाती है ताकि बिचौलियों को स्कीम का लाभ उठाने से रोका जा सके।

इसके अतिरिक्त दालों का घरेलू उत्पादन बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित करने हेतु तथा दालों के आयात पर निर्भरता कम करने के लिए पी.एस.एस. के अंतर्गत तूर, उड़द तथा मसूर की वर्तमान 25 प्रतिशत खरीद हटा ली गयी तथा वर्ष 2023–24 के लिए 100 प्रतिशत खरीद की अनुमति दी गई थी जिसे आगे वर्ष 2024–25 के लिए भी बढ़ा दिया गया है।

2.7.2 बाजार हस्तक्षेप योजना (एम.आई.एस.)

पी.एम.–आशा का एक अन्य घटक राज्य/संघ राज्य क्षेत्र की सरकार के अनुरोध पर विभिन्न जल्दी खराब होने वाली कृषि/बागवानी वस्तुओं जैसे टमाटर, प्याज और आलू आदि की खरीद के लिए लागू किया जाता है, जिनके लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य (एम.एस.पी.) तय नहीं है और राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में पिछले सामान्य मौसम की दरों की तुलना में बाजार में कीमतों में कम से कम 10% की गिरावट आई है ताकि किसानों को अपनी उपज की मजबूरी में बिक्री करने के लिए बाध्य न किया जाए, इसे लागू किया जाता है। यदि राज्य/संघ राज्य क्षेत्र और केंद्र के बीच 50:50 के अनुपात में कुल नुकसान को साझा करने के लिए तैयार हैं, जबकि पूर्वोत्तर राज्यों के मामले में, केंद्र और राज्य के बीच नुकसान 75:25 के आधार पर साझा किया जाएगा। राज्य द्वारा नामित एजेंसी द्वारा निर्धारित एफ.ए.क्यू. की विशेष फसल के राज्य के उत्पादन के 25% तक की खरीद एक निश्चित बाजार हस्तक्षेप मूल्य (एम.आई.पी.) पर की जाती है, जैसा कि एम.आई.पी. समिति द्वारा निर्धारित किया जाता है। हालाँकि, राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के पास किसानों को एम.आई.पी. और बिक्री मूल्य के बीच के अंतर का भुगतान करने का विकल्प भी है, खासकर जहाँ जल्दी खराब होने वाली वस्तुओं के भंडारण के लिए पर्याप्त बुनियादी ढाँचा उपलब्ध नहीं है। इसके अलावा, किसानों के हित में, विशेष मामलों में, यदि उत्पादक और उपभोक्ता राज्यों के बीच शीर्ष फसलों (टमाटर, प्याज और आलू) की कीमत में अंतर होता है, तो नैफड और एन.सी.सी.एफ. जैसी केंद्रीय नोडल एजेंसियों (सी.एन.ए.) द्वारा उत्पादक राज्य से उपभोक्ता राज्यों तक फसलों के भंडारण और परिवहन में होने वाली परिचालन लागत की प्रतिपूर्ति सरकार द्वारा की जाएगी।

इसके अलावा, सभी कृषि/बागवानी वस्तुएं जिनके लिए एम.एस.पी. तय नहीं है और जो प्रकृति में जल्दी खराब होनी वाली है, उन्हें पी.एम.–आशा की एकीकृत योजना के एम.आई.एस. घटक के

तहत कवर किया गया है। सरकार टमाटर, प्याज और आलू (टी.ओ.पी.) जैसी जल्दी खराब होने वाली फसलों और सेब, अदरक, मिर्च आदि जैसी कई अन्य फसलों को एम.आई.एस. के तहत कवर कर रही है, जिनके लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य (एम.एस.पी.) तय नहीं है, ताकि राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में पिछले सामान्य मौसम की दरों की तुलना में बाजार में कीमतों में कम से कम 10% की कमी होने पर किसानों को होने वाली कठिनाई को कम किया जा सके और किसानों को अपनी उपज की मजबूरी में बिक्री करने के लिए विवश न होना पड़े। सरकार ने जल्दी खराब होने वाली फसलों के किसानों को बाजार हस्तक्षेप मूल्य (एम.आई.पी.) और बिक्री मूल्य के बीच मूल्य अंतर के सीधे भुगतान के लिए बाजार हस्तक्षेप योजना (एम.आई.एस.) के तहत पी.डी.पी.एस. का एक नया घटक शुरू किया है।

2.7.3 मूल्य न्यूनता भुगतान योजना (पी.डी.पी.एस.)

यह योजना न्यूनतम समर्थन मूल्य तथा पूर्व–पंजीकृत किसानों को एक निश्चित अवधि में अधिसूचित मार्केट यार्ड में पारदर्शी नीलामी प्रक्रिया के माध्यम से उचित औसत क्वालिटी (एफ.ए.क्यू.) के तिलहनों के मूल्य के अंतर को पाटने के लिए है। सभी भुगतान सीधे किसानों के पंजीकृत खातों में किए जायेंगे। योजना में कोई भौतिक खरीद शामिल नहीं है। पी.डी.पी.एस. के अंतर्गत न्यूनतम समर्थन मूल्य तथा बिक्री/मॉडल मूल्य अर्थात मूल्य न्यूनतम में से एम.एस.पी. का 15% जो किसान प्राप्त करेगा तक (2% प्रशासनिक लागत सहित) केंद्र सरकार द्वारा वहन किया जाएगा। केंद्र सरकार की सहायता, उत्पादन के 40% तक दी जाएगी। यदि कोई राज्य अधिकतम 40% से अधिक मात्रा कवर करना चाहती है, तो उसके लिए राज्य सरकारों को अपने संसाधनों से निधि जटानी होगी।

भारत सरकार ने सितंबर 2024 में एकीकृत पी.एम. आशा योजना को जारी रखने की मंजूरी दी जिससे इसका दायरा व्यापक हो गया। अधिसूचित दलहन, तिलहन और खोपरा, जिनके लिए एम.एस.पी. की घोषणा की जाती है, पी.एम.–आशा के मूल्य समर्थन योजना (पी.एस.एस.) घटक के अंतर्गत आते हैं। मूल्य समर्थन योजना के तहत दलहन और तिलहन की खरीद को सी.ओ.एस. की मंजूरी से राष्ट्रीय उत्पादन के अधिकतम 25% तक की अनुमति दी गई है। तिलहन किसानों का समर्थन करने के लिए, मूल्य घाटा भुगतान योजना (पी.डी.पी.एस.) के तहत कवरेज को राज्य के उत्पादन के मौजूदा 25% से बढ़ाकर विशेष तिलहन के राज्य उत्पादन के 40% तक कर दिया गया है, जिसमें एम.एस.पी. और अधिसूचित बाजार में बिक्री/मॉडल मूल्य के बीच मूल्य अंतर का सीधा भुगतान एम.एस.पी. मूल्य के 15% तक किया जाता है।

पी.एम.–आशा के तहत किसानों को प्रभावी खरीद करने और एम.एस.पी. का अधिकतम लाभ प्रदान करने के लिए, उत्पादन, विपणन योग्य अधिशेष, किसानों की सुविधा और भंडारण और परिवहन आदि जैसे अन्य रसद/बुनियादी ढांचे की उपलब्धता को ध्यान में रखते हुए संबंधित राज्य सरकार

की एजेंसियों और केंद्रीय नोडल एजेंसियों जैसे नैफड, एन.सी.सी.एफ. आदि द्वारा खरीद केंद्र खोले जाते हैं। किसानों की सुविधा के लिए प्रमुख बिंदुओं पर मौजूदा मंडियों और डिपो /गोंदामो के अलावा बड़ी संख्या में खरीद केंद्र भी स्थापित किए जाते हैं।

वर्ष 2023–24 तथा 2024–25 में पी.एस.एस. के अधीन दालों की खरीद का विवरण नीचे दिया गया है:

तालिका 2.5

पी.एस.एस. के अधीन न्यूनतम समर्थन मूल्य पर दालों, तिलहनों तथा खोपरा की खरीद का विवरण वित्त वर्ष 2024–25 (31.03.2025 तक) (मात्र मी. टन में)		
श्रेणी/ वस्तु	**2023.24**	**2024.25**
दालें		
चना	23,53,114.67	43,316.79
मसूर	76,474.57	2,48,551.25
मूंग	3,35,477.85	4,05,049.35
तूर	–	4,30,383.37
उड़द	–	35.70
कुल दालें	**27,65,067.09**	**11,27,336.46**
तिलहन		
मूंगफली	74,941.58	14,44,538.35
सरसों के बीज	11,14,395.77	12,07,809.59
तिल के बीज	–	–
सोयाबीन	6,963.22	14,71,780.75
सूरजमुखी का बीज	11,336.96	14,234.51
कुसुम	1,629.68	376.92
कुल तिलहन	**12,09,267.20**	**41,38,740.12**
खोपरा		
बॉल खोपरा	50,184.08	68,114.11
मिलिंग खोपरा	84,157.28	29,220.45
कुल खोपरा	**1,34,341.36**	**97,334.56**

(स्रोतः नैफड से प्राप्त सूचना)

2.8 भारत में भंडारण क्षमता की वर्तमान स्थिति

देश में केंद्रीयकृत डैटा बेस के अभाव में संगठित क्षेत्र में भांडागारण क्षमता का अनुमान लगाना कठिन है। तथापि विभिन्न स्रोतों से प्राप्त सेकेंडरी डैटा के अनुसार, सार्वजनिक एजेंसियों, सहकारी समितियों और निजी क्षेत्र द्वारा चलाए जा रहे संगठित भांडागारों की अनुमानित वर्तमान क्षमता संचालित संगठित भांडागारों की वर्तमान क्षमता 246.33 मिलियन मीट्रिक टन अनुमानित है। विवरण नीचे दिया गया है।

जैसा कि नीचे दिए गए विवरण से देखा जा सकता है, भंडारण क्षमता का प्रमुख भाग सरकार द्वारा सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (पी.एस.यू.) जैसे भारतीय खाद्य निगम (एफ.सी.आई.), केंद्रीय भंडारण निगम (सी.डब्ल्यू.सी.), राज्य भंडारण निगम (एस.डब्ल्यू.सी.), राज्य विपणन संघों, राज्य आपूर्ति निगमों आदि द्वारा नियंत्रित किया जा रहा है।

तालिकाः 2.6

क्र.सं.	संगठन/क्षेत्र का नाम	31.03.2025 को भंडारण क्षमता (मी. टन में)
1	भारतीय खाद्य निगम (एफ.सी.आई.) स्रोत:https://fci.gov.in/headquarter/view/Conventional-Storage-307	**45.87***
2	केंद्रीय भंडारण निगम (सी.डब्ल्यू.सी.) स्रोतः केंद्रीय भंडारण निगम	**14.82***
3	राज्य भंडारण निगम (एस.डब्ल्यू.सी.) (कैप स्टोरेज को छोड़कर) स्रोतः खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग	**50.40****
4	अन्य राज्य एजेंसियाँ (कैप स्टोरेज को छोड़कर) स्रोतः 30.04.25 तक नाबार्ड सर्वे डैटा	**9.92**
5	सहकारी क्षेत्र स्रोतरू राष्ट्रीय सहकारीता विकास निगम (एन.सी.डी.सी.) वार्षिक रिपोर्ट 2023–24	**16.58**
6	निजी क्षेत्र स्रोतः कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय तथा डी.एफ.पी.डी.	**108.74*****
	कुल	**246.33**

*31.03.2025 की क्षमता

**31.03.2024 की क्षमता (स्रोत सी.डब्ल्यू.सी. की वेबसाइट)

***इसमें कृषि विपणन एवं निरीक्षण की कृषि विपणन (आई.एस.ए.एम.) के लिए स्वीकृत सहायता योजना के अधीन तथा भारतीय खाद्य निगम की पी.ई.जी.एस. के अंतर्गत सृजित की गई क्षमता शामिल है।

2.9 भंडारण क्षमता में वृद्धि

सरप्लस क्षेत्रों में भंडारण स्थान की कमी को ध्यान में रखते हुए सरकार ने संवर्द्धक नीतियों सहित भांडागारों के निर्माण के लिए कई पहल की है। यहाँ कुछ पहलों का विवरण नीचे दिया गया है;

2.9.1 कृषि विपणन अवसंरचना (ए.एम.आई.)

भंडारण अवसंरचना सहित कृषि विपणन अवसंरचना के सृजन को प्रोत्साहन देने के लिए कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय 01.04.2014 से कृषि विपणन के लिए एकीकृत योजना (एम.एम.आई.) के अधीन कृषि विपणन अवसरंचना आई.एस.एम.एम. के अधीन एक पूंजी निवेश सब्सिडी उप–योजना चला रहा है। के नए परिचालन दिशा–निर्देश 22.10.2018 से क्रियान्वयन हेतु अनुमोदित किए गए हैं।

इस योजना के मुख्य उद्देश्य हैं: (i) कृषि तथा अन्य सहायक उत्पाद जैसे बागवानी, पशुधन, मुर्गी पालन, मछली पालन, बाँस, लघु वनोत्पाद के विपणन योग्य सरप्लस के रखरखाव तथा प्रबंधन के लिए आधारभूत सुविधाएं सृजित करना आदि है, जो किसानों की आय बढ़ाने के साधन हैं। (ii) निजी तथा सहकारी क्षेत्र में निवेश के लिए कृषि तथा सहायक उत्पाद के विपणन के लिए वैकल्पिक तथा प्रतिस्प प्रतिस्पर्धात्मक चैंनलों का विकास। (iii) कृषि उत्पाद, प्रसंस्कारित उत्पाद तथा कृषि वस्तुओं आदि के लिए वैज्ञानिक भंडारण को बढ़ावा देना ताकि फसल कटाई के बाद होने वाली हानियाँ कम हो सकें तथा किसानों तथा अन्य को वित्तपोषन तथा बाजार–पहुँच की सुविधा प्राप्त हो सके। (iv) ग्रामीण हाटों को ग्रेन कृषि बाजार का दर्जा प्राप्त होने में सहायता प्रदान करना जिससे किसान–उपभोक्ता बाजार लिंकेज बढ़ेगा और साथ ही व्यापार में पारदर्शिता और बेहतर मूल्य खोज में सुधार के लिए ई–एनएएम पोर्टल के साथ GrAMs के एकीकरण में सहायता करना। (v) कृषि और संबद्ध उपज के ग्रेडिंग, मानकीकरण और गुणवत्ता प्रमाणन के लिए बुनियादी ढांचा सुविधाएं प्रदान करना, जिसका उद्देश्य (क) किसानों को उनके उत्पाद के अच्छा मूल्य प्राप्त होगा तथा गुणवत्ता वाले उत्पादों को उगाने के प्रति उत्साहित होंगे (ख) गिरवी वित्त बढ़ेगा तथा इ–एन. डब्ल्यू.आर. के व्यापार को बल मिलेगा। ए.एम.आई. योजना उत्तरवर्ती देय किस्त योजना है जिसकी सब्सिडी दर/25% से 33.33% तक भिन्न–भिन्न है तथा लाभार्थियों की श्रेणी पर आधारित है। सब्सिडी पूँजी लागत मानक के अनुसार परियोजना की लागत पर दी जाती है। 01.04.2023 से 1000 मीट्रिक टन से अधिक भंडारण अवसंरचना परियोजनाएं (भांडागार) डबल्यू.डी.आर.ए. के साथ पंजीकृत होंगी। 30.06.2024 तक आईएसएएम की कृषि विपणन अवसंरचना उप–योजना के अंतर्गत सहायता प्राप्त राज्यवार भंडारण क्षमता इस प्रकार है:

तालिका:2.7 राज्यवार भंडारण क्षमता।

क्र. सं.	राज्य	स्वीकृत परियोजनाओं की संख्या	स्वीकृत क्षमता (मी. टन)
1	आंध्र प्रदेश	1543	**6122043**
2	अरुणाचल प्रदेश	1	**945**
3	असम	367	**1135319**
4	बिहार	1234	**1111749**
5	छत्तीसगढ	1396	**2287472**
6	गोवा	1	**299**
7	गुजरात	12376	**5992142**
8	हरियाणा	2307	**7679871**
9	हिमाचल प्रदेश	88	**30826**
10	जम्मू और कश्मीर	17	**98027**
11	झारखंड	243	**223327**
12	कर्नाटक	5062	**4490366**
13	केरल	207	**113742**
14	मध्य प्रदेश	8324	**28484839**
15	महाराष्ट्र	4071	**8096142**
16	मेघालय	17	**26012**
17	मिजोरम	4	**705**
18	नागालैंड	36	**26887**
19	ओडिशा	717	**1069718**
20	पंजाब	1819	**7056792**
21	राजस्थान	1873	**3764757**
22	तमिलनाडु	1233	**1486554**
23	तेलंगाना	1330	**6017717**
24	त्रिपुरा	5	**28764**
25	उत्तर प्रदेश	1294	**6036950**
26	उत्तराखंड	321	**879331**
27	पश्चिम बंगाल	2626	**1737343**
	कुल	**48512**	**93998641**

(स्रोत: पी.आई.बी. विज्ञप्ति आई.डी.: 2037655 कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय)

2.9.2 निजी उद्यमी गारंटी योजना

सरकार ने सरकारी निजी भागीदारी (पी.पी.पी.) के अंतर्गत भांडागारों के निर्माण हेतु निजी उद्यमी गारंटी योजना, 2008 निजी उद्यमियों/केंद्रीय भंडारण निगम/राज्य भंडारण निगमों के माध्यम से शुरू की थी। इस योजना के अधीन भंडारण क्षमता का निर्धारन सम्पूर्ण खरीद/क्षेत्र की उपभोग आवश्यकताओं तथा पहले से विद्यमान भंडारण क्षमता के आधार पर किया जाता है। भारतीय खाद्य निगम निजी निवेशको को10 साल की गारंटी तथा केन्द्रीय भंडारण निगम/राज्य भंडारण निगमों/राज्य एजेंसियों को 9 साल की गारंटी देता है। निजी उद्यमी गारंटी योजना के लिए 1516323 मीट्रिक टन क्षमता अनुमोदित की गई है। इसमें से 14751163 मीट्रिक टन क्षमता पूरी की जा चुकी है (स्रोतः सी.ए.एफ.पी.डी.–24–25 पर स्थायी समिति की 18वीं रिपोर्ट)।

2.9.3 साइलो का निर्माण

भंडारण सुविधाओं के अपग्रेड करने तथा आधुनिक बनाने के लिए भारत सरकार ने देश में पी.पी.पी. (सार्वजनिक निजी भागीदारी) आधार पर स्टील साइलो के निर्माण के लिए एक कार्य योजना बनाई है। 23.25 लाख मीट्रिक टन क्षमता पूरी की जा चुकी है।

2.9.4 केंद्रीय सैक्टर (पूर्व योजना) स्कीम

सरकार उत्तर पूर्वी (एन.ई.) राज्यों सहित कुछ अन्य राज्यों में भंडारण क्षमता में वृद्धि करने के लिए केन्द्रीय सैक्टर स्कीम क्रियान्वित कर रही है। इस स्कीम के अंतर्गत इक्विटि के रूप, में भूमि अधिग्रहण तथा भांडागारों के निर्माण तथा रेलवे साइडिंग विद्युतीकरण, वेब्रिज आदि की स्थापना जैसे आधारभूत सुविधाओं के लिए भारतीय खाद्य निगम को सीधे फंड रिलीज किया जाता है। भंडारण क्षमता की कमी तथा कठिन भौगोलिक तथा जलवायु परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुये जम्मू एवं कश्मीर सहित उत्तर पूर्व राज्यों की सरकारों को भी अनुदान सहता के रूप में फंड रिलीज किया जाता है। 12वीं पंचवर्षीय योजना (2012–17) के दौरान, कुल 1,17,680 मीट्रिक टन क्षमता उत्तर पूर्व राज्यों में तथा 20,000 मीट्रिक टन उत्तर पूर्व राज्यों से उत्तर राज्यों में सृजित की गई (1,37,680 मीट्रिक टन भारतीय खाद्य निगम द्वारा 46,495 मीट्रिक टन राज्य सरकारों द्वारा) यह स्कीम 01.04.2017 से 31.03.2025 तक 8 वर्षों के लिए बढ़ाई गई है। भारतीय खाद्य निगम द्वारा 78,770 मीट्रिक टन अतिरिक्त क्षमता (57,550 मीट्रिक टन उत्तर पूर्व राज्यों, 21,220 मीट्रिक टन इससे अलग राज्यों में) सृजित की गई। इसके अतिरिक्त 01.04.2017 से 30.09.2024 तक राज्य सरकारों द्वारा 33,190 मीट्रिक टन जिसमें 12वीं पंचवर्षीय योजना में स्वीकृत 4,500 मीट्रिक टन (2,500 मीट्रिक टन–मिजोरम, 2,000 मीट्रिक टन–त्रिपुरा) क्षमता शामिल है, की अतिरिक्त क्षमता सृजित की गई।

2.10 सहकारिता क्षेत्र में भंडारण क्षमता

ग्रामीण क्षेत्र में कम क्षमता वाले सहकारिता भांडागारों की काफी संख्या है। इन भांडागारों में छोटे किसानों द्वारा अपने उत्पाद भंडारित कराने की अधिक संभावना के मद्देनजर डबल्यू.डी.आर.ए. सहकारी भांडागारों को प्राधिकरण के साथ पंजीकरण कराने तथा किसानों को एन.डबल्यू.आर. जारी करने को बढ़ावा दे रहा है। 31 मार्च, 2024 की स्थिति के अनुसार सहकारिता क्षेत्र में एन.सी.डी.सी. के वित्तपोषण के माध्यम से सृजित 68022 भांडागारों में कुल 16.58 मिलियन मीट्रिक टन क्षमता थी। इनमें से राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम (एन.सी.डी.सी.) की सहायता से वर्ष 2023–24 में लगभग 10,785 मीट्रिक टन क्षमता जोड़ी गई।

2.11 राष्ट्रीय कृषि मंडी (ई–एन.ए.एम.)

कृषि विपणन क्षेत्र में सुधारों का सूत्रपात करने, देश में कृषि वस्तुओं के ऑनलाइन विपणन को बढ़ावा देने तथा किसानों को अधिकतम लाभ पहुँचाने के उद्देश्य से सरकार ने 1 जुलाई, 2015 को राष्ट्रीय कृषि मंडी (एन.ए.एम.) योजना अनुमोदित की थी। ईएन.ए.एम. की पायलट योजना 8 राज्यों की 21 मंडियों में 14 अप्रैल, 2016 को प्रारम्भ की गई। इस योजना के अधीन ऑनलाइन ट्रेडिंग विकसित करने हेतु गेट एंट्री सहित मंडियों की पूरी कार्य प्रणाली का डिजिटाइजेशन, लॉट मैनेजमेंट, बोली लगाना, ई–बिक्री करार, ई–भुगतान एवं विषम सूचना को हटाने, लेन–देन प्रक्रिया में पारदर्शिता बढ़ाने तथा देश में मंडियों की पहुँच बढ़ाने के लिए वेब आधारित प्लेटफॉर्म शुरू किया गया है। इसके अतिरिक्त, ई–एन.ए.एम. में ट्रेडिंग के लिए वस्तुओं की बिक्री को सरल बनाने के लिए 238 कृषि वस्तुओं के लिए सामान्य व्यापार पैरामीटर बनाए गए हैं। ई– एन.ए.एम. स्कीम शुरू हो जाने के बाद 1.79 करोड़ से अधिक किसानों, या 2.67 लाख व्यापारियों तथा 4518 से अधिक एफ.पी.ओ. ने स्वयं को ई–एन.ए.एम. प्लेटफॉर्म पर पंजीकृत किया है (30.06.2025 की स्थिति के अनुसार)।

प्राधिकरण ई–एन.ए.एम. के साथ इ–एन.डब्ल्यू.आर. प्रणाली के एकीकरण के लिए कृषि और किसान कल्याण विभाग के साथ मिलकर काम कर रहा है। ऐसा पंजीकृत भांडागार, जिसे मार्केट सब यार्ड घोषित किया किया गया है, द्वारा जारी इ–एन.डब्ल्यू.आर. प्राप्त किसान/धारक संबधित ई– एन.ए.एम. प्लेटफॉर्म पर अपने स्टॉक की बिक्री कर सकता है।

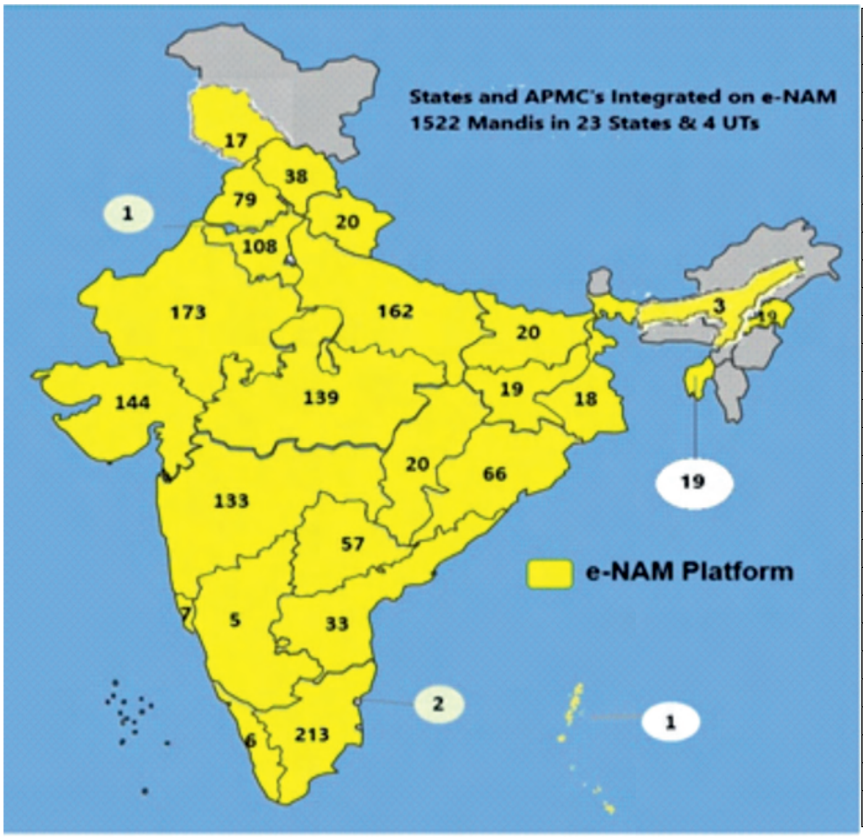

राज्य	एकीकृत बाजार
अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह	1
आंध्र प्रदेश	33
असम	3
बिहार	20
चंडीगढ़	1
छत्तीसगढ	20
गोवा	7
गुजरात	144
हरीयाणा	108
हिमाचल प्रदेश	38
जम्मू एवं कश्मीर	17
झारखंड	19
कर्नाटक	5
केरल	6
मध्य प्रदेश	139
महाराष्ट्र	133
नागालैंड	19
ओडिशा	66
पुदुचेरी	2
पंजाब	79
राजस्थान	173
तमिलनाडु	213
तेलंगाना	57
त्रिपुरा	19
उत्तर प्रदेश	162
उत्तराखंड	20
पश्चिम बंगाल	18
कुल	**1522**

तालिकाः 2.8
(स्रोतःई– एन.ए.एम. वेबसाइट)

2.12 मॉडल राज्य/संघ राज्य क्षेत्र कृषि उत्पाद तथा पशुधन विपणन (संवर्द्धन एवं सुगमता) अधिनियम, 2017

किसानों को विपणन की बेहतर सुविधाएँ उपलब्ध कराने के उद्देश्य से भारत सरकार ने राज्यों / संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा अपनाने हेतु अप्रैल, 2017 में कृषि उत्पाद एवं पशुधन विपणन (संवर्द्धन एवं सुगमता) अधिनियम, जारी किया जिसमें वैकल्पिक विपणन चौनल जैसे निजी बाजार, सीधा विपणन, किसान मंडी, विशेष वस्तु बाजार का प्रावधान है ताकि किसानों को अपने उत्पाद प्रतिस्पर्धात्मक एवं लाभकारी मूल्यों पर बेचने के सुविधा मिल सके।

इसके अतिरिक्त कम होते जा रहे संसाधनों के भरपूर प्रयोग तथा बाजार में मूल्यों की अनिश्चितता को देखते हुए भारत सरकार ने राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के लिए "मॉडल राज्य/संघ राज्य क्षेत्र कृषि उत्पाद एवं पशुधन कांट्रेक्ट फार्मिंग एवं सेवाएँ (संवर्द्धन एवं सुगमता) अधिनियम, 2018 को मई, 2018 में परिचालित किया। उपर्युक्त मॉडल कांट्रेक्ट फार्मिंग अधिनियम उत्पादन पूर्व से फसल कटाई से लेकर कृषि उत्पाद तथा पशुधन के लिए सर्विस कांट्रेक्ट से लेकर पूरी मूल्य तथा आपूर्ति श्रृंखला को कवर करता है।

मॉडल ए.पी.एल.एम. अधिनियम 2017 का अध्याय II खंड 12 में भांडागार/साइलो/कोल्ड स्टोरेज तथा अन्य इस प्रकार के ढांचे अथवा स्थान को मार्केट सब–यार्ड के रूप में घोषित किया गया है। इस प्रकार का प्रावधान किए जाने से डबल्यू.डी.आर.ए. के पंजीकृत भांडागार इ–एन.डब्ल्यू.आर. के अनुसार जमा समान के प्रभावी व्यपार के लिए एक हब के रूप में कार्य करने लगेंगे। अब तक आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, असम, छत्तीसगढ़, गोवा, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, कर्नाटक, मेघालय, नागालैंड, ओडिशा, तमिलनाडु, तेलंगाना, त्रिपुरा, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पुदुचेरी, ने भांडागारों/साइलों/कोल्ड स्टोरेज को अपने ए.पी.एम.सी. अधिनियम 14.07.2020 में डीम्ड मंडी घोषित करने का प्रावधान किया है।

2.13 फसल कटाई के बाद फसल ऋणों पर ब्याज सहायता योजना

मजबूरी मे की जाने वाली बिक्री को हतोत्साहित करने तथा उन्हें अपने उत्पाद भांडागारों में रखने के लिए प्रोत्साहित करने हेतु , वर्ष 2010–11 से, किसान क्रेडिट कार्ड धारक छोटे एवं सीमांत किसानों को एनडब्ल्यूआर/ईएनडब्ल्यूआर के विरुद्ध प्राधिकरण के पास पंजीकृत भांडागारों में रखे गए उत्पादों पर फसल कटाई के बाद छह महीने तक की अवधि के लिए ब्याज अनुदान का लाभ उपलब्ध कराया गया है, जो फसल ऋण पर उपलब्ध दर के समान है।

किसान क्रेडिट कार्ड (के.सी.सी.) की शुरुआत 1998 में किसानों को कृषि इनपुट और उत्पादन आवश्यकताओं के लिए ऋण उपलब्ध कराने के उद्देश्य से की गई थी। तब से इसमें निवेश ऋण और संबद्ध गतिविधियों को शामिल करने के लिए इसका विस्तार किया गया है। 2006–2007 में, ब्याज अनुदान योजना (आई.एस.एस.) शुरू हुई, जिसमें 7% ब्याज पर के.सी.सी. ऋण दिए गए। आई.एस.एस. में ब्याज अनुदान (आई.एस.एस.) और शीघ्र पुनर्भुगतान प्रोत्साहन (पी.आर.आई.) शामिल हैं। संशोधित ब्याज अनुदान योजना (एम.आई.एस.एस.) इसका एक प्रकार है, जो के.सी.सी. के माध्यम से 3.00 लाख रुपये तक के अल्पकालिक कृषि ऋणों पर 7% ब्याज दर प्रदान करती है। एम.आई.एस.एस. पशुपालन, डेयरी और मत्स्य पालन जैसी गतिविधियों को कवर करती है।

वित्तीय वर्ष 2024–25 के दौरान किसान क्रेडिट कार्ड (के.सी.सी.) के माध्यम से प्राप्त कृषि और संबद्ध गतिविधियों के लिए अल्पावधि ऋणों के लिए संशोधित ब्याज अनुदान योजना (एम.आई.एस.एस.) पर भारतीय रिजर्व बैंक के 06 अगस्त, 2024 के परिपत्र के अनुसार, पशुपालन, डेयरी, मत्स्य पालन, मधुमक्खी पालन आदि सहित संबद्ध गतिविधियों के लिए अल्पावधि फसल ऋण और अल्पावधि ऋण एम.आई.एस.एस. के तहत ब्याज अनुदान लाभ के लिए पात्र हैं।

भारत सरकार, संशोधित ब्याज सहायता योजना। (एम आई एस एस) के 3 अधीन लाख रू. तक के लघु अवधि फसल ऋण पर ऋण प्रदान करने वाली संस्थाओ जैसे सार्वजनिक क्षेत्र के वाणिज्यिक बैंक, एस एफ वी एस आर आर बीएस, सरकारी बैंक, अनुसूचित वाणिज्यिक से जुड़ी पी ए सी एस को 1.5 % वार्षिक दर से ब्याज सहायता प्रदान करती है। इसके अतिरिक्त फसल ऋण पर देय तारीख या उससे पहले ऋण चुकाने 3% अतिरिक्त प्रोत्साहन दिया जाता हैं। इस प्रकार किसानों के लिए प्रभावी ब्याज दर केवल 4% है। एम आई एस एस में किसान क्रेडिट कार्ड धारक

छोटे किसानों के लिए परक्रम भांडागार रसीद के विरूद्व फसल बाढ़ ऋण भी शामिल हैं। वित्तीय वर्ष 2025–26 के केन्दीय बजट में एम आई एस एस के अधीन किसान क्रेडिट कार्ड के माध्यम से लिए जाने वाला ऋण 3 लाख रू से बढ़ा कर 5 लाख रू कर दिया है।

2.14 प्राथमिकता क्षेत्र ऋण के लिए भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्य निर्देश

भारतीय रिज़र्व बैंक के मुख्य निर्देश (प्राथमिकता क्षेत्र ऋण अध्याय II – प्राथमिकता क्षेत्र के अंतर्गत पात्र श्रेणियों का विवरण), 2025 में यह प्रावधान किया गया है कि कृषि उपज को गिरवी रखने/बंधक रखने के विरुद्ध ऋण भांडागार रसीदों के विरुद्ध प्रदान किया जा सकता है, जैसा कि नीचे बताया गया है:

क) स्वयं सहायता समूह/जे.एल.जी. सहित व्यक्तिगत किसानों को सीधे तौर पर कृषि उत्पाद (भांडागार रसीदों सहित) की गिरवी/बंधक के विरुद्ध एन.डब्ल्यू.आर./इ–एन.डब्ल्यू.आर. के विरुद्ध 12 महीने से अधिक अवधि के लिए 90.00 लाख रुपये तक का ऋण तथा एन.डब्ल्यू.आर./इ–एन.डब्ल्यू.आर. के अतिरिक्त अन्य भांडागार रसीदों के विरुद्ध 60.00 लाख रुपये तक का ऋण।

ख) कॉर्पोरेट किसानों, व्यक्तिगत किसानों के एफ.पी.ओ./एफ.पी.सी. को कृषि उत्पाद (भांडागार रसीदों सहित) की गिरवी/बंधक के विरुद्ध 4 करोड़ रुपये तक का ऋण, एन.डब्ल्यू.आर./इ–एन.डब्ल्यू.आर. के विरुद्ध 12 महीने से अधिक की अवधि के लिए नहीं तथा एन.डब्ल्यू.आर./इ–एन.डब्ल्यू.आर. के अतिरिक्त अन्य भांडागार रसीदों के विरुद्ध 2.5 करोड़ रुपये तक का ऋण।

ग) कृषि साझेदारी फर्म और सहकारी समितियों को उनके उत्पाद के पूर्व निर्धारित मूल्य पर सुनिश्चित विपणन के साथ एफ.पी.ओ./एफ.पी.सी. को प्रति उधारकर्ता इकाई 10 करोड़ रुपये तक का ऋण।

घ) कृषि और संबद्ध गतिविधियों में सीधे तौर पर लगे सदस्यों की उपज की खरीद के लिए ₹10 करोड़ तक का ऋण।

2.15 भांडागारण विकास और विनियामक प्राधिकरण द्वारा अधिसूचित वस्तुएँ

डबल्यू.डी.आर.ए. भारत के राजपत्र के माध्यम से विभिन्न वस्तुओं को अधिसूचित करता है। वस्तुओं को अधिसूचित करने का कानूनी निहितार्थ यह है कि परक्राम्य भांडागार रसीद जारी करने वाले भांडागारों के लिए डब्ल्यू.डी.आर.ए. के साथ पंजीकृत कराना अनिवार्य हो जाता है। इससे इन वस्तुओं का इ–एन.डब्ल्यू.आर. के माध्यम से व्यापार करना सरल होने सहित किसान इ–एन.डब्ल्यू.आर. को गिरवी रख कर शीघ्र ऋण ले सकते हैं। इन वस्तुओं में कृषि तथा गैर–कृषि दोनों प्रकार की वस्तुएँ शामिल है। एफ.एस.एस.ए.आई. द्वारा निर्धारित मानक सरकारी एजेंसियों जैसे एगमार्क वी.आई.एस. मौजूद होने की स्थिति में ही ऐसी वस्तुओं को अधिसूचित किया जाता है। 31.03.2025 की स्थिति

के अनुसार डबल्यू.डी.आर.ए. ने 167 विशिष्ट कृषि वस्तुओं तथा 9 गैर–कृषि वस्तुओं को अधिसूचित किया है। अधिसूचित वस्तुओं की तालिका नीचे दी गई है।

तालिका: 2.9

अधिसूचित कृषि वस्तुओं की सूची	
1.	गेहूँ
2.	चावल
3.	धान
4.	ज्वार
5.	बाजरा
6.	जौ
7.	मक्का
8.	रागी
9.	सोयाबीन
10.	सरसों
11.	रेपसीड
12.	मूंगफली (फलियाँ) बैग
13.	सूरजमुखी तिलहन
14.	कपास के बीज
15.	इमली के बीज
16.	जीरा
17.	अरंडी के बीज
18.	काजू गिरी
19.	सुपारी
20.	काली मिर्च
21.	सौंफ के बीज
22.	मेथी के बीज
23.	ग्वार गम
24.	कुल्थी

अधिसूचित कृषि वस्तुओं की सूची	
25.	इसबगोल
26.	काला चना (आटा)
27.	कॉफ़ी बीन्स
28.	साबूदाना
29.	बाल खोपरा
30.	कप खोपरा
31.	इलायची
32.	उड़द साबुत (ब्लैकग्राम)
33.	उड़द दाल (छिलका सहित)
34.	उड़द दाल (छिलका रहित)
35.	मूंग (साबुत)
36.	मूंग दाल (छिलका सहित)
37.	मूंग (छिलका रहित)
38.	मसूर (लेंटिल) साबुत
39.	मसूर दाल (लेंटिल) छिलका रहित
40.	अरहर/तुर (रेडग्राम) साबुत
41.	अरहर/तुर (रेडग्राम) छिलका रहित
42.	काबुली चना
43.	साबुत चना (बंगाल चना)
44.	छिलका रहित चना/दाल चना
45.	मटकी/मोठ (साबुत)
46.	मटकी/मोठ (छिलका रहित)
47.	पीले मटर (साबुत)
48.	राजमा
49.	लोबिया
50.	कच्चा मिल्ड सुपरफाइन/फाइन चावल
51.	कच्चा मिल्ड मीडियम चावल
52.	कच्चा मिल्ड सामान्य (मोटा) चावल

अधिसूचित कृषि वस्तुओं की सूची	
53.	पारब्वाइल्ड मीडियम चावल
54.	पारब्वाइल्ड मिल्ड सुपरफाइन/फाइन चावल
55.	पारब्वाइल्ड मिल्ड सामान्य (मोटा) चावल
56.	बारीक टूटा हुआ चावल
57.	सामान्य टूटा हुआ चावल
58.	सरसों का तेल
59.	मूंगफली का तेल
60.	तिल (तिल या तिल का तेल)
61.	नारियल का तेल
62.	अलसी का तेल
63.	अरंडी का तेल
64.	नाइजर के बीज का तेल
65.	कुसुम के बीज का तेल
66.	कपास के बीज का तेल
67.	चावल की भूसी का तेल
68.	सोयाबीन का तेल
69.	सूरजमुखी के बीज का तेल
70.	मक्का का तेल
71.	महुआ (मौरा का तेल)
72.	साल का तेल (वसा)
73.	तारामिरा के बीज
74.	तिल के बीज
75.	कुसुम के बीज
76.	अलसी
77.	महुआ के बीज
78.	साल के बीज
79.	नाइजर के बीज
80.	अखरोट

अधिसूचित कृषि वस्तुओं की सूची	
81.	कच्चे काजू
82.	मूंगफली
83.	नारियल
84.	अजवायन के बीज (साबुत और पिसे हुए)
85.	जावित्री
86.	बीजरहित इमली
87.	लौंग
88.	मिश्रित मसाला पाउडर
89.	धूप में सुखाए कच्चे आम के टुकड़े और पाउडर
90.	मिश्रित हींग
91.	जायफल
92.	करी पाउडर
93.	केसर
94.	तेजपात
95.	खसखस
96.	मखाना
97.	मखाना पाउडर
98.	तला हुआ मखाना
99.	ग्वार के बीज
100.	चाय
101.	कॉफ़ी, अरेबिका और रोबस्टा
102.	तंबाकू
103.	रबर
104.	देसी चना
105.	भारतीय चीनी
106.	कपास के बीज का तेल केक
107.	रिफाइंड ब्लीच्ड और दुर्गन्धरहित पामोलीन
108.	रिफाइंड सोया तेल

अधिसूचित कृषि वस्तुओं की सूची	
109.	सोया मील
110.	गुड़
111.	मेंथा तेल
112.	कच्चा पामोलीन तेल
113.	पाश्चुरीकृत मक्खन
114.	घी
115.	स्किम्ड मिल्क पाउडर
116.	ओट्स
117.	सरसों का तेल केक – निकाला हुआ
118.	सरसों का तेल केक – विलायक निष्कर्षित
119.	नीम केक
120.	नीम तेल
121.	नीम के बीज
122.	टैपिओका चिप्स
123.	टैपिओका उत्पाद – पशु आहार
124.	फ्रोजन हरी मटर
125.	फ्रोजन फ्रेंच बीन्स
126.	फ्रोजन फूलगोभी
127.	फ्रोजन पालक
128.	शहद
129.	गन्ने का सिरा
130.	सॉल्वेंट निष्कर्षित मूंगफली का तेल केक
131.	बार्नयार्ड मिलेट
132.	ब्राउनटॉप मिलेट
133.	फॉक्सटेल मिलेट
134.	अदरक बीज
135.	कटहल बीज
136.	कोदो मिलेट

अधिसूचित कृषि वस्तुओं की सूची	
137.	लिटिल मिलेट
138.	प्रोसो मिलेट
139.	कच्चा अरारोट पाउडर
140.	सफेद मटर

बागवानी वस्तुएं	
1.	खाने योग्य आलू (सीआईपीसी के साथ या बिना)
2.	बीज आलू
3.	प्रसंस्करण (सीआईपीसी के साथ आलू)
4.	कैलिफ़ोर्निया भंडारण में सेब
5.	गाजर
6.	नागपुर मंदारिन
7.	खासी/दार्जिलिंग या पूर्वोत्तर संतरे
8.	किन्नू
9.	मौसंबी
10	नींबू
11.	अनार
12.	अंगूर
13.	बादाम
14.	किशमिश
15.	प्याज (ताज़ा या सूखा हुआ)
16.	लहसुन (ताज़ा या सूखा हुआ)
17.	अदरक (ताज़ा या सूखा हुआ)
18.	सूखे खाने योग्य मशरूम
19.	लाल मिर्च
20.	धनिया (सूखा)
21.	दालचीनी
22.	हल्दी

23	इमली
24	खजूर

गैर–कृषि वस्तुओं	
1.	एल्युमिनियम
2.	पीतल
3.	तांबा
4.	सीसा
5.	निकल
6.	जस्ता
7.	टिन
8.	इस्पात
9.	लौह अयस्क

अग्नि प्रवण वस्तुएं	
1.	कच्चा कपास
2.	कपास की गांठें
3.	जूट की गांठें

अध्याय III

भांडागारण विकास और विनियामक प्राधिकरण के कामकाज की समीक्षा

3.1 प्राधिकरण द्वारा हाल ही में की गई पहल

डब्ल्यू डी आरए के विनियामक ढांचे को अपनाने में उद्योग को प्रोत्साहित करने के लिए, प्राधिकरण द्वारा अपनी रूपान्तरण योजना के तहत कई पहल की गईं। पंजीकृत भांडागारों द्वारा जारी की गई इ–एन.डब्ल्यू.आर. की अधिक विश्वसनीयता और स्वीकार्यता बढाने के अलावा भांडागारों के पंजीकरण और विनियमन की प्रक्रिया को सरल बनाया गया। प्राधिकरण द्वारा अपनी रूपान्तरण योजना के तहत प्रस्तावित गतिविधियों को वर्ष 2017–18 के दौरान शुरू किया गया, लेकिन पिछले छह वर्षों के दौरान उनका अधिक प्रभाव देखा जा सकता है।

आरंभ में, भांडागारों के पंजीकरण के लिए आवेदनों की प्रक्रिया में कुशलता लाने और पंजीकरण आवेदन को सरल और उपयोगकर्ता के अनुकूल बनाने के उद्देश्य से 2010 के पंजीकरण नियमों को 2017 के दौरान संशोधित किया गया था। 1 नवंबर, 2017 से आवेदनों के प्रसंस्करण समय को और कम करने के लिए पूरी पंजीकरण प्रक्रिया को ऑनलाइन कर दिया गया था। 26 सितंबर, 2017 को प्राधिकरण द्वारा इलेक्ट्रॉनिक परक्राम्य भांडागार रसीद की प्रणाली भी शुरू की गई। इलेक्ट्रोनिक परक्राम्य भांडागार रसीदों के सृजन और प्रबंधन को सुविधाजनक बनाने के लिए प्राधिकरण के साथ दो रिपॉजिटरी पंजीकृत किए गए थे। प्राधिकरण द्वारा उठाए गए अन्य प्रमुख कदमों में प्रतिभूति जमा पर अधिसूचना, भांडागारों के निरीक्षण के आवंटन की प्रक्रिया का डिजिटलीकरण और पंजीकृत भांडागारों में विभिन्न प्रमुख लेनदेन की ऑनलाइन निगरानी की प्रक्रिया, पंजीकृत भांडागारों द्वारा जारी इ–एन.डब्ल्यू.आर. की ऑनलाइन निगरानी और अधिक पारदर्शिता और विश्वास लाने के लिए बैंकों और कमोडिटी डेरिवेटिव एक्सचेंजों जैसे विभिन्न हितधारकों को इ–एन.डब्ल्यू.आर. प्रणाली से जोड़ना शामिल है। इ–एन.डब्ल्यू.आर. प्रणाली को इलेक्ट्रॉनिक राष्ट्रीय कृषि बाजार (ई–एनएएम) प्लेटफॉर्म के साथ भी एकीकृत किया गया है, जिसे सरकार द्वारा इस इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म पर किसानों की उपज के व्यापार में कुशलता के लिए शुरू किया गया है।

डब्ल्यूडीआरए ने गैर–कृषि वस्तुओं को शामिल करने के लिए अपनी भूमिका का विस्तार करने में भी प्रगति की है। खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग द्वारा 9 धातुओं, मिश्र धातुओं और अयस्कों की अधिसूचना के लिए सैद्धांतिक मंजूरी देने के बाद, 13 सितंबर 2021 को एक 'चर्चा पत्र' प्रकाशित किया गया । बीआईएस, सेबी, एमसीएक्ससीसीएल, एनसीसीएल, एनईआरएल, सीसीआरएल और भांडागारण संस्थाओं जैसे हितधारकों से परामर्श किया गया और संबंधित एसओपी और निरीक्षण दिशानिर्देशों को अंतिम रूप दिया गया। आवश्यकताओं के आधार पर, 9 गैर–कृषि वस्तुओं और संबंधित आवेदन शुल्क, नेटवर्थ आवश्यकताओं के लिए राजपत्र अधिसूचना के प्रस्ताव तैयार

किए गए। इसके साथ ही, भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा प्रकाशित भारतीय राष्ट्रीय मानकों के साथ अंतर्राष्ट्रीय मानकों में निर्दिष्ट अधिसूचित गैर–कृषि वस्तुओं अथात् अल्युमिनियम, पीपल, ताँवा, सीसा, निकल, जस्ता, टिन, इस्पात तथा लौह अयस्क के ग्रेड की अनुकूलता सुनिश्चित की गई। पंजीकृत भांडागारों में 9 गैर–कृषि वस्तुओं के भंडारण के लिए राजपत्र अधिसूचना जुलाई, 2022 में प्रकाशित की गई थी। गैर–कृषि वस्तुओं हेतु इ–एन डब्ल्यू आर के लिए दर 17.03.2025 को जारी की गई।

गैर–कृषि वस्तुओं के भंडारण वाले भांडागारों से संबंधित आवेदन शुल्क और नेटवर्थ आवश्यकता के लिए राजपत्र अधिसूचना अप्रैल, 2022 में प्रकाशित की गई थी। गैर–कृषि वस्तुओं के उच्च मूल्य को ध्यान में रखते हुए, नेटवर्थ आवश्यकताओं को बढ़ाया गया और सरलीकरण के लिए, भंडारण क्षमता के आधार पर स्लैबो की कुल संख्या 14 से घटाकर 5 कर दी गई। गैर–कृषि वस्तुओं के लिए आवेदन शुल्क के स्लैब को भी कृषि वस्तुओं के लिए 7 स्लैबो से घटाकर 3 कर दिया गया।

भांडागारण क्षेत्र में व्यापार में आसानी को बढ़ावा देने के लिए, भांडगारो के पंजीकरण के लिए आवश्यक निवल मूल्य को और अधिक युक्तिसंगत बनाया गया है, जैसा कि दिनांक 18.09.2023 के राजपत्र अधिसूचना के माध्यम से नीचे दर्शाया गया है:

भंडारण क्षमता (मीट्रिक टन)	**निवल मूल्य (करोड़ रुपए में)**
500 तक	0.04
501 – 1,000	0.08
1,001 – 1,500	0.12
1,501 – 2,000	0.16
2001 मीट्रिक टन और उससे अधिक क्षमता	क्षमता (एमटी में) *1000 रुपये = आवश्यक निवल मूल्य* अधिकतम सीमा 50 करोड़ रुपये

टिप्पणी:– जहां आवेदक या भांडागारपाल कृषक उत्पादक संगठन या प्राथमिक कृषि सहकारी ऋण समिति या स्वयं सहायता समूह है, वहां तालिका में निर्दिष्ट निवल संपत्ति की अपेक्षा लागू नहीं होगी, लेकिन घाटा निवल संपत्ति नहीं होनी चाहिए।

*उदाहरण: 10000 मीट्रिक टन क्षमता वाले भांडागार के लिए न्यूनतम निवल मूल्य 1,00,00,000/– रुपए होना आवश्यक है (10000 मीट्रिक टन *1000 रुपए = 1,00,00,000 रुपए)।

डब्ल्यूडीआरए के साथ भांडागारों के पंजीकरण को बढ़ावा देने के लिए, कृषि वस्तुओं के भंडारण वाले भांडागारों के पंजीकरण के लिए आवेदन शुल्क को अक्टूबर 2022 से एक वर्ष के लिए माफ कर दिया गया था। भांडागारों के पंजीकरण और नवीनीकरण दोनों के लिए यह शुल्क माफी 25 अक्टूबर, 2025 तक बढ़ा दी गई है।

वित्तीय वर्ष 2024–25 में निरीक्षण एजेंसियों, भांडागार कर्मियों और किसानों के लिए अभिविन्यास कार्यक्रम आयोजित किए गए ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि वे प्रमुख आवश्यकताओं को समझें और वस्तुओं के भंडारण वाले भांडागारों के भंडारण एवं निरीक्षण से संबन्धित प्रावधानों के सफल कार्यान्वयन में अपनी भूमिका निभाएँ। डब्ल्यूडीआरए में आंतरिक कुशलताओं को भी साथ–साथ बढ़ाया जा रहा है।

पंजीकरण संबंधी मुद्दों पर त्वरित कार्रवाई, आवेदकों को सहायता और मार्गदर्शन प्रदान करने के लिए 07 दिसंबर 2022 को एक कॉल सेंटर ने काम करना शुरू कर दिया। कॉल सेंटर ने वित्त वर्ष 2023–24 के दौरान 1171 टिकट जारी किए।

आवेदकों के साथ बेहतर संवाद और आवेदन संबंधी मुद्दों पर मौके पर ही मार्गदर्शन के लिए विभिन्न राज्यों में आउटरीच कार्यक्रम जारी रहे। ऐसा होने से पंजीकरण में भी वृद्धि में योगदान मिला।

3.1.1 भांडागार पंजीकरण नियमों में संशोधन एवं अन्य अद्यतन

भांडागारण (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 2007, 25 अक्टूबर 2010 को लागू हुआ और डब्ल्यूडीआरए का गठन 26 अक्टूबर 2010 को अधिनियम की धारा 24 के अंतर्गत किया गया। डब्ल्यूडीआरए द्वारा देश भर में अपने पंजीकृत भांडागार के लिए परक्राम्य भांडागार रसीद प्रणाली शुरू की गई। इसका उद्देश्य भांडागारों का विनियमन करना, भांडागार रसीदों की परक्राम्यता में सुधार करना, विश्वसनीयता बढ़ाना, धोखाधड़ी रोकना और भंडारित वस्तुओं की गुणवत्ता बनाए रखने के लिए अच्छी भांडागारण प्रणालियों को बढ़ावा देना है।

प्राप्त अनुभव के आधार पर, संबंधित नियमों और विनियमों में पिछले कुछ वर्षों में कतिपय परिवर्तन हुए और 23 फरवरी, 2017 को अधिसूचित नए पंजीकरण नियम में से पुराने पंजीकरण नियम 2010 की तुलना में सरलीकरण और सुधार लाया गया। इसका उद्देश्य प्रक्रियाओं को सरल बनाना, विभिन्न प्रक्रियाओं के लिए समय–सीमा निर्धारित करना और पूरी प्रणाली को पारदर्शी बनाना था।

पुराने नियमों की तुलना में 2017 के नए पंजीकरण नियमों में प्रमुख परिवर्तन निम्नलिखित हैं:

तालिका 3.1

क्रम संख्या	भांडागारण (विकास और विनियमन) भांडागार पंजीकरण नियम, 2010	भाडांगारण (विकास और विनियमन) भांडागार पंजीकरण नियम, 2017
1	पंजीकरण से पहले किसी मान्यता एजेंसी से मान्यता प्राप्त करना आवश्यक था	पंजीकरण से पहले किसी मान्यता की आवश्यकता नहीं है। डब्ल्यूडीआरए द्वारा पंजीकरण हेतु आवेदन प्राप्त होने के बाद, पंजीकरण से पहले पात्र आवेदक भांडागार का भौतिक निरीक्षण किया जाना आवश्यक है।

2	एक आवेदन में अनिवार्य रूप से केवल एक भांडागार को ही कवर करना था	एक आवेदन में एक ही आवेदक के एक या एक से अधिक भांडागार हो सकते हैं
3	पंजीकरण अवधि 3 वर्ष की थी	पंजीकरण 5 वर्षों के लिए है
4	भांडागार की क्षमता पर ध्यान दिए बिना केवल सकारात्मक नेटवर्थ की आवश्यकता थी	अब नेटवर्थ भांडागार की क्षमता के अनुसार निर्दिष्ट किया गया है
5	पंजीकरण शुल्क के बराबर प्रतिभूति जमा राशि जमा करनी थी	जारी की गई परक्राम्य भांडागार रसीदों के कुल मूल्य के आधार पर अधिक उपयुक्त और गतिशील प्रतिभूति जमा प्रस्तुत किया जाना है।
6	मानक परिचालन प्रक्रिया (एसओपी) और अपने जमाकर्ता को जानो (केवाईडी) प्रक्रिया का प्रावधान नहीं था	केवाईडी और एसओपी की आवश्यकता को पूरी तरह से परिभाषित किया गया है
7	रेपोजिटरी के माध्यम से इलेक्ट्रॉनिक परक्राम्य भांडागार रसीदों (इ–एन.डब्ल्यू. आर.) में हस्तांतरण प्रदान नहीं किया गया था	अब यह प्रदान किया गया है

नवंबर 2021 में पंजीकरण नियमों में और संशोधन किया गया, जिसके तहत स्वयं सहायता समूहों के लिए भांडागारों के पंजीकरण हेतु आवेदन शुल्क 5,000 रुपये से घटाकर 500 रुपये कर दिया गया ताकि छोटी क्षमता वाले फार्मगेट भांडागार की भागीदारी बढ़ाई जा सके। प्राथमिक कृषि सहकारी समितियों के सीमित संसाधनों को देखते हुए, रियायती भांडागार पंजीकरण शुल्क की सुविधा उन्हें भी प्रदान की गई।

दिनांक 07/05/2021 के परिपत्र के माध्यम से, भांडागार पंजीकरण प्रमाणपत्र की वैधता में एकमुश्त सुधार की सुविधा दी गई थी, बशर्ते कि प्रतिभूति जमा अवधि के लिए वैध हो।

भांडागार पंजीकरण प्रक्रिया को 08 सितंबर 2021 के परिपत्र द्वारा और सरल और त्वरित किया गया, जिससे आवेदकों को पंजीकरण के अंतिम चरण में भी बीमा अनुपालन प्रस्तुत करने की अनुमति मिल गई, जबकि पहले इसे अग्रिम रूप से प्रस्तुत करने की आवश्यकता थी। इस परिवर्तन ने पंजीकरण आवेदन के लंबित रहने के दौरान आवेदक जब वस्तुओं का भंडारण करने और इ–एन.डब्ल्यू.आर. जारी करने में सक्षम नहीं होता है, वित्तीय बोझ को भी काफी हद तक कम कर दिया, इसके अलावा, 03 जून, 2022 के एक परिपत्र के माध्यम से स्व–घोषणा पर आधारित एक नई बीमा व्यवस्था भी शुरू की गई। नई बीमा व्यवस्था में, कोई भांडागारपाल पंजीकरण की तारीख से पहले छह महीनों में संग्रहीत किए जाने वाले स्टॉक के स्व–घोषित मूल्य के आधार पर भांडागार पंजीकृत कर सकता है, बशर्ते स्टॉक का न्यूनतम मूल्य 1,00,000/– रुपये हो।

"गैर-कृषि वस्तुओं" और "कृषि एवं गैर-कृषि दोनों वस्तुओं को एक साथ" संग्रहीत करने वाले भांडागारों के लिए आवेदन शुल्क और निवल मूल्य की आवश्यकता के लिए राजपत्र अधिसूचना अप्रैल 2022 में प्रकाशित की गई थी। गैर-कृषि वस्तुओं के उच्च मूल्य को ध्यान में रखते हुए, निवल मूल्य की आवश्यकता को बढ़ाया गया है और भंडारण क्षमता के आधार पर स्लैब की कुल संख्या 14 से घटाकर 5 कर दी गई है। इसी प्रकार, गैर-कृषि वस्तुओं के लिए आवेदन शुल्क के स्लैब भी कृषि वस्तुओं के लिए मौजूदा 7 स्लैब से घटाकर 3 कर दिए गए हैं। भांडागारण क्षेत्र में व्यापार करने में आसानी को के लिए, 18 सितंबर, 2023 की और राजपत्र अधिसूचना द्वरा से भांडागारों के पंजीकरण के लिए आवश्यक निवल मूल्य को और अधिक युक्तिसंगत बनाया गया है।

डब्ल्यूडीआरए के साथ पंजीकरण की सुविधा के लिए, कृषि वस्तुओं के भंडारण वाले भांडागार के पंजीकरण के लिए आवेदन शुल्क अक्टूबर 2022 से एक वर्ष के लिए माफ कर दिया गया था। भांडागारों के पंजीकरण और नवीनीकरण दोनों के लिए इस शुल्क माफी को 25 अक्टूबर, 2025 तक बढ़ा दिया गया है।

3.1.2 आवेदन शुल्क आवश्यकताएँ

भांडागार के पंजीकरण के लिए वर्तमान आवेदन शुल्क संरचना निम्नानुसार है:

तालिका 3.2 कृषि भांडागार

भांडागार की क्षमता	शुल्क (वापसी योग्य नहीं)
प्रत्येक 500 मीट्रिक टन क्षमता का भांडागार	5,000 रुपये
500 मीट्रिक टन से अधिक लेकिन 1,000 मीट्रिक टन से कम या उसके बराबर क्षमता वाला प्रत्येक भांडागार	7,500 रुपये
1,000 मीट्रिक टन से अधिक लेकिन 2,500 मीट्रिक टन से कम या उसके बराबर क्षमता वाला प्रत्येक भांडागार	10,000 रुपये
2,500 मीट्रिक टन से अधिक लेकिन 5,000 मीट्रिक टन से कम या उसके बराबर क्षमता वाला प्रत्येक भांडागार	15,000 रुपये
5,000 मीट्रिक टन से अधिक लेकिन 10,000 मीट्रिक टन से कम या उसके बराबर क्षमता वाला प्रत्येक भांडागार	20,000 रुपये
10,000 मीट्रिक टन से अधिक लेकिन 25,000 मीट्रिक टन से कम या उसके बराबर क्षमता वाला प्रत्येक भांडागार	25,000 रुपये
25,000 मीट्रिक टन से अधिक क्षमता वाला प्रत्येक भांडागार	30,000 रुपये

टिप्पणी:

1. किसान उत्पादक संगठन (एफ.पी.ओ.), प्राथमिक कृषि सहकारी ऋण समिति (पी.एसी.एस.) और स्वयं सहायता समूह के भांडागारों के पंजीकरण के लिए आवेदन शुल्क उनकी क्षमता के बावजूद केवल 500 रुपये है।
2. डब्ल्यूडीआरए के साथ पंजीकरण की सुविधा के लिए, कृषि वस्तुओं के भंडारण वाले भांडागारों के पंजीकरण के लिए आवेदन शुल्क अक्टूबर 2022 से एक वर्ष के लिए माफ कर दिया गया था। भांडागारों के पंजीकरण और नवीनीकरण दोनों के लिए इस शुल्क माफी को 25 अक्टूबर, 2025 तक बढ़ा दिया गया है।

तालिका 3.3 गैर–कृषि भांडागार (केवल "गैर–कृषि" या "कृषि और गैर–कृषि दोनों वस्तुओं का एक साथ भंडारण")

भांडागार की क्षमता	*शुल्क (वापसी योग्य नहीं)
10,000 मीट्रिक टन क्षमता का प्रत्येक भांडागार	50,000 रुपये
10,000 मीट्रिक टन से अधिक लेकिन 25,000 मीट्रिक टन से कम या उसके बराबर क्षमता वाला प्रत्येक भांडागार	75,000 रुपये
25,000 मीट्रिक टन से अधिक क्षमता क्षमता वाल प्रत्येक भांडागार	रु. 1,00,000/–

*अप्रैल 2022 में अधिसूचित।

3.1.3 पंजीकरण के लिए न्यूनतम नेटवर्थ आवश्यकता

भांडागारों के पंजीकरण हेतु भांडागार (विकास एवं विनियमन) नियम, 2017 के नियम 18 में प्राधिकरण के पास भांडागारों के पंजीकरण हेतु न्यूनतम निवल मूल्य की आवश्यकता का विवरण दिया गया है, जिसका विस्तृत विवरण नियमों की सातवीं अनुसूची में दर्ज है। निवल मूल्य की आवश्यकता को भांडागार की क्षमता से जोड़ा गया है। किसान उत्पादक संगठनों (एफ.पी.ओ.) और प्राथमिक कृषि ऋण सहकारी समितियों के लिए, निवल मूल्य वाला घाटा नहीं होना चाहिए। अन्य संगठनों के लिए वर्तमान निवल मूल्य आवश्यकता का विवरण नीचे दिया गया है:

तालिका 3.4 भांडागारों के पंजीकरण के लिए न्यूनतम निवल मूल्य

भंडारण क्षमता (मीट्रिक टन)	निवल मूल्य (करोड़ रुपए में)
500 मी. टन तक	0.04
501 – 1,000	0.08
1,001 – 1,500	0.12
1,501 – 2,000	0.16
2001 मीट्रिक टन और उससे अधिक क्षमता	क्षमता (एमटी में) *1000 रुपये = आवश्यक निवल मूल्य* अधिकतम सीमा 50 करोड़ रुपये

टिप्पणी:

जहां आवेदक या भांडागारपाल कृषक उत्पादक संगठन या प्राथमिक कृषि सहकारी ऋण समिति या स्वयं सहायता समूह है, वहां तालिका में निर्दिष्ट निवल संपत्ति की अपेक्षा लागू नहीं होगी, किन्तु इसमें घाटा संपत्ति नहीं होनी चाहिए।

उदाहरण: 10000 मीट्रिक टन क्षमता वाले भांडागार के लिए न्यूनतम निवल मूल्य 1,00,00,000/– रुपये होना आवश्यक है (10000 मीट्रिक टन 1000 रुपये = 1,00,00,000 रुपये)

*18 सितंबर, 2023 को अधिसूचित

3.1.3.1: संसद या राज्य विधानमंडल के अधिनियम के तहत बनाई गई किसी भी इकाई के लिए न्यूनतम निवल मूल्य आवश्यकताओं में छूट:

संसद या राज्य विधानमंडल के अधिनियम के तहत बनाई गई संस्थाओं को अनुमति देने के लिए, 12 जुलाई, 2023 के नियमों में संशोधन के माध्यम से न्यूनतम निवल मूल्य आवश्यकताओं में ढील दी गई थी। संशोधन निम्नलिखित प्रदान करता है:

"प्राधिकरण संसद या राज्य विधानमंडल के अधिनियम के तहत बनाई गई किसी भी इकाई को, जो सातवीं अनुसूची में निर्दिष्ट न्यूनतम निवल मूल्य की आवश्यकता को पूरा नहीं करती है, नौवीं अनुसूची में संलग्न फॉर्म में निर्दिष्ट क्षतिपूर्ति बांड प्रस्तुत करने की अनुमति दे सकता है, जो संबंधित राज्य सरकार द्वारा निष्पादित किया गया हो और उसके निदेशक मंडल से एक संकल्प जो इस तरह के क्षतिपूर्ति बांड को प्रस्तुत करने की पुष्टि करता है, पंजीकरण के लिए उसके आवेदन के साथ" और " क्षतिपूर्ति बांड का मूल्य नकारात्मक निवल संपत्ति के योग और भांडागारपाल के लिए न्यूनतम निवल संपत्ति की आवश्यकता के बराबर होगा जो प्राधिकरण द्वारा समीक्षा के अधीन होगा"

3.1.4 5 वर्ष से कम अवधि के लिए भांडागारों का पंजीकरण

पंजीकरण नियम, 2017 के अनुसार, भांडागार का पंजीकरण पाँच वर्ष की अवधि के लिए किया जाना चाहिए और जमा की जाने वाली प्रतिभूति जमा (एसडी) पंजीकरण अवधि के बाद छह महीने की अवधि के लिए होनी चाहिए। व्यावसायिक आवश्यकता और प्रतिभूति जमा (एसडी) की सीमाओं के आधार पर, कभी–कभी आवेदक 18 महीने से लेकर 60 महीने से कम अवधि के लिए पंजीकरण चाहते हैं।

आवेदन जमा करते समय, कुछ आवेदकों ने अनजाने में पंजीकरण अवधि 60 महीने से कम चुन ली, जबकि प्रतिभूति जमा राशि लंबी अवधि (यहाँ तक कि पूरी 60 महीने की अवधि. 6 महीने तक) के लिए उपलब्ध थी। पंजीकरण अवधि में संशोधन के लिए कई अनुरोध प्राप्त हो रहे थे। इस पर विचार करते हुए, मई 2021 से, पंजीकरण अवधि में एकमुश्त संशोधन की अनुमति दी गई है, बशर्ते कि अनुरोध की पूरी अवधि (अधिकतम पाँच वर्ष) और 6 महीने के लिए आवश्यक मूल्य की प्रतिभूति जमा राशि उपलब्ध होने की अन्य आवश्यक शर्त पूरी हो।

3.1.5 प्रतिभूति जमा (एसडी)

पंजीकरण की अवधि के दौरान भांडागारपाल को प्राधिकरण के पास एक प्रतिभूति जमा रखना होगी, जिसके दो घटक हैं, अर्थात् निश्चित और गतिशील प्रतिभूति जमा – निश्चित प्रतिभूति जमा राशि, भांडागारण विकास और विनियामक प्राधिकरण के साथ पंजीकृत भांडागारपाल से संबंधित प्रत्येक भांडागारपाल के लिए है, जबकि गतिशील प्रतिभूति जमा राशि, पूर्ववर्ती माह के दौरान किसी भी दिन भांडागारपाल के सभी पंजीकृत भांडागारों में बकाया परक्राम्य भांडागार रसीदों के अधिकतम मूल्य का प्रतिशत है।

वित्त वर्ष 2024–25 में लागू एस.डी. की आवश्यकता निम्नानुसार है:

1. 2,000 मीट्रिक टन तक की क्षमता वाले भांडागारपाल के लिए

डब्ल्यूडीआरए के साथ पंजीकृत भांडागारपाल से संबंधित 2,000 मीट्रिक टन तक की कुल क्षमता वाले भांडागार के लिए, सावधि जमा 50,000 रुपये प्रति भांडागार है (जैसा कि भांडागार के पंजीकरण के लिए नीचे कॉलम क में विस्तृत है), जबकि गतिशील प्रतिभूति जमा पिछले महीने के दौरान किसी भी दिन भांडागारपाल के सभी पंजीकृत भांडागार में बकाया परक्राम्य भांडागार रसीदों के अधिकतम मूल्य का 1% (एक प्रतिशत) है , जिसे नीचे तालिका 3.6 के कॉलम रव में उल्लिखित टी के रूप में संदर्भित किया गया है। डब्ल्यूडीआरए के साथ पंजीकृत सभी भांडागार की कुल क्षमता 2,000 मीट्रिक टन तक वाले भांडागारपाल के लिए क और ख की राशि की कुल प्रतिभूति जमा, नीचे तालिका 3.6 के कॉलम ग में विस्तृत कुल प्रतिभूति जमा तक सीमित होगी:

तालिका 3.6

कुल भांडागार क्षमता (मीट्रिक टन में) भांडागारपाल के लिए	निश्चित प्रतिभूति जमा	गतिशील प्रतिभूति जमा	कुल प्रतिभूति जमा निम्न तक सीमित राशि
	क	ख	ग
100 मीट्रिक टन तक	50,000/– रुपये प्रति भांडागार	शून्य	कुल 50,000 रुपये/– तक सीमित
101–500 मीट्रिक टन	50,000/– रुपये प्रति भांडागार	टी का 1%	कुल 1.50 लाख रुपये तक सीमित
501–1,000 मीट्रिक टन	50,000/– रुपये प्रति भांडागार	टी का 1%	कुल 2.50 लाख रुपये तक सीमित
1,001–1,500 मीट्रिक टन	50,000/– रुपये प्रति भांडागार	टी का 1%	कुल 3.50 लाख रुपये तक सीमित
1,501–2,000 मीट्रिक टन	50,000/– रुपये प्रति भांडागार	टी का 1%	कुल 4.50 लाख रुपये तक सीमित

2. 2,000 मीट्रिक टन से अधिक क्षमता वाले भांडागारपालों के लिए

डब्ल्यूडीआरए के साथ पंजीकृत 2,000 मीट्रिक टन से अधिक की कुल क्षमता वाले भांडागारपालो के मामले में, निश्चित प्रतिभूति जमा 1 लाख रुपये प्रति भांडागार है (भांडागार के पंजीकरण के लिए नीचे तालिका 3.7 में कॉलम जेड में विस्तृत), जबकि गतिशील प्रतिभूति जमा पिछले महीने के दौरान किसी भी दिन सभी पंजीकृत भांडागारों में बकाया परक्राम्य भांडागार रसीदों के अधिकतम मूल्य का एक प्रतिशत है, जिसे नीचे दी गई तालिका में टी के रूप में संदर्भित किया गया है। कॉलम एक्स पिछले स्लैब में आवश्यक गतिशील प्रतिभूति जमा है जबकि कॉलम वाई गतिशील प्रतिभूति जमा के लिए संदर्भित स्लैब में आवश्यक प्रतिभूति जमा है। इस मामले में, एसडी का मूल्य नीचे दी गई तालिका 3.7 में उल्लिखित कॉलम एक्स, वाई और जेड का कुल योग होगाः—

तालिका 3.7

स्लैब	गतिशील प्रतिभूति जमा		
	एक्स	वाई	जेड
टी कम या बराबर है 25 करोड़ रुपये तक	0	टी का 1%	1 लाख रुपये प्रति भांडागार
टी 25 करोड़ रुपये से अधिक है और 250 करोड़ तक	25 लाख रुपये	टी का 0.75%	1 लाख रुपये प्रति भांडागार
टी 250 रुपये से ऊपर है करोड़ से 2,500 तक करोड़	1.937 करोड़	टी का 0.50%	1 लाख रुपये प्रति भांडागार
टी 2,500 करोड़ रुपये से अधिक है	13.187 करोड़	टी का 0.25%	1 लाख रुपये प्रति भांडागार

क. जहां आवेदक/भांडागारपाल कोई किसान उत्पादक संगठन या प्राथमिक कृषि सहकारी ऋण समिति या स्वयं सहायता समूह के लिए, कुल प्रतिभूति जमा 50,000 रुपये (पचास हजार रु. (कुल) प्रति भांडागार होगी, जिसमें गतिशील और निश्चित प्रतिभूति जमा दोनों शामिल होंगी।

ख. प्रतिभूति जमा बैंक सावधि जमा या डब्ल्यूडीआर के पक्ष में बैंक गारंटी (प्रारूप के अनुसार) के रूप में प्रस्तुत किया जा सकती है।

ग. संसद या राज्य विधानमंडल के अधिनियम के तहत गठित कोई भी संस्था प्रतिभूति जमा के रूप में आवश्यक राशि का क्षतिपूर्ति बांड प्रदान कर सकती है। प्राधिकरण द्वारा क्षतिपूर्ति बांड प्रस्तुत करने की अनुमति प्राप्त संस्था को पंजीकरण हेतु अपने आवेदन के साथ, अपने निदेशक मंडल द्वारा ऐसा क्षतिपूर्ति बांड प्रस्तुत करने हेतु प्राधिकृत करने वाला एक प्रस्ताव प्रस्तुत करना होगा।

घ. प्रतिभूति जमा को प्रत्येक माह के अंत में पिछले माह में भांडागारपाल द्वारा जारी किए गए कुल इ–एन.डब्ल्यू.आर. के उच्चतम मूल्य के आधार पर अद्यतन करना होगा।

ड. स्थायी प्रतिभूति जमा को पंजीकरण अवधि के बाद छह महीने की अवधि के लिए बनाए रखा जाएगा, जबकि गतिशील प्रतिभूति जमा को प्रत्येक महीने के अंत में अद्यतन किया जाएगा और प्राधिकरण को प्रस्तुत किया जाएगा।

च. गतिशील प्रतिभूति जमा की वैधता न्यूनतम छह महीने की अवधि के लिए रखी जा सकती है ताकि इस अवधि के दौरान प्रतिभूति जमा की आवश्यकता में किसी भी परिवर्तन का ध्यान रखा जा सके।

छ. प्राधिकरण अपने विवेकानुसार, भांडागारपाल द्वारा पहले से दी गई प्रतिभूति जमा राशि को प्रतिभूति जमा के रूप में दी जाने वाली अपेक्षित राशि के विरुद्ध समायोजित कर सकता है।

ज. प्रतिभूति जमा राशि भांडागार के पंजीकरण की समाप्ति, रद्दीकरण या समर्पण के छह महीने बाद तक जारी नहीं की जाएगी।

3.1.6 प्राथमिक कृषि ऋण सहकारी समितियों किसान उत्पादक संगठन के स्वामित्व वाले भांडागारों के लिए विशेष छूट

प्राधिकरण को राज्य स्तरीय सहकारी समितियों, विशेष रूप से प्राथमिक कृषि ऋण सहकारी समितियों और किसान उत्पादक संगठनों द्वारा संचालित भांडागार के पंजीकरण हेतु बड़ी संख्या में आवेदन प्राप्त होते हैं, जो ग्रामीण क्षेत्रों में किसानों के निकट छोटी क्षमता वाले भांडागारों का संचालन करते हैं। ये किसान–प्रधान संस्थाएँ मुख्य रूप से सदस्य किसानों की भंडारण संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करने के अलावा, उनके द्वारा जमा किए गए माल के बदले उन्हें वित्तीय सहायता भी प्रदान करती हैं। चूँकि ये भांडागार छोटी क्षमता के हैं और इनमें वैज्ञानिक भांडागारों को चलाने के लिए पर्याप्त संसाधन और पेशेवर क्षमता नहीं है, इसलिए इन्हें सुधार के लिए सहायता की आवश्यकता है। उनकी बाधाओं को ध्यान में रखते हुए, पंजीकरण हेतु वित्तीय और अवसंरचनात्मक आवश्यकताओं के संदर्भ में उन्हें कई छूट प्रदान की गई हैं:

(क) पैक्स/एफ.पी.ओ. से संबंधित भांडागारों को उपलब्ध वित्तीय रियायतः

i. पंजीकरण शुल्क केवल 500 रुपये है, जबकि अन्य के लिए यह 20,000 से 30,000 रुपये है (500 रुपये का यह शुल्क अक्टूबर 2022 से एक वर्ष के लिए माफ कर दिया गया है)। और भांडागारों के पंजीकरण और नवीनीकरण दोनों के लिए इसे 25 अक्टूबर 2025 तक बढ़ा दिया गया है।

ii. क्षमता पर ध्यान दिए बिना घाटा नेटवर्थ नहीं होनी चाहिए, जबकि अन्य के लिए इसे भांडागार की क्षमता के संबंध में निर्दिष्ट किया जाता है।

iii. प्रतिभूति जमा राशि बैंक गारंटी या बैंक एफडी के रूप में प्रति भांडागार 50,000 रुपये है (इसके द्वारा जारी किए गए ईएनडब्ल्यूआर के मूल्य पर ध्यान दिए बिना निश्चित), जबकि अन्य के लिए यह "50,000 रुपये (2,000 मीट्रिक टन क्षमता तक के भांडागारों के लिए) और 1 लाख रुपये (2,000 मीट्रिक टन क्षमता से अधिक के भांडागारों के लिए)" प्लस जारी किए गए इ–एन.डब्ल्यू.आर. के मूल्य का एक प्रतिशत है।

iv. उपरोक्त में से प्रथम दो रियायतें (i) एवं (ii) स्वयं सहायता समूहो को भी दी गई हैं।

(ख) प्राधिकरण द्वारा पैक्स भांडागार (रों) को पंजीकरण हेतु प्रदान की गई बुनियादी ढांचे की आवश्यकताओं में छूटः

i. यदि भांडागार किसी ऊंचे, अच्छी तरह से जल निकासी वाले स्थान पर स्थित है, जहां बाढ़/जलप्लावन की संभावना नहीं है, तथा वह ऐसे स्थान से दूर है, जहां रिसाव वाले पानी से प्रभावित होने की संभावना है, तो कम से कम 30 सेमी की प्लीन्थ की ऊंचाई स्वीकार की जा सकती है।

ii. पैक्स भांडागार के मामले में पंजीकृत की जाने वाली क्षमता की न्यूनतम सीमा 100 मीट्रिक टन है।

iii. पैक्स भांडागार के मामले में वाहनों के लिए पार्किंग और संचालन स्थान की उपलब्धता पर जोर नहीं दिया जाएगा, क्योंकि ये किसानों के लाभ के लिए संचालित छोटी क्षमता वाली इकाइयां हैं।

iv. भांडागार में गलियारों के लिए उचित स्थान छोड़ते हुए स्टैक योजना बनाई जानी चाहिए।

v. भांडागार में माल के भंडारण और संरक्षण के लिए समिति के सचिव के अलावा पैक्स का एक और कर्मचारी (पूर्ण या अंशकालिक आधार पर) नियुक्त होना चाहिए। भांडागार के पंजीकरण के लिए सुरक्षा गार्ड की उपलब्धता वांछनीय हो सकती है, लेकिन इस पर ज़ोर नहीं दिया जाएगा।

vi. पक्की चारदीवारी/कांटेदार तार की बाड़ की उपलब्धता पर ज़ोर नहीं दिया जाएगा। हालाँकि, भांडागारों में ताला लगाने और स्टॉक की सुरक्षा/बचाव के लिए पर्याप्त व्यवस्था होनी चाहिए।

vii. 500 मीट्रिक टन क्षमता तक के पैक्स भांडागारों में कम से कम एक अग्निशामक यंत्र (अपेक्षित प्रकार का) और छह अग्निशामक बाल्टियाँ होनी चाहिए। 500 मीट्रिक टन से अधिक क्षमता वाले भांडागारों के लिए, अन्य भांडागारों के लिए निर्धारित मानदंडों का पालन किया जाएगा, अर्थात 1,500 मीट्रिक टन तक की क्षमता के लिए अग्निशामक यंत्र और पंद्रह अग्निशामक बाल्टियाँ आवश्यक हैं।

3.1.7 छोटे भांडागारों के लिए छूट

प्राधिकरण को छोटे भांडागारों से पंजीकरण शुल्क, निवल मूल्य, सुरक्षा आदि की आवश्यकता को कम करने के अनुरोध प्राप्त हो रहे हैं ताकि ग्रामीण क्षेत्रों में किसानों को सेवाएँ प्रदान की जा सकें। छोटे भांडागारों के संचालन में आने वाली व्यावहारिक समस्याओं को ध्यान में रखते हुए और उन्हें पंजीकरण के लिए प्रोत्साहित करने के लिए, प्राधिकरण ने सरकार की स्वीकृति से निम्नलिखित शर्तों में ढील दी हैः–

(i) 5,000 मीट्रिक टन क्षमता तक के भांडागार के लिए पंजीकरण शुल्क 20,000 रुपये से घटाकर विभिन्न क्षमता स्लैबों में "5,000 रुपये से 15,000 रुपये" की बीच की सीमा तक कर दिया गया है (यह कम किया गया शुल्क 25 अक्टूबर 2025 तक माफ कर दिया गया है) ।

(ii) 10,000 मीट्रिक टन क्षमता तक के भांडागार के लिए निवल संपत्ति की आवश्यकता को "0.50 करोड़ रुपये – 5.00 करोड़ रुपये" की सीमा से घटाकर "0.04 करोड़ रुपये से 1.00 करोड़ रुपये" की सीमा तक क्षमता के विभिन्न स्लैब में कर दिया गया है।

(iii) 2,000 मीट्रिक टन तक की कुल क्षमता वाले भांडागारों के लिए प्रतिभूति जमा की आवश्यकता को "1.00 लाख रुपये (निर्धारित) + इ–एन.डब्ल्यू.आर. मूल्य का 3%" से घटाकर "0.50 लाख रुपये (निर्धारित). इ–एन.डब्ल्यू.आर. मूल्य का 1% "कर दिया गया है और निर्दिष्ट निश्चित राशि (50,000 रुपये से 4.5 लाख रुपये के बीच) तक सीमित कर दिया गया है।

इसके अतिरिक्त, किसानों/एफ.पी.ओ. जमाकर्ताओं के लिए रेपोजिटरी शुल्क घटाकर 5 रुपये प्रति मीट्रिक टन कर दिया गया है, जिसमें किसी भी मात्रा के लिए अधिकतम 500 रुपये प्रति इ–एन. डब्ल्यू.आर. और 40 रुपये (निर्धारित) इ–एन.डब्ल्यू.आर. है।

3.2 भांडागारों के पंजीकरण के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया का कार्यान्वयन

प्रारंभ में पंजीकरण के लिए आवेदन पत्र भांडागारण (विकास और विनियमन) पंजीकरण नियम, 2017 की दूसरी अनुसूची के तहत निर्धारित प्रारूप के अनुसार भौतिक रूप में प्रस्तुत किए जा रहे थे। हालांकि, कई अनुलग्नकों के साथ कागज–आधारित आवेदनों की प्रस्तुति और जांच बोझिल और समय लेने वाली पाई गई थी, इसलिए पंजीकरण प्रक्रिया को तेज करने और पंजीकरण और इसकी ट्रैकिंग की एक सरल और पारदर्शी प्रणाली स्थापित करने के लिए, प्राधिकरण ने आवेदकों की विभिन्न श्रेणियों से संबंधित भांडागार के पंजीकरण के लिए आवेदन की एक ऑनलाइन प्रणाली विकसित की है। अन्य संबंधित गतिविधियों के लिए भी ऑनलाइन प्रावधान किया गया है, जैसे आवेदन शुल्क का भुगतान, आवेदन प्रक्रिया वर्कफ्लो, संबंधित निरीक्षण एजेंसियों (आईए) / निरीक्षण अधिकारियों (आईओ) को भौतिक निरीक्षण का आवंटन, निरीक्षण एजेंसी द्वारा भौतिक निरीक्षण रिपोर्ट प्रस्तुत करना,।

ऑनलाइन भांडागारण पंजीकरण की व्यवस्था 1 नवंबर, 2017 से प्रभावी है। नई ऑनलाइन व्यवस्था के अनुसार, प्राधिकरण में भांडागारों के पंजीकरण हेतु सभी आवेदन डब्ल्यूडीआरए के नए पोर्टल https://wdra.gov.in पर लॉग इन करके जमा किए जा सकते हैं । ऑनलाइन पंजीकरण आवेदन जमा करने के विस्तृत निर्देश प्राधिकरण की वेबसाइट के होम पेज पर उपलब्ध हैं। नई व्यवस्था के अनुसार, भांडागार पंजीकरण के लिए सभी आवेदकों को पहले प्राधिकरण पोर्टल पर पंजीकरण करना होगा और अपने लॉगिन क्रेडेंशियल जनरेट करने के बाद, ऑनलाइन आवेदन जमा करने की प्रक्रिया आगे बढ़ाने के लिए पोर्टल पर साइन इन करना होगा।

गैर–व्यक्तिगत भांडागारण सेवा प्रदाताओं (डब्ल्यू.एस.पी.) से संबंधित आवेदनों के आसान और तेज प्रसंस्करण की सुविधा के लिए, पंजीकरण को दो–चरणीय प्रक्रिया बना दिया गया है। पहले चरण में, भांडागापाल का आवेदन जमा किया जाता है और एक बार भांडागार को मंजूरी मिल जाने के बाद अगले चरण में इकाई के तहत सभी भांडागापाल के पंजीकरण के लिए आवेदन जमा किया जाएगा। प्राधिकरण द्वारा सूचीबद्ध निरीक्षण एजेंसियों (आईए) को भी ऊपर बताए अनुसार प्राधिकरण के नए पोर्टल पर पंजीकरण करके खुद को ऑनबोर्ड करना होगा और निरीक्षणों के ऑनलाइन आवंटन और निरीक्षण रिपोर्ट जमा करने के लिए अपने लॉगिन क्रेडेंशियल के साथ साइन इन करना होगा। इससे पहले, डब्ल्यूडीआरए निरीक्षण एजेंसी (आईए) का चयन मैन्युअल रूप से करता था, जो बाद में लोड और लंबितता के आधार पर निरीक्षण अधिकारी (आईओ) का चयन करता था, जिसे निरीक्षण आवंटित किया जाता है। अब, निरीक्षण एजेंसी के चयन की प्रक्रिया को स्वचालित कर दिया गया है

यदि निरीक्षण अधिकारी द्वारा इसकी जांच की जाए तो स्कोरिंग मॉडल और अन्य आवश्यकताओं के आधार पर डब्ल्यू. डी.आर.ए अधिकारी द्वारा मैन्युअल चयन किया जाएगा।

3.2.1 ऑनलाइन आवेदन में अपलोड किए जाने वाले दस्तावेज़

ऑनलाइन आवेदन के साथ निम्नलिखित दस्तावेज अपलोड करना आवश्यक है:

i. व्यक्ति/अधिकृत प्रतिनिधि का फोटोग्राफ (गैर–व्यक्तिगत इकाई के मामले में)।

ii. भांडागारण (विकास और विनियमन) भांडागार पंजीकरण नियम, 2017 की पांचवीं अनुसूची के अनुसार आवेदक का पहचान प्रमाण।

iii. मानक संचालन प्रक्रियाएं (यदि डब्ल्यू .डी.आर.ए. के मॉडल एस.ओ.पी का पालन नहीं किया जा रहा है)।

iv. भांडागारण (विकास और विनियमन) पंजीकरण नियम, 2017 के नियम 18 (5) के तहत आवश्यक निवल मूल्य के समर्थन में दस्तावेज़।

v. डब्ल्यूएचएम पंजीकरण के लिए भांडागारण (विकास और विनियमन) भांडागार पंजीकरण नियम, 2017 (दिनांक 03.06.2022 के परिपत्र के अनुसार निर्दिष्ट) के नियम 17 के तहत निर्धारित बीमा पॉलिसियों की प्रतियां, बाद में भांडागार के पंजीकरण के समय बीमा पॉलिसियां प्रस्तुत करने का विकल्प उपलब्ध है।

vi. भांडागार (रों) की ले–आउट योजना।

vii. कोल्ड स्टोरेज के मामले में मूल डेटा शीट।

viii. तकनीकी मानकों के बारे में प्रमाण जिसके तहत भांडागार (शीत भंडारण) का निर्माण किया गया था।

ix. भांडागार में उपलब्ध माल की जांच के लिए उपकरणों की सूची।

x. भांडागार में उपलब्ध माल तौलने के उपकरणों की सूची।

xi. अग्नि सुरक्षा के लिए उपकरणों का विवरण जैसे अग्निशामक यंत्र/बाल्टी आदि।

xii. भांडागारण (विकास और विनियमन) पंजीकरण नियम, 2017 की पहली/छठी अनुसूची के तहत निर्धारित स्वामित्व/प्रभावी नियंत्रण के समर्थन में दस्तावेज।

3.3 इलेक्ट्रॉनिक परक्राम्य भांडागार रसीद पर अधिसूचना

यह पाया किया गया था कि कागज़ आधारित एन.डब्ल्यू.आर. में हानि, विकृति, क्षति, लिखे पर लिखा, हेराफेरी आदि से संबंधित विभिन्न जोखिम होते हैं और उनकी परक्राम्यता/हस्तांतरणीयता की कई सीमाएँ होती हैं। इसलिए, इन जोखिमों/बाधाओं को दूर करने और एनडब्ल्यूआर की विश्वसनीयता/अखंडता बढ़ाने के लिए, रूपान्तरण योजना के अंतर्गत रिपॉजिटरी के माध्यम से इलेक्ट्रॉनिक परक्राम्य भांडागार रसीद (इ–एन.डब्ल्यू.आर.) प्रणाली शुरू की गई है, जो ई–एनडब्ल्यूआर पारिस्थितिकी तंत्र के निर्माण और प्रबंधन को सुगम बनाएगी।

केंद्र सरकार के पूर्व अनुमोदन से, प्राधिकरण ने इ–एन.डब्ल्यू.आर. के विनियमन के संबंध में 29 जून, 2017 को भांडागारण विकास और विनियामक प्राधिकरण (इलेक्ट्रॉनिक परक्राम्य भांडागार रसीद) विनियम, 2017 को अधिसूचित किए।

प्राधिकरण ने इ–एन.डब्ल्यू.आर. के निर्माण और प्रबंधन के लिए निम्नलिखित रिपॉजिटरी को पंजीकरण प्रमाणपत्र भी जारी किया है:

(क) मेसर्स सीडीएसएल कमोडिटीज रेपोजिटरी लिमिटेड (सी.सी.आर.एल.) मेसर्स सीडीएसएल द्वारा प्रायोजित है जो एक डिपॉजिटरी है।

(ख) मेसर्स नेशनल इ–रेपोजिटरी लिमिटेड (एन.ई.आर.एल.) एनसीडीईएक्स द्वारा प्रायोजित है जो एकपेशेवर रूप से प्रबंधित ऑनलाइन मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज है।

3.4 भांडागार/स्टॉक रसीद की तुलना में इ–एन.डब्ल्यू.आर. के लाभ

कागज़ आधारित भांडागार रसीदों/स्टॉक रसीदों की तुलना में इ–एन.डब्ल्यू.आर. एक अधिक सुरक्षित दस्तावेज़ है जो संबंधित भांडागार की विश्वसनीयता बढ़ाता है। कागज़ आधारित भांडागार रसीद/स्टॉक रसीद की तुलना में इ–एन.डब्ल्यू.आर. के प्रमुख लाभ तालिका 3.8 में दिए गए हैं।

तालिका 3.8

कागज आधारित भांडागार ध्स्टॉक रसीद	इ–एन.डब्ल्यू.आर.
संभावित खरीदार के साथ केवल एक से एक मोड साझा की जा सकती है	किसानों/जमाकर्ताओं को बेहतर मोल–तौल शक्तियों के साथ देश भर में बड़ी संख्या में खरीदारों तक पहुंच बनाने में सहायता करती है
विभाजित नहीं किया जा सकता	इ–एन.डब्ल्यू.आर. को वस्तु के केवल एक हिस्से को हस्तांतरित करने के साथ विभाजित किया जा सकता है
हानि, विकृति, छेड़छाड़, सूचना में हेराफेरी आदि की संभावना रहती है	ऐसी किसी भी घटना की कोई संभावना की गुंजाइश नही है
पारदर्शी तरीके से कुशल समाशोधन और व्यापार में अंतर्निहित कठिनाइयाँ आती है	कृषि व्यापार में पारदर्शिता के साथ कुशल समाशोधन, निपटान और वितरण प्रणाली को बढ़ावा देती है
भांडागार रसीद की महत्वपूर्ण जानकारी को विभिन्न हितधारकों के साथ साझा करना कठिन है	बैंकरों, कमोडिटी एक्सचेंजों, सरकार आदि जैसे विभिन्न हितधारकों के साथ भांडागार रसीद की महत्वपूर्ण जानकारी साझा करना आसान है।
रसीद में सूचना की एकरूपता नहीं है	अधिनियम और विनियमों के तहत निर्धारित मानक प्रारूप
विनियमित नहीं	डब्ल्यू.डी.आर.ए. (एक वैधानिक प्राधिकरण) द्वारा विनियमित
परख अनिवार्य नहीं है	इ–एन.डब्ल्यू.आर. में माल की गुणवत्ता की रिपोर्ट करना अनिवार्य है
कोई निगरानी और निरीक्षण नहीं	डबल्यू.डी.आर.ए. द्वारा नियमित रूप से निगरानी की जाती है
भांडागार रसीदों के लिए कानूनी परक्राम्यता के बिना व्यापारियों के लिए हस्तांतरण /बेचान के मामले की माल की वैध हस्तांतरणीयता में समस्याएं	इलेक्ट्रॉनिक प्रकृति के होने के कारण एकाधिक स्थानान्तरण आसान हैं और डब्ल्यू(डी एंड आर) अधिनियम 2007 का उचित समर्थन उपलब्ध है
गैर–विनियमित भांडागारों के मामले में मुकदमेबाजी अधिक	मुकदमेबाजी में काफी कमी आएगी

3.5 पंजीकृत भांडागारों द्वारा इ–एन.डब्ल्यू.आर. जारी करना अनिवार्य

भाण्डागार (विकास एवं विनियमन) भाण्डागार पंजीकरण नियम, 2017 के नियम 27 में यह प्रावधान है कि "प्राधिकरण द्वारा अधिसूचित तिथि से कोई भी भाण्डागारपाल भौतिक रूप में कोई परक्राम्य भाण्डागार रसीद जारी नहीं करेगा, तथा इलेक्ट्रॉनिक रूप में परक्राम्य भाण्डागार रसीद जारी करने के लिए प्राधिकरण के साथ पंजीकृत एक या अधिक रेपोजिटरी के साथ पंजीकरण करेगा।"

इसके अनुसरण में, प्राधिकरण ने अधिसूचित किया है कि 1 अगस्त, 2019 से कोई भी भांडागारपाल भौतिक रूप में कोई परक्राम्य भांडागार रसीद जारी नहीं करेगा और प्राधिकरण के साथ पंजीकृत एक या अधिक रेपॉजिटरी के साथ जुड़ जाएगा तथा केवल इलेक्ट्रॉनिक रूप में परक्राम्य भांडागार रसीद जारी करेगा।

3.6 भांडागारों का पंजीकरण

1 नवंबर, 2017 से भांडागारों के ऑनलाइन पंजीकरण के शुभारंभ के बाद भांडागारों के पंजीकरण के लिए कागज आधारित आवेदन को समाप्त कर दिया गया है। प्रारंभिक चरण में उभरे मुद्दों को हल करने और उपयोगकर्ताओं से प्राप्त फीडबैक को शामिल करने के बाद, प्रक्रिया में तेजी आई है और अब यह काफी स्थिर है।

2022–23 में 1522 भांडागारों की तुलना में 2023–24 में भांडागारों का वार्षिक पंजीकरण बढ़कर 2184 हो गया। डब्ल्यू.डी.आर.ए. द्वारा उठाए गए कई कदमों से भांडागारों की संख्या में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। यह साल–दर–साल आधार पर लगभग 43% की वृद्धि है। इकाई–वार पंजीकरण संख्याएँ नीचे दी गई हैं:

तालिका 3.9
2024–25 के दौरान पंजीकृत भांडागारों का इकाईवार विवरण

क्र.सं.	निकाय का प्रकार	भांडागारों की संख्या	क्षमता (मीट्रिक टन में)
1	कंपनी	106	1720713
2	व्यक्तिगत	1063	5323531
3	पैक्स, सहकारी एवं सोसायटी	42	370729
4	साझेदारी फर्म	169	1421299
5	पीएसयू	143	686380
6	पीएसयू–एसडब्ल्यूसी	158	2079130
	कुल	**1681**	**11601782**

2024–25 तक पंजीकृत भांडागारों की प्रगति निम्नानुसार है:

चित्ररू 3.1: भांडागारों के पंजीकरण की प्रगति

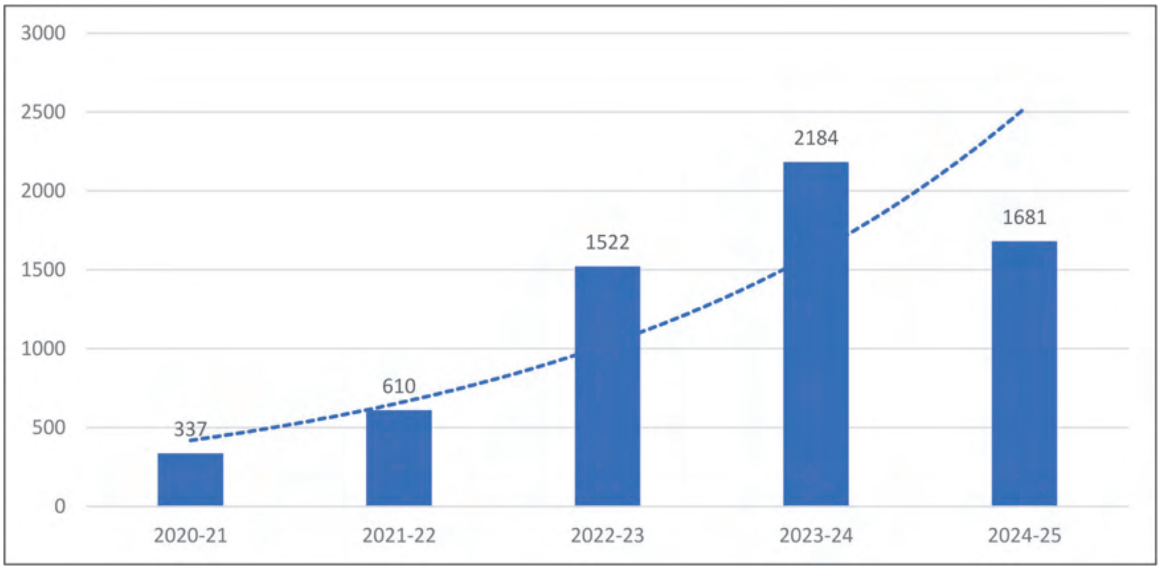

प्राधिकरण द्वारा स्थापना से लेकर 2011–12 तक पंजीकृत भांडागारों में से 6166 भांडागारों की कुल क्षमता 560.67 लाख मीट्रिक टन है, जो 31.03.2025 तक सक्रिय रही।

31.03.2025 तक भांडागारों के पंजीकरण और भांडागारों के सक्रिय पंजीकरण का राज्यवार और वर्षवार विवरण निम्नानुसार है:

तालिका 3.10

राज्य	पंजीकृत भांडागारों की संख्या														संचयी पंजीकरण	31.03.2025 तक सक्रिय
	2011 .12	2012 .13	2013 .14	2014 .15	2015 .16	2016 .17	2017 .18	2018 .19	2019 .20	2020 .21	2021 .22	2022 .23	2023 .24	2024 .25		
आंध्र प्रदेश	45	16	15	19	9	0	3	21	28	8	24	67	51	37	343	210
असम	0	3	1	0	0	0	1	1	0	0	2	2	6	2	18	12
बिहार	0	0	2	0	2	1	2	3	5	6	28	34	9	31	123	95
छत्तीसगढ	0	1	0	0	0	0	0	0	0	5	33	70	50	12	171	170
चंडीगढ़	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	1
दिल्ली	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	2	2
गुजरात	3	5	2	10	145	22	85	61	53	55	43	41	62	97	684	250
गोवा	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	1
हरियाणा	15	0	0	0	8	0	2	9	6	4	14	110	20	45	233	175
हिमाचल प्रदेश	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0	4	3
जम्मू एवं कश्मीर	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	6	3	10	10
झारखंड	0	0	1	0	0	0	0	1	0	1	1	12	12	6	34	31
कर्नाटक	0	14	1	3	19	13	9	9	2	4	6	29	20	11	140	67
केरल	11	1	8	1	0	1	3	0	3	6	2	2	1	4	43	13
मध्य प्रदेश	17	20	10	53	153	102	41	198	66	46	44	374	1564	1023	3711	3081
महाराष्ट्र	22	14	0	8	56	40	35	64	32	32	30	218	73	47	671	377
नागालैंड	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	1
ओडिशा	1	0	0	0	0	0	0	2	0	3	16	42	15	15	94	91
पंजाब	4	9	0	1	0	0	0	8	0	5	15	2	14	27	85	61
पुदुचेरी	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1
राजस्थान	48	4	14	10	116	28	67	56	46	35	148	112	104	75	863	433
तमिलनाडु	52	0	14	128	71	5	3	126	757	81	77	222	83	157	1776	587
तेलंगाना	0	0	0	0	2	0	7	18	2	6	23	78	50	43	229	178
त्रिपुरा	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0
उत्तराखंड	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	1	5	1	0	12	12
उत्तर प्रदेश	20	5	0	1	6	1	2	32	5	30	80	94	40	27	343	266
पश्चिम बंगाल	0	0	0	0	1	1	1	2	0	2	19	6	3	19	54	38
कुल योग	**240**	**92**	**68**	**234**	**588**	**214**	**261**	**612**	**1005**	**337**	**610**	**1522**	**2184**	**1681**	**9648**	**6166**

दिनांक 31.03.2025 को पंजीकृत भांडागारों और सक्रिय पंजीकरण वाले भांडागारों का इकाई–वार और वर्ष–वार विवरण तालिका 3.11 में नीचे दिया गया है:

तालिका 3.11

इकाई	कुल पंजीकृत भांडागारों की संख्या														संचयी पंजीकरण	31.03.2025 तक कुल सक्रिय
	2011.12	**2012.13**	**2013.14**	**2014.15**	**2015.16**	**2016.17**	**2017.18**	**2018.19**	**2019.20**	**2020.21**	**2021.22**	**2022.23**	**2023.24**	**2024.25**	**31.03.2025**	
सीडब्ल्यूसी	135	25	15	3	2	5	14	87	21	81	104	28	50	28	598	346
एसडब्ल्यूसी	87	28	9	1	16	44	0	37	59	1	218	821	150	158	1629	1310
निजी	18	26	14	85	500	163	246	391	202	171	211	445	1897	1333	5702	3900
पैक्स / एफपीओ	0	13	30	145	70	2	1	97	723	84	77	82	46	47	1417	311
एपीएमसी	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	146	41	115	302	299
कुल	**240**	**92**	**68**	**234**	**588**	**214**	**261**	**612**	**1005**	**337**	**610**	**1522**	**2184**	**1681**	**9643**	**6166**

नोटः –उपरोक्त 6166 सक्रिय भांडागारों में से 151 कोल्ड स्टोरेज हैं।

3.7 पैक्स से संबंधित भांडागारों के पंजीकरण की प्रगति

रिपोर्ट वर्ष के दौरान, सहकारी समितियों के रजिस्ट्रार (आरसीएस), तमिलनाडु सरकार और अन्य राज्यों द्वारा दिखाई गई रुचि को देखते हुए, जागरूकता शिविर, पंजीकरण शिविर, मास्टर ट्रेनर कार्यक्रम आदि आयोजित करके "नेट वर्थ पॉजिटिव पैक्स" को पंजीकृत करने के लिए विशेष अभियान चलाया गया। परिणामस्वरूप वित्त वर्ष 2024–25 के दौरान, पैक्स से संबंधित 14 भांडागार पंजीकृत किए गए। आरसीएस, अतिरिक्त आरसीएस और सहकारी समितियों के विभिन्न संयुक्त रजिस्ट्रार, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश और आन्ध्र प्रदेश सरकारों द्वारा दिखाई गई रुचि और प्रदान किया गया समर्थन सराहनीय है।

3.8 भांडागारों के पंजीकरण का ऑनलाइन नवीनीकरण

ऑनलाइन पंजीकरण प्रणाली के सफल कार्यान्वयन के बाद, पंजीकरण के नवीनीकरण, पंजीकरण प्रमाणपत्र में संशोधन और भांडागापाल/भांडागार से संबंधित विभिन्न नियामक सूचनाओं के अद्यतन के लिए ऑनलाइन प्रक्रियाएं विकसित की गई हैं और 19 मार्च, 2018 से इन्हें चालू कर दिया गया है। पंजीकरण के नवीनीकरण, पंजीकरण प्रमाणपत्र में संशोधन और भांडागार / भांडागारों से संबंधित नियामक सूचनाओं के अद्यतन के लिए इस तिथि से कोई कागज आधारित यानी भौतिक आवेदन स्वीकार नहीं किया जा रहा है और ऐसे सभी आवेदन केवल ऑनलाइन किए जा रहे हैं। परिपत्र संख्या डब्ल्यू.डी.आर.ए./2018/1–3/Tech–81 दिनांक 20.01.2020 के अनुसार, इस बात पर जोर दिया गया है कि भांडागारण सेवा प्रदाता/भांडागापाल को उसी पंजीकरण संख्या को बनाए रखने के लिए पंजीकरण की समाप्ति से तीन महीने (90 दिन) पहले पंजीकरण के नवीनीकरण के लिए आवेदन करना होगा। यदि 90 दिनों की समय सीमा का पालन नहीं किया जाता है और शेष अवधि यदि पंजीकरण की अवधि 90 दिन से कम है, तो भांडागापाल को उस भांडागार के नए पंजीकरण के लिए आवेदन करना होगा। ऐसी स्थिति में, भांडागार का पुराना पंजीकरण क्रमांक ऑनलाइन आवेदन के संबंधित कॉलम में दर्ज करना होगा।

3.9 भांडागारों की निगरानी और निरीक्षण

पंजीकृत भांडागारों के नियामक अनुपालन को सुनिश्चित करने के लिए एक कुशल निगरानी और निरीक्षण प्रणाली मूलभूत आवश्यकता है। इसे ध्यान में रखते हुए, प्राधिकरण ने निम्नलिखित प्रमुख उद्देश्यों के साथ पंजीकृत भांडागार के लिए एक निरीक्षण प्रणाली स्थापित की है:

i. यह सुनिश्चित करना कि भांडागारण (विकास और विनियमन) अधिनियम, 2007 के नियमों और विनियमों के तहत निर्धारित बुनियादी ढांचे, परिचालन प्रक्रियाओं और अन्य प्रावधानों, और भांडागारों के पंजीकरण के समय निरीक्षण एजेंसियों (आईए) द्वारा जांच की गई आवश्यकताओं को पूरा किया जाता है और बाद में पंजीकृत भांडागारों द्वारा उनका पालन किया जाता है।

ii. परक्राम्य भांडागार रसीदों की विश्वसनीयत की रक्षा करना।

पैनलबद्ध निरीक्षण एजेंसियों (आईए) के निरीक्षण अधिकारियों (आईओ) के अलावा, प्राधिकरण के अधिकारियों को भी समय–समय पर कुछ विशेष परिस्थितियों में कुछ भांडागारों का निरीक्षण करने के लिए नियुक्त किया जाता है।

3.10 निरीक्षण एजेंसियों के पैनलीकरण और भांडागारों के निरीक्षण पर दिशानिर्देश

प्राधिकरण ने निरीक्षण एजेंसियों के पैनलीकरण और भांडागारों के निरीक्षण के लिए व्यापक दिशानिर्देश विकसित किए हैं। इन दिशानिर्देशों के अनुसार, निरीक्षण एजेंसियों के चयन/पैनलीकरण के लिए निम्नलिखित पात्रता मानदंड निर्दिष्ट किए गए हैं:

1. निरीक्षण एजेंसी के रूप में पैनल में शामिल किए जाने के लिए आवेदक को निम्नलिखित सभी शर्तों को पूरा करना होगा–

   (क) आवेदक योग्य एवं उपयुक्त व्यक्ति होना चाहिए।

   (ख) आवेदक को न्यूनतम तीन वर्षों तक निरीक्षण का अनुभव होना चाहिए।

   (ग) आवेदक ने पिछले वित्तीय वर्ष में कम से कम दस निरीक्षण/ऑडिट किए हों।

   (घ) आवेदक ने पिछले तीन वित्तीय वर्षों में वेयरहाउसिंग, लॉजिस्टिक्स, कमोडिटी प्रबंधन, खाद्य भंडारण और प्रसंस्करण, खाद्य सुरक्षा में लगे भांडागारों, फर्मों और संस्थाओं के न्यूनतम तीस निरीक्षण/ऑडिट/प्रमाणन किए हों।

   (ङ) आवेदक के पास निम्नलिखित आवश्यकताओं के अनुसार भांडागारों और भांडागारकर्मियों का निरीक्षण करने के लिए योग्य कम से कम तीन निरीक्षण अधिकारी होने चाहिए:

      i. विज्ञान (इंजीनियरिंग और प्रौद्योगिकी स्नातकों सहित), कृषि या संबद्ध विज्ञान में न्यूनतम स्नातक डिग्री।

      ii. निम्नलिखित में से एक या अधिक क्षेत्रों में कम से कम पांच वर्ष का अनुभव हो – कृषि/गैर–कृषि वस्तुओं का भंडारण, परख, निरीक्षण या परीक्षण, वेयरहाउसिंग, लॉजिस्टिक्स और आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन।

      iii. वेयरहाउसिंग, लॉजिस्टिक्स, कमोडिटी प्रबंधन, खाद्य भंडारण, प्रसंस्करण और खाद्य सुरक्षा में लगे भांडागारों, फर्मों और संस्थाओं के कम से कम पांच निरीक्षण/ऑडिट/प्रमाणन किए हों।

      iv. अच्छे आईटी कौशल होने चाहिए तथा ईमेल, इंटरनेट आदि सहित ऑनलाइन रिपोर्टिंग प्रणाली पर काम करने में पारंगत होना चाहिए।

      v. अधिमानतः प्रशिक्षित और लाइसेंस प्राप्त परीक्षक होना चाहिए।

(च) आवेदक के पास निम्नलिखित में से कम से कम दो क्षेत्रों में कार्यालय होना चाहिए।

i. उत्तर (चंडीगढ़, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली, जम्मू और कश्मीर, पंजाब, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश सहित)

ii. दक्षिण (अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल, लक्षद्वीप, पुडुचेरी, तमिलनाडु, तेलंगाना सहित)

iii. पूर्व (अरुणाचल प्रदेश, असम, बिहार, झारखंड, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, ओडिशा, सिक्किम, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल सहित)

iv. पश्चिम (दादरा और नगर हवेली, दमन और दीव, गोवा, गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान सहित)

v. मध्य (छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश सहित)

भौतिक (पंजीकरण–पूर्व) निरीक्षण, सामान्य निरीक्षण, औचक/स्टॉक निरीक्षण और पैनल दिशानिर्देशों में परिभाषित किसी भी अन्य प्रकार के निरीक्षण करने के लिए प्राधिकार होना आवश्यक है। इन पैनलबद्ध निरीक्षण एजेंसियों के पास पर्याप्त संख्या में निरीक्षण अधिकारी होते हैं जो प्राधिकरण द्वारा निर्दिष्ट पात्रता मानदंडों को पूरा करते हैं। निरीक्षण एजेंसी और निरीक्षण अधिकारी को भौतिक निरीक्षण आवंटित करने की पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन की जाती है। विभिन्न प्रकार के निरीक्षणों, जैसे पारंपरिक भांडागारों, साइलो और कोल्ड स्टोरेज के लिए भौतिक निरीक्षण रिपोर्ट भी ऑनलाइन भरी और जमा की जाती हैं और निरीक्षण स्थल से ही प्रस्तुत की जा सकती हैं। इससे डब्ल्यू.डी. आर.ए. पंजीकरण के लिए आवेदन करने वाले भांडागारों के निरीक्षण में लगने वाले समय में भारी कमी आई है।

3.11 पैनलबद्ध निरीक्षण एजेंसियों का विवरण निम्नानुसार है (31.3.2025 को):

1) ट्रू क्वालिटी सर्टिफिकेशन्स प्राइवेट लिमिटेड, 210, साई राम प्लाजा 63 मंगल नगर, भवरकुआं एबी रोड, इंदौर–452001

2) वन सर्टिफिकेट इंटरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड, एच–08, मानसरोवर इंडस्ट्रियल एरिया, मानसरोवर, जयपुर–302020, राजस्थान

3) नाबार्ड कंसल्टेंसी सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड, 24, राजेंद्र प्लेस, नाबार्ड टॉवर, नई दिल्ली–110025

4) राष्ट्रीय उत्पादकता परिषद, उत्पादक भवन, 5–6, इंस्टीट्यूशनल एरिया, लोदी रोड, नई दिल्ली–110003

5) सिनर्जी टेक्नोफिन प्राइवेट लिमिटेड, बी231, प्रथम तल, ग्रेटर कैलाश पार्ट–1, नई दिल्ली–110048

6) ब्यूरो वेरिटास, 72, बिजनेस पार्क, ग्राउंड फ्लोर, मरोल इंडस्ट्रियल एरिया क्रॉस रोड, "सी" एमआईडीसी, अंधेरी (पूर्व), मुंबई, महाराष्ट्र 400093

7) एसजीएनजी एंड एसोसिएट्स, ए–15/32, एलजीएफ, वसंत विहार, नई दिल्ली–110057

8) एमएस एसजीएस इंडिया प्रा. लिमिटेड, 4बी, एसजीएस हाउस, आदि शंकराचार्य मार्ग, टैगोर नगर, विक्रोली पश्चिम, मुंबई उपनगर– 400083

9) मेसर्स आरआईआर सर्टिफिकेशन प्राइवेट लिमिटेड, कार्यालय संख्या 323, लेवल–3, टावर बी4, स्पेज आई–टेक पार्क, सेक्टर–49, सोहना रोड, गुरुग्राम, हरियाणा, पिन– 122018

3.12 निरीक्षण एजेंसियों को शुल्क का भुगतान

प्राधिकरण विभिन्न प्रकार के निरीक्षण करने के लिए निरीक्षण एजेंसियों को निम्नलिखित शुल्क का भुगतान करता है:

तालिका 3.12

निरीक्षण के प्रकार	विभिन्न क्षमता के भांडागारों के लिए प्रति निरीक्षण शुल्क (सभी सहित)		
	10,000 टन तक (रुपये में)	10,000 टन से अधिक–25,000 टन (रुपये में)	25,000 से ऊपर टन (रुपये में)
भौतिक निरीक्षण	10,000	12,500	15,000
सामान्य निरीक्षण	12,000	17,000	25,000

टिप्पणी:

1) प्राधिकरण पूर्वोत्तर राज्यों में स्थित भांडागारों के लिए 2,500 रुपये अतिरिक्त प्रदान करेगा।

2) यदि सामान्य या आकस्मिक निरीक्षण में निम्नलिखित में से केवल एक ही शामिल है: (क) भौतिक निरीक्षण, या (ख) स्टॉक निरीक्षण, तो इस तालिका में दी गई भौतिक निरीक्षण की दर निरीक्षण एजेंसी को भुगतान के लिए लागू होगी।

3.13 2024–25 के दौरान निरीक्षण अधिकारियों का प्रशिक्षण और जोड़ा जाना

पैनलबद्ध निरीक्षण एजेंसियों के निरीक्षण अधिकारियों का आवधिक प्रशिक्षण महत्वपूर्ण है, ताकि उन्हें निरीक्षण प्रणालियों/विनिर्देशों/वित्तीय एवं अन्य आवश्यकताओं में अद्यतन जानकारी दी जा सके, निरीक्षण अधिकारियों के न्यूनतम योग्यता स्तर/निष्पादन के मानकों को सुनिश्चित किया जा सके या प्रदान की गई निरीक्षण सेवाओं पर फीडबैक दिया जा सके तथा सभी पैनलबद्ध निरीक्षण एजेंसियों (आईए) द्वारा निरीक्षण/रिपोर्टिंग पद्धति में एकरूपता लाई जा सके।

वित्त वर्ष 2024–25 में, डब्ल्यू.डी.आर.ए. ने 9 सूचीबद्ध निरीक्षण एजेंसियों के लिए 4 प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए।

इसके अलावा, नए भांडागारों के पंजीकरण हेतु आवेदनों की बढ़ती आमद, पंजीकृत भांडागार के कार्य–निष्पादन की निगरानी की बढ़ती आवश्यकता, छोटे शहरों और दूरदराज के क्षेत्रों आदि में भांडागारों के भौगोलिक वितरण के विस्तार और बेहतर दक्षता सुनिश्चित करने के लिए, वित्त वर्ष 2024–25 के दौरान सभी 9 सूचीबद्ध निरीक्षण एजेंसियों के 26 अतिरिक्त निरीक्षण अधिकारियों को जोड़ा गया। 31.03.2025 को, डब्ल्यूडीआरए के पैनल में 118 सक्रिय निरीक्षण अधिकारी हैं ।

3.14 भांडागारों का स्टॉक निरीक्षण

भांडागारों के पंजीकरण–पूर्व भौतिक निरीक्षण के अतिरिक्त, प्राधिकरण उन भांडागारों का स्टॉक निरीक्षण भी करता है जो बड़ी संख्या में इ–एन.डब्ल्यू.आर. जारी कर रहे हैं। संबंधित आईए से प्राप्त विवरण के अनुसार भांडागारों में कृषि वस्तुओं का मात्रात्मक और गुणात्मक लेखा परीक्षा/निरीक्षण करने हेतु अपेक्षित योग्यता और अनुभव रखने वाले आईओ को भांडागारों का स्टॉक निरीक्षण करने के लिए चिन्हित किया गया था। इसके अतिरिक्त, प्राधिकरण के अधिकारियों को भी स्टॉक निरीक्षण करने के लिए नियुक्त किया गया जहाँ, विशेष रूप से उन भांडागारों के संबंध में बहुत कम समय में औचक स्टॉक निरीक्षण किया जाना था। वर्ष 2024–25 के दौरान, भांडागारों के 1464 स्टॉक निरीक्षण किए गए ।

26 मार्च 2025 को गतिस्तवम एग्री कमोडिटी प्राइवेट लिमिटेड केसर भांडागार, जिला जूनागढ़, गुजरात में स्टॉक निरीक्षण।

3.15 डब्ल्यूडीआरए के साथ रेपॉजिटरी का पंजीकरण

प्राधिकरण ने इलेक्ट्रॉनिक परक्राम्य वेयरहाउस रसीदों (इ–एन.डब्ल्यू.आर.) के निर्माण और प्रबंधन के लिए दो रेपॉजिटरी नियुक्त किए हैं: मेसर्स सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज लिमिटेड (सी.डी.एस.एल.) द्वारा प्रायोजित सीडीएसएल कमोडिटी रेपॉजिटरी लिमिटेड (सी.सी.आर.एल.) और मेसर्स नेशनल कमोडिटी एंड डेरिवेटिव्स एक्सचेंज एनसीडीईएक्स द्वारा प्रायोजित नेशनल ई–रेपॉजिटरी लिमिटेड (एन.ई.आर.एल.)। इन रेपॉजिटरी द्वारा प्रदान की जाने वाली मुख्य सेवाएँ निम्नलिखित हैं:

- खाताधारक द्वारा वैध प्राधिकरण के आधार पर इ–एन.डब्ल्यू.आर. ६ इ–एन.एन.डब्ल्यू.आर. के लिए इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड का सुरक्षित और सटीक निर्माण, रखरखाव और रद्दीकरण सुनिश्चित करना।
- इ–एन.डब्ल्यू.आर. से संबंधित सभी सूचनाओं की गोपनीयता, अखंडता और उपलब्धता सुनिश्चित करना।
- इ–एन.डब्ल्यू.आर. के हस्तांतरण, गिरवी रखने या गिरवी हटाने, ई–नीलामी को सक्षम बनाना।
- भांडागार के माध्यम से इ–एन.डब्ल्यू.आर. /इ–एन.एन.डब्ल्यू.आर. के अंतर्गत माल की आंशिक या पूर्ण डिलीवरी को सक्षम बनाना।

रेपॉजिटरी प्रणाली 26 सितंबर, 2017 से प्रभावी हो गई। प्राधिकरण ने 23 अप्रैल, 2019 को "इलेक्ट्रॉनिक परक्राम्य भांडागार रसीदों के निर्माण और प्रबंधन हेतु पंजीकृत रेपॉजिटरी के लिए कॉर्पोरेट प्रशासन संबंधी दिशानिर्देश" भी जारी किए। वर्ष 2024–25 के दौरान इन रेपॉजिटरी पर कुल 65064 इ–एन.डब्ल्यू.आर. जारी किए गए, जिनका विवरण नीचे दिया गया है :

तालिका 3.13

रेपोजिट्ररी	एक्सचेंज	नॉन–एक्सचेंज	कुल
एनईआरएल	40539	19013	59552
सीसीआरएल	1142	4487	5629
कुल	41681	23500	65181

तालिका 3.14 वित्त वर्ष 2024–25 के दौरान रेपॉजिटरी का कार्य निष्पादन

क्र. नं.	विवरण	रेपॉजिटरी का नाम		कुल
		एनईआरएल	सीसीआरएल	
1.	जारी की गई. गए इ–एन.डब्ल्यू.आर. की संख्या	59552	5629	65181
2.	इ–एन.डब्ल्यू.आर. जारी करने वाले भाडागारो की संख्या	625	233	858
3.	रेपॉजिटरी में शामिल किए गए नए भांडागारों की संख्या	240	105	345
4.	खोले गए जमाकर्ता/ग्राहक खातों की संख्या	2581	933	3514
5.	जोड़े गए आरपी की संख्या	0	14	14

6.	ऑन–बोर्ड या रेपोजिटरी में गिरवी रखने वालों (बैंकध्वित्तीय संस्थाएं) की संख्या	19	0	19
7.	इ–एन.डब्ल्यू.आर. के विरुद्ध जमा किए गए स्टॉक की मात्रा (लाख मीट्रिक टन में)	11.97	3.04	15.02
8.	इ–एन.डब्ल्यू.आर. के विरुद्ध जमा किए गए स्टॉक का मूल्य (करोड़ रुपये में)	6162.95	2538.69	8701.64
9.	इ–एन.डब्ल्यू.आर. के विरुद्ध गिरवी वित्तध्ऋण (करोड़ रुपये में)	3293.33	979.52	4272.85

3.16 इ–एन.डब्ल्यू.आर. का ई–एनएएम प्लेटफॉर्म के साथ एकीकरण

ई–नाम, विनियमित कृषि उत्पाद विपणन समितियों (ए.पी.एम.सी.) में ऑनलाइन व्यापार को बढ़ावा देने और मंडियों के संपूर्ण कामकाज के डिजिटलीकरण के लिए एक वेब–आधारित मंच है। इसके अंतर्गत ई–नाम सदस्यों द्वारा बाज़ार में लाई गई उपज को सदस्यों द्वारा व्यापार के लिए ई–नाम मंच प्लेटफार्म पर रखा जाता है और व्यापार के अंतिम रूप देने के बाद भुगतान किया जाता है। इसमें गेट एंट्री, लॉट प्रबंधन, बोली, ई–बिक्री समझौता तैयार करना और ई–भुगतान आदि गतिविधियाँ भी शामिल हैं। इसके अलावा, ई–नैम पर व्यापार के लिए वस्तुओं की परख को सुविधाजनक बनाने के लिए, 150 कृषि वस्तुओं के लिए समान व्यापार योग्य मानदंड विकसित किए गए हैं।

प्राधिकरण ने इ–एन.डब्ल्यू.आर. प्रणाली को ई–नाम के साथ एकीकृत करने के लिए कृषि एवं किसान कल्याण विभाग के साथ मिलकर काम किया है, ताकि पंजीकृत भांडागारों द्वारा जारी इ–एन.डब्ल्यू.आर. के किसान/धारक अपने स्टॉक को ई–नाम प्लेटफॉर्म पर बेच सकें और बेहतर मूल्य प्राप्त कर सकें। किसी विशेष ई–नाम एपीएमसी बाजार में व्यापार के लिए पंजीकृत भांडागारों को राज्य प्राधिकरण द्वारा बाजार उप–यार्ड घोषित किया जाना आवश्यक है।

इस प्रयोजन के लिए, रेपोजिटरी (सी.सी.आर.एल. और एन.ई.आर.एल.) और ई–नाम प्लेटफॉर्म के बीच एक आईटी इंटरफेस बनाया गया है, ताकि किसी विशेष दिन ई–नाम प्लेटफॉर्म पर बोली लगाने के लिए इ–एन.डब्ल्यू.आर. धारकों के अनुरोध को आगे बढ़ाया जा सके। अनुरोध में सभी आवश्यक जानकारी होगी जैसे कि वस्तु की मात्रा/गुणवत्ता, इ–एन.डब्ल्यू.आर. विवरण, इ–एन.डब्ल्यू.आर. धारक विवरण, अपवादित मूल्य, विक्रेता के बैंक खाते का विवरण आदि। एक बार बोली को अंतिम रूप देने और विक्रेता/इ–एन.डब्ल्यू.आर. धारक द्वारा स्वीकार कर लिए जाने के बाद, ई–नाम का सदस्य खरीदार दो दिनों के निर्दिष्ट समय के भीतर ई–नाम के साथ ई–भुगतान करेगा। ई–नाम प्रणाली अपने शुल्कों में कटौती करने के बाद विक्रेता/ इ–एन.डब्ल्यू.आर. धारकों के खाते में राशि भेज देगी। ई–नाम खरीदार को इ–एन.डब्ल्यू.आर. हस्तांतरित करने के लिए रेपोजिटरी को संदेश भी भेजेगा:

इस व्यवस्था में, किसान/इ–एन.डब्ल्यू.आर. धारक को अपनी उपज एपीएमसी मंडी में ले जाने की आवश्यकता नहीं होगी और वह इ–एन.डब्ल्यू.आर. के माध्यम से ही भांडागार से अपनी उपज बेच सकेगा। इससे उसे बेहतर कीमतों का इंतज़ार करने का मौका मिलेगा और उसे अपनी उपज तुरंत बेचने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी।

आंध्र प्रदेश, राजस्थान और तेलंगाना में लगभग 60 भांडागारों को मार्केट सब–यार्ड घोषित किया गया है ताकि उन भांडागारों के इ–एन.डब्ल्यू.आर. धारकों को संबंधित एपीएमसी मंडी के ई–नाम प्लेटफॉर्म पर व्यापार करने की सुविधा मिल सके। हरियाणा सरकार ने 31 मार्च, 2020 को हरियाणा कृषि उपज मंडी (संशोधन) अधिनियम, 2020 के तहत अधिसूचित किया है कि भांडागारण (विकास और विनियमन), अधिनियम, 2007 (2007 का केंद्रीय अधिनियम 37) के प्रावधानों के तहत भांडागारण विकास और नियामक प्राधिकरण के साथ पंजीकृत एक भांडागार/साइलो/कोल्ड स्टोरेज एक डीम्ड मार्केट सब–यार्ड होगा और ऐसे भांडागार/साइलो/कोल्ड स्टोरेज का संचालक इस अधिनियम के प्रयोजन के लिए एक डीम्ड लाइसेंसधारी होगा।

3.17 भांडागारण क्षेत्र में कौशल विकास निर्माण कार्यक्रम

भांडागार क्षेत्र में कौशल विकास हेतु, प्राधिकरण द्वारा विभिन्न प्रशिक्षण भागीदार संस्थानों के माध्यम से पंजीकृत भांडागारों के भांडागारकर्मियों के लिए नियमित रूप से प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। इसके अतिरिक्त, किसानों/व्यापारियों/मिल मालिकों के लिए भांडागारण (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 2007 और परक्राम्य भांडागार रसीद प्रणाली के लाभों के बारे में जागरूकता कार्यक्रम भी नियमित रूप से आयोजित किए जाते हैं। ये कार्यक्रम 2024–25 के दौरान भी निम्नलिखित विवरण के अनुसार आयोजित किए गए।

3.17.1 भांडागारण (विकास और विनियमन) अधिनियम, 2007 और एन.डब्ल्यू.आर. /इ–एन.डब्ल्यू.आर. प्रणाली के लाभों पर किसानों के लिए जागरूकता कार्यक्रम

वर्ष 2024–25 के दौरान प्राधिकरण ने 15 राज्यों में 10869 प्रतिभागियों के लिए किसानों, व्यापारियों, मिल मालिकों आदि के बीच "एन.डब्ल्यू.आर.एस. प्रणाली के लाभों" पर 212 एक दिवसीय जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए। ये जागरूकता कार्यक्रम विभिन्न विशेषज्ञ संस्थानों जैसे सीसीएसएनआईएएम जयपुर, आईसीएम भोपाल, यूआरआईसीएम गांधीनगर, आईसीएम मदुरै, आईसीएम हैदराबाद, आरआईसीएम चंडीगढ़, एमआईसीएम भुवनेश्वर, आईजीआईसीएम लखनऊ, यूएजे जोधपुर, वीएमएनआईसीएम पुणे, आईसीएम तिरुवनंतपुरम, डीजीआईसीएम नागपुर, एनआईसीएम चेन्नई और एनआरआईसीएम कल्याणी, आईसीएम गुवाहाटी, एनआईपीएचएम हैदराबाद, आईसीएम जयपुर, आईसीएम पुणे, आईसीएम कन्नूर, केरल कृषि विश्वविद्यालय, बांदा कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय आदि के माध्यम से आयोजित किए गए। 2024–25 के दौरान आयोजित जागरूकता कार्यक्रमों का विवरण नीचे दिया गया है:

तालिका 3.15 किसान जागरूकता कार्यक्रम (एफ.ए.पी.) वित्त वर्ष 2024–25

क्र.सं.	संस्थान का नाम	वित्त वर्ष 2024–25 के दौरान आयोजित कार्यक्रम	लाभान्वित किसानों की संख्या
1	सहकारी प्रबंधन संस्थान (आईसीएम), भोपाल	6	300
2	सहकारी प्रबंधन संस्थान (आईसीएम), हैदराबाद	17	858
3	सहकारी प्रबंधन संस्थान (आईसीएम), मदुरै	10	500
4	इंदिरा गांधी सहकारी प्रबंधन संस्थान (आईजीआईसीएम), लखनऊ	10	500
5	मधुसूदन इंस्टीट्यूट ऑफ कोऑपरेटिव मैनेजमेंट (एमआईसीएम), भुवनेश्वर	08	401
6	नटेसन सहकारी प्रबंधन संस्थान (एनआईसीएम), चेन्नई	14	740
7	क्षेत्रीय सहकारी प्रबंधन संस्थान (आरआईसीएम), चंडीगढ़	13	701
8	उदयभानसिंहजी क्षेत्रीय सहकारी प्रबंधन संस्थान (यूआरआईसीएम), गांधीनगर	11	600
9	चौ. चरण सिंह राष्ट्रीय कृषि विपणन संस्थान (सीसीएस एनआईएएम), जयपुर	17	870
10	नेताजी सुभाष क्षेत्रीय सहकारी प्रबंधन संस्थान (एनएसआरआईसीएम), कल्याणी, पश्चिम बंगाल	14	732
11	क्षेत्रीय सहकारी प्रबंधन संस्थान (आईसीएम), बैंगलोर	6	305
12	धनंजयराव गाडगिल इंस्टीट्यूट ऑफ कोऑपरेटिव (डीजीआईसीएम), नागपुर	5	259
13	सहकारी प्रबंधन संस्थान (आईसीएम), पुणे	5	269
14	सहकारी प्रबंधन संस्थान (आईसीएम), जयपुर	6	300
15	सहकारी प्रबंधन संस्थान (आईसीएम), तिरुवनंतपुरम	15	750
16	सहकारी प्रबंधन संस्थान (आईसीएम), देहरादून	8	410
17	सहकारी प्रबंधन संस्थान (आईसीएम), गुवाहाटी	11	555

क्र.सं.	संस्थान का नाम	वित्त वर्ष 2024–25 के दौरान आयोजित कार्यक्रम	लाभान्वित किसानों की संख्या
18	राष्ट्रीय पादप स्वास्थ्य प्रबंधन संस्थान (एनआईपीएचएम), हैदराबाद	15	750
19	सहकारी प्रबंधन संस्थान (आईसीएम), कन्नूर	18	919
20	कृषि विश्वविद्यालय (यूए), जोधपुर, राजस्थान	1	50
21	बांदा कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, उत्तर प्रदेश	1	50
22	केरल कृषि विश्वविद्यालय	1	50
	कुल आयोजित कार्यक्रम	**212**	**10869**

प्राधिकरण की स्थापना के बाद से इस गतिविधि के अंतर्गत प्रगतिशील उपलब्धियाँ नीचे दी गई तालिका में दी गई हैं। कुल 1651 कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं और 82849 किसानों ने उनमें भाग लिया है।

तालिका 3.16

क्र. सं.	वर्ष	आयोजित कार्यक्रमों की संख्या	भाग लेने वाले किसानों/व्यापारियों/मिलर्स की संख्या
1.	2011–12	04	200
2.	2012–13	96	4800
3.	2013–14	138	6900
4.	2014–15	85	4250
5.	2015–16	95	4750
6.	2016–17	98	4900
7.	2017–18	97	4850
8.	2018–19	114	5700
9.	2019–20	115	5750

क्र. सं.	वर्ष	आयोजित कार्यक्रमों की संख्या	भाग लेने वाले किसानों/व्यापारियों/मिलर्स की संख्या
10.	2020–21	151	7550
11 |	2021–22	177	8874
12.	2022–23	258	12992
13.	2023–24	223	11333
14	2024–25	212	10869
	कुल	**1863**	**93,718**

वित्त वर्ष 2024–25 के दौरान विभिन्न प्रशिक्षण भागीदारों द्वारा आयोजित एक दिवसीय किसान जागरूकता कार्यक्रमों की तस्वीरें

3.17.2 भांडागारपाल/भांडागार प्रबंधकों का प्रशिक्षण

भांडागारों को प्रभावी और कुशलतापूर्वक चलाने में भांडागार प्रबंधकों की क्षमता बढ़ाने के लिए, प्राधिकरण अपने चिन्हित साझेदार प्रशिक्षण संस्थानों के माध्यम से पंजीकृत भांडागारों के भांडागार प्रबंधकों के लिए 5 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित कर रहा है, जिसे जनवरी, 2024 से 03–दिवसीय इन–हाउस प्रशिक्षण कार्यक्रम में संशोधित किया गया है। प्रशिक्षण कार्यक्रमों के दौरान, भांडागार प्रबंधकों को भांडागारण (विकास और विनियमन) अधिनियम, 2007 के उद्देश्यों, लक्ष्यों और मुख्य विशेषताओं, भांडागारों के प्रमाणीकरण के उद्देश्य और प्रक्रिया, भांडागारों के पंजीकरण, कृषि वस्तुओं के वैज्ञानिक भंडारण, कीट प्रबंधन, भांडागण प्रबंधन, परक्राम्य भांडागारों रसीदों के वित्तपोषण और भांडागारों और माल के बीमा के बारे में विस्तार से अवगत कराया जाता है।

कृषि वस्तुओं की श्रेणीकरण, नमूनाकरण और भांडागार में संग्रहीत स्टॉक के संरक्षण के व्यावहारिक प्रदर्शन के लिए, पास के पंजीकृत भांडागार का क्षेत्रीय भ्रमण भी आयोजित किया जाता है। प्रशिक्षण के सफल समापन पर, प्रतिभागियों को सहभागिता प्रमाणपत्र प्रदान किया जाता है।

2024–25 के दौरान, आईसीएम मदुरै , सीडब्ल्यूसी भोपाल , आईसीएम हैदराबाद , डीजीआईसीएम नागपुर और एमआईसीएम भुवनेश्वर के माध्यम से 16 प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए गए , जिनमें पंजीकृत भांडागारों के 545 भांडागार प्रबंधकों को प्रशिक्षित किया गया, जैसा कि नीचे विस्तार से बताया गया है।

तालिका 3.17 कुल– 03– दिवसीय कार्यक्रम

क्र.सं.	संस्थान का नाम	वित्त वर्ष 2024–25 के दौरान आयोजित कार्यक्रम	लाभान्वित प्रतिभागियों की संख्या
		03 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम कुल	03 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम कुल
1	आईसीएम मदुरै	7	238
2	सीडब्ल्यूसी भोपाल	1	40
3	आईसीएम हैदराबाद	5	167
4	डीजीआईसीएम, नागपुर	2	76
5	एमआईसीएम भुवनेश्वर	1	24
	कुल	**16**	**545**

प्राधिकरण के निरीक्षण के बाद से इस गतिविधि के अंतर्गत प्रगतिशील उपलब्धि इस प्रकार है, जिसमें वर्ष 2024–25 तक कुल 4799 प्रतिभागियों के साथ 143 प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं

तालिका 3.18

क्र. सं.	वर्ष	संस्था की का नाम	आयोजित कार्यक्रम की संख्या	प्रतिभागियों की संख्या
1.	2011–12	एनआईएएम, जयपुर	02	65
2.	2013–13	डॉ. एमसीआर संस्थान, हैदराबाद और एनआईएएम– जयपुर	04	131
3.	2013–14	डॉ. एमसीआर संस्थान, हैदराबाद, एनआईएएम– जयपुर और सीडब्ल्यूसी हापुड़	11	414
4.	2014–15	आईजीएमआरआई, हापुड़	10	354
5.	2015–16	सीसीएसएनआईएएम, जयपुर (03) और सीडब्ल्यूसी, आईजीएमआरआई, हापुड (01)	04	96
6.	2016–17	सीडब्ल्यूसी, आईजीएमआरआई, हापुड (04) और सीसीएसएनआईएएम, जयपुर (04)	08	211
7.	2017–18	सीडब्ल्यूसी, आईजीएमआरआई, हापुड (03) और सीसीएसएनआईएएम, जयपुर (02)	05	127
8.	2018–19	सीडब्ल्यूसी (04), सीसीएस एनआईएएम (05)	09	265
9.	2019–20	सीडब्ल्यूसी (04), सीसीएसएनआईएएम (08) और एनसीसीटी (02)	14	455
10.	2020–21	सीडब्ल्यूसी (01), सीसीएसएनआईएएम (02), एनसीसीटी (08) और एनसीडीसी लिनाक (03)	14	526
11.	2021–22	सीडब्ल्यूसी (02), सीसीएसएनआईएएम (03), एनसीसीटी (05) और एनसीडीसी लिनाक (03)	13	485
12.	2022–23	सीसीसीएस एनआईएएम (03), एनआईपीएचएम (2), एनआईपीएचएम (2), एनसीसीटी (9), एनसीडीसी, एलआईएनएसी (02) और एयूजे (01)	17	715
13.	2023–24	आईसीएम मदुरै (07), आईसीएम भोपाल (1), सीडब्ल्यूसी भोपाल (3), एनसीडीसी (1), एनआईपीएचएम (2), एसकेएनएयू (1), आईसीएम, हैदराबाद (1)	16	410

14.	2024–25	आईसीएम मदुरै (7), सीडब्ल्यूसी भोपाल (1), आईसीएम हैदराबाद (5), डीजीआईसीएम नागपुर (2), एमआईसीएम भुवनेश्वर (1)	16	545
	कुल		**143**	**4799**

वित्त वर्ष 2024–25 के दौरान विभिन्न प्रशिक्षण भागीदारों द्वारा आयोजित भांडागारपाल प्रशिक्षण कार्यक्रमों की झलकिया

3.17.3 परख प्रशिक्षण कार्यक्रम

डब्ल्यू.डी.आर.ए. ने परख तकनीकों से परिचित कर्मियों का एक प्रशिक्षित कैडर धीरे–धीरे विकसित करने के लिए 05–दिवसीय परख प्रशिक्षण कार्यक्रम (ए.टी.पी.) भी शुरू किया है, जिसे जनवरी, 2024 से 03–दिवसीय इन–हाउस प्रशिक्षण कार्यक्रम में संशोधित किया गया है। यह भांडागारण क्षेत्र से प्राप्त फीडबैक के आधार पर किया गया है। वर्ष 2024–25 के दौरान आईसीएम जयपुर, एनआईपीएचएम हैदराबाद, एयू जोधपुर, आईसीएम मदुरै, सीसीएस एनआईएएम और आईसीएम भोपाल के माध्यम से 12 परख प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए गए, जिनसे लगभग 296 प्रतिभागियों को लाभ हुआ।

तालिका 3.19 (कुल– 03– दिवसीय कार्यक्रम)

क्र.सं.	संस्थान का नाम	वित्त वर्ष 2024–25 के दौरान आयोजित कार्यक्रम	लाभान्वित प्रतिभागियों की संख्या
		03 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम कुल	03 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम कुल
1	एनआईपीएचएम हैदराबाद	1	16
2	आईसीएम भोपाल	1	40
3	सीसीएस नियाम, जयपुर (मध्य प्रदेश)	3	61
4	आईसीएम जयपुर	1	40
5	आईसीएम मदुरै	9	278
6	वामनिकॉम, पुणे	2	32
7	आईजीएमआरआई, (लुधियाना)	1	15
8	आईजीएमआरआई, (हैदराबाद)	1	4
9	आईजीएमआरआई, हापुड़	1	4
	कुल	**20**	**490**

वित्त वर्ष 2024–25 के दौरान विभिन्न प्रशिक्षण भागीदारों द्वारा आयोजित परख प्रशिक्षण कार्यक्रमों की तस्वीरें

3.18 आउटरीच कार्यक्रमों, संगोष्ठियों का आयोजन और समझौता ज्ञापनों का निष्पादन

3.18.1 आउटरीच कार्यक्रम

डब्ल्यू.डी.आर.ए. की छवि को दूर–दूर तक पहुँचाने के लिए पूरे भारत में कई आउटरीच कार्यक्रम आयोजित किए गए। 2024–25 के दौरान आयोजित कुछ कार्यक्रमों की झलकियाँ नीचे दी गई हैं:

तालिका 3.20

क्र.सं.	आउटरीच कार्यक्रम का विवरण	जगह	कार्यक्रम की तिथि/तिथियाँ
1	इ–एन.डब्ल्यू.आर. आधारित गिरवी वित्त (सीजीएस–एनपीएफ) के लिए ऋण गारंटी योजना का शुभारंभ	भारत मंडपम, नई दिल्ली में	16.12.2024
2	खम्मम जिले में स्थित कोल्ड स्टोरेज के पंजीकरण के लिए खम्मम, तेलंगाना का दौरा	डब्ल्यू.डी.आर.ए. द्वारा खम्मम (तेलंगाना) में आउटरीच कार्यक्रम आयोजित किया गया	07.03.2025
3	जोबनेर (राजस्थान) में कृषि एक्सपो–2025 प्रदर्शनी	जोबनेर, राजस्थान	10.03.2025 से 11.03.2025 तक
4	प्रशिक्षण एवं आउटरीच कार्यक्रम के लिए केरल एसडब्लूसी. का दौरा	कोच्चि और केरल में डब्ल्यूडीआरए द्वारा आयोजित आउटरीच कार्यक्रम	10.03.2025 से 12.03.2025 तक
5	डबल्यू.डी.आर.ए. पारिस्थितिकी तंत्र और भांडागार पंजीकरण प्रक्रिया के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए ओडिशा राज्य भंडारण निगम (ओएसडबल्यूसी) के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग बैठक आयोजित की गई। ओएसडबल्यूसी, सीडबल्यूसी और ओडिशा राज्य विपणन बोर्ड के प्रतिनिधियों सहित कुल 21 प्रतिभागियों ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में भाग लिया।	डबल्यू.डी.आर.ए. कार्यालय से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आउटरीच कार्यक्रम का आयोजन	11.03.2025
6	आउटरीच कार्यक्रम के लिए एमपीएसडब्ल्यूएलसी, भोपाल का दौरा	डबल्यू.डी.आर.ए.द्वारा भोपाल (मध्य प्रदेश) में आयोजित आउटरीच कार्यक्रम	18.03.2025 से 21.03.2025 तक
7	पूसा कृषि विज्ञान मेला 2025, पूसा, नई दिल्ली में प्रदर्शनी	पूसा, नई दिल्ली	22.02.2025 से 24.02.2025
8	आउटरीच कार्यक्रम के लिए जीएसडब्ल्यूसी, अहमदाबाद का दौरा	अहमदाबाद (गुजरात) में डबल्यू.डी.आर.ए. द्वारा आयोजित आउटरीच कार्यक्रम	26.03.2025 से 28.03.2025

अध्याय –4

गिरवी वित्त

4.1 परिचय

जैसा कि भांडागारण (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 2007 के उद्देश्यों के विवरण में परिकल्पित है, भांडागारण विकास और विनियामक प्राधिकरण विभिन्न हितधारकों, जैसे किसानों, व्यापारियों, बैंकों आदि, के बीच इ–एन.डब्ल्यू.आर. के विरुद्ध गिरवी वित्त को बढ़ावा देने का प्रयास कर रहा है। वर्तमान में, इलेक्ट्रॉनिक परक्राम्य भांडागार रसीद (इ–एन.डब्ल्यू.आर.) देश में एकमात्र परक्राम्य भांडागार रसीद है। भांडागारण (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 2007 के अनुसार, देश में केवल डब्ल्यू.डी.आर.ए. पंजीकृत भांडागार ही एन.डब्ल्यू.आर. जारी कर सकते हैं। इ–एन.डब्ल्यू.आर. धारकों को विभिन्न कानूनी सुरक्षाएँ प्रदान की जाती हैं। डब्ल्यू.डी.आर.ए. को जमाकर्ताओं के हितों की रक्षा करने और हितधारकों के बीच न्यासी विश्वास को बेहतर बनाने का दायित्व सौंपा गया है।

4.2 ब्याज सहायता

भारत सरकार ने किसान क्रेडिट कार्ड (के.सी.सी.) वाले छोटे और सीमांत किसानों को फसल कटाई के बाद छह महीने तक की अवधि के लिए ब्याज सहायता का लाभ दिया है, बशर्ते उपज को वे भांडागारण विकास और विनियामक प्राधिकरण (डब्ल्यू.डी.आर.ए.) के साथ पंजीकृत भांडागारों में परक्राम्य भांडागार रसीदों (एन.डब्ल्यू.आर.) के आधार पर संग्रहीत किया जाए। यह ब्याज सहायता फसल ऋण/कार्यशील पूंजी ऋण पर उपलब्ध ब्याज दर (अर्थात 7%) के समान होगी। इस योजना से के.सी.सी. खाते वाले किसानों को इ–एन.डब्ल्यू.आर.के आधार पर फसलोत्तर ऋण प्राप्त करने और अपनी नकदी संबंधी समस्याओं के प्रबंधन में मदद मिल सकती है।

4.3 रेपोजिटरी सिस्टम पर गिरवी प्रक्रिया

रेपोजिटरी सिस्टम पर गिरवी प्रक्रिया निम्नानुसार है:–

- जमाकर्ता वस्तु जमा करने के लिए डब्ल्यू.डी.आर.ए. पंजीकृत भांडागार में जाता है।
- स्टॉक की जांच के बाद भांडागारपाल स्टॉक को जमा के लिए स्वीकार कर लेता है।
- भांडागारपाल जमाकर्ता को इ–एन.डब्ल्यू.आर./ इ–एन.एन.डब्ल्यू.आर. जारी करता है।
- जमाकर्ता बैंक को ऋण अनुरोध प्रस्तुत करता है।
- बैंक, भांडागार प्रबंधक से इ–एन.डब्ल्यू.आर. में उल्लिखित विवरण की पुष्टि चाहता है।
- भांडागार प्रबंधक से पुष्टि के बाद, बैंक इ–एन.डब्ल्यू.आर. पर डिजिटल ग्रहणाधिकार अंकित करता है।
- बैंक जमाकर्ता को ऋण वितरित करता है।

4.4 रेपोजिटरी के साथ बैंकों को शामिल करना

रिपोर्टाधीन वर्ष में डब्ल्यू.डी.आर.ए. के रेपोजिटरी से जुड़ने वाले बैंकों की संख्या में तीव्र वृद्धि देखी गई है।

डबल्यू.डी.आर.ए. के रेपोजिटरी (एन.ई.आर.एल.ध्सी.सी.आर.एल. या दोनों) पर शामिल बैंकों/वित्तीय संस्थानों की संख्या का विवरण नीचे दिया गया हैः

तालिका 4.1 डबल्यू.डी.आर.ए. के रेपोजिटरी में शामिल बैंकों/वित्तीय संस्थाओं की संख्या

क्र. सं.	वर्ग	बैंकों की कुल संख्या	शामिल बैंकों की संख्या	शामिल किये जाने वाले बैंकों की संख्या
1	सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक	12	12	0
2	निजी क्षेत्र के बैंक	21	16	5
3	क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक	43	23	20
	कुल	**76**	**51**	**25**

4.5 गिरवी वित्त को बढ़ावा देने के लिए आउटरीच कार्यक्रम

इ–एन.डब्ल्यू.आर. को लोकप्रिय बनाने और इसके बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए देश के विभिन्न हिस्सों में डबल्यू.डी.आर.ए. अधिकारियों द्वारा विभिन्न आउटरीच कार्यक्रम आयोजित किए गए।

(i) इ–एन.डब्ल्यू.आर. के विरुद्ध गिरवी वित्त को बढ़ावा देने के लिए बैंकों के साथ सम्मेलन

डबल्यू.डी.आर.ए. द्वारा 25 जुलाई 2024 को नाबार्ड मुख्यालय, मुंबई में इ–एन.डब्ल्यू.आर. आधारित गिरवी वित्त, ई–किसान उपज निधि पोर्टल (ई–कुन) और इ–एन.डब्ल्यू.आर. आधारित गिरवी वित्त हेतु ऋण गारंटी योजना (सी.जी.एस.–एन.पी.एफ.) को बढ़ावा देने के लिए एक सम्मेलन आयोजित किया गया। इस सम्मेलन में डबल्यू.डी.आर.ए. अधिकारियों के अलावा सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों, निजी क्षेत्र के बैंकों, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों, आई.बी.ए., नाबार्ड और रेपोजिटरी के अधिकारियों ने भी बढ़–चढ़कर भाग लिया।

इ–किसान उपज निधि पोर्टल को बढ़ावा देने के लिए नाबार्ड के देश भर में तैनात जिला विकास प्रबंधकों (डी.डी.एम.) के साथ विभिन्न बैठकों का आयोजन।

(ii) इ–एन.डब्ल्यू.आर. आधारित गिरवी वित्त के लिए ऋण गारंटी योजना (सी.जी.एस.–एन.पी.एफ.)

इ–एन.डब्ल्यू.आर. आधारित गिरवी वित्त (सी.जी.एस.–एन.पी.एफ.) के लिए क्रेडिट गारंटी योजना माननीय केंद्रीय उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण और नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री, श्री प्रल्हाद जोशी द्वारा 16.12.2024 को शुरू की गई है। यह योजना भांडागारण विकास और विनियामक प्राधिकरण (डबल्यू.डी.आर.ए.) से मान्यता प्राप्त भांडागारों में वस्तुओं को जमा करने के बाद इलेक्ट्रॉनिक परक्राम्य भांडागार रसीदों (इ–एन.डब्ल्यू.आर.) के खिलाफ किसानों द्वारा प्राप्त फसल–पश्चात वित्त के लिए 1,000 करोड़ रुपये का कोष प्रदान करती है।

1. ऋण गारंटी योजनाओं से लक्षित लाभार्थियों के लिए वित्त की उपलब्धता और सुगमता में वृद्धि होने की उम्मीद है, क्योंकि ये आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। भारत सरकार ने समय–समय पर सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों, स्टार्टअप्स, सूक्ष्म वित्तीय संस्थानों, शिक्षा ऋणों, प्रधानमंत्री मुद्रा ऋणों आदि जैसे विभिन्न क्षेत्रों के लिए विभिन्न ऋण गारंटी योजनाएँ शुरू की हैं।
2. इ–एन.डब्ल्यू.आर. आधारित गिरवी वित्त के लिए ऋण गारंटी योजना की मांग विभिन्न हितधारकों, विशेष रूप से बैंकिंग क्षेत्र द्वारा की जा रही है। माननीय उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्री के एक पत्र का उत्तर देते हुए, आर.बी.आई. गवर्नर ने इ–एन.डब्ल्यू.आर. आधारित गिरवी वित्त को कवर करने वाली किसी ऋण गारंटी योजना के अभाव पर भी प्रकाश डाला। ऋण गारंटी योजना निश्चित रूप से इ–एन.डब्ल्यू.आर. के आधार पर फसलोत्तर ऋण को बढ़ाने में सहायक होगी और इस प्रकार किसानों की आय में सुधार लाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी।
3. वर्तमान में कुल कृषि ऋण, जो मुख्यतः फसल–पूर्व वित्त, लगभग 21 लाख करोड़ रुपये है, जबकि गिरवी वित्त (फसलोत्तर वित्त) केवल 35,000 करोड़ रुपये के आसपास ही है। स्पष्टतः, फसलोत्तर वित्त में सुधार की काफी गुंजाइश है। गिरवी वित्त के मौजूदा निम्न स्तर के कारण कृषि उपज की बिक्री संकटग्रस्त हो जाती है और उसकी कीमतें कम हो जाती हैं।

4. इस योजना का मुख्य उद्देश्य बैंकों को इ–एन.डब्ल्यू.आर. के बदले गिरवी वित्त प्रदान करने के लिए प्रोत्साहित करना है। इस योजना से फसलोत्तर वित्त में वृद्धि और कृषि क्षेत्र में ऋण प्रवाह में वृद्धि होने की उम्मीद है, जिससे संकटकालीन बिक्री से बचा जा सकेगा और कृषि उपज के बेहतर लाभकारी मूल्य प्राप्त होंगे।

5. यह योजना मुख्य रूप से लघु एवं सीमांत किसानों, किसान उत्पादक संगठनों (एफ.पी.ओ.), महिलाओं, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और दिव्यांगजन (पी.डबल्यू.डी.) किसानों, किसान सहकारी समितियों और अन्य किसानों पर केंद्रित है। इसके अलावा, व्यापारियों और सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों (एम.एस.एम.ई.) को भी इस योजना का लाभ मिलेगा।

6. इ–एन.डब्ल्यू.आर. आधारित गिरवी वित्त (सी.जी.एस.–एन.पी.एफ.) के लिए ऋण गारंटी योजना की मुख्य विशेषताएं इस प्रकार हैं:

कुल कोष	1000 करोड़ रुपये
कवरेज	कृषि प्रयोजन के लिए 75 लाख रुपये तक का ऋण और गैर–कृषि प्रयोजन के लिए 200 लाख रुपये तक का ऋण।
पात्र संस्थान	सभी अनुसूचित बैंक और सभी सहकारी बैंक
पात्र उधारकर्ता	लघु एवं सीमांत किसान (एस.एम.एफ.)/महिलाएं/एस.सी./एस.टी./दिव्यांग किसान, अन्य किसान, एम.एस.एम.ई., व्यापारी, एफ.पी.ओ. और किसान सहकारी समितियां।
कवर किए गए जोखिम	ऋण और भांडागार जोखिम
गारंटी शुल्क	किसानों के लिए 0.4% प्रति वर्ष और गैर–किसानों के लिए 1% प्रति वर्ष
गारंटी कवरेज	3 लाख रुपये तक के ऋण पर 85% लघु तथा छोटे एवं सीमांत किसानों/महिलाओं/अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/दिव्यांगजनों के लिए 3 से 75 लाख रुपये तक के ऋण पर 80% और अन्य उधारकर्ताओं के लिए 75%

क्र.स.	**पात्र दावा**	**दावे की पहली किस्त (डिफ़ॉल्ट राशि का प्रतिशत)**	**दावे की दूसरी किस्त (डिफ़ॉल्ट राशि का प्रतिशत)**
(क)	75 लाख रुपये तक	75%	25%
(ख)	75 लाख रुपए से ऊपर और 2 करोड़ रुपए तक	60%	40%

* बैंकों के गारंटी दावे का निपटान दो चरणों में किया जाएगा।

सी.जी.एस.–एन.पी.एफ. के शुभारंभ से पहले, "किसानों की आय में सुधार करने में गिरवी वित्त/ फसलोत्तर वित्त की भूमिका" पर एक पैनल चर्चा आयोजित की गई थी।

श्री मुकेश कुमार जैन, पूर्व सदस्य, डबल्यू.डी.आर.ए. पैनल चर्चा का संचालन करते हुए

4.6 बैंकों के साथ बैठकें

डबल्यू.डी.आर.ए. बैंकों के साथ सीधे बातचीत कर रहा है ताकि उन्हें डिजिटल परक्राम्य भांडागार रसीदों, यानी डबल्यू.डी.आर.ए. पंजीकृत भांडागारों द्वारा जारी ईएनडब्ल्यूआर, के आधार पर अधिक फसलोत्तर वित्त प्रदान करने के लिए प्रेरित किया जा सके। इ–एन.डब्ल्यू.आर. के आधार पर गिरवी वित्त को बढ़ावा देने के लिए कई बैंकों के साथ बैठकें आयोजित की गईं।

4.7 बैंकों के साथ समझौता ज्ञापन

(i) डबल्यू.डी.आर.ए. और इंडियन बैंक ने 19.08.2024 को देश में इ–एन.डब्ल्यू.आर. के विरुद्ध गिरवी वित्त को बढ़ावा देने के लिए समझौता ज्ञापन का आदान–प्रदान किया।

4.8 गिरवी वित्त को बढ़ावा देने के लिए मंत्रालयों द्वारा पहल

वित्तीय सेवा विभाग (डी.एफ.एस.) ने अपने पत्र संख्या 3/07/2022–एसी दिनांक 25.01.2023 के माध्यम से सभी सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों को "भारतीय स्टेट बैंक उत्पाद विपणन ऋण" की तर्ज पर एक ऋण उत्पाद तैयार करने की व्यवहार्यता पर विचार करने की सलाह दी थी। डी.एफ.एस. ने अपने एक अन्य पत्र संख्या 3/07/2022–एसी दिनांक 17.01.2023 में एस.एल.बी.सी. के संयोजकों को सलाह दी कि वे अपनी बैठकों में इ–एन.डब्ल्यू.आर. के विरुद्ध गिरवी वित्त को एक स्थायी एजेंडे के रूप में शामिल करें।

इ–एन.डब्ल्यू.आर. और डब्ल्यू.डी.आर.ए. विनियमन के लाभों पर विचार करते हुए, भारतीय रिजर्व बैंक ने 29/04/2021 को कृषि उत्पाद (भांडागार रसीदों सहित) की गिरवी/बंधक के विरुद्ध ऋण के लिए प्राथमिकता क्षेत्र की सीमा को इ–एन.डब्ल्यू.आर. के लिए 50 लाख रुपये से बढ़ाकर 75 लाख रुपये कर दिया है, जबकि अन्य भांडागार रसीदों के लिए इसे 50 लाख रुपये तक सीमित किया गया है।

4.9 गिरवी वित्त को बढ़ावा देने के लिए बैंकों द्वारा की गई पहल

भारतीय स्टेट बैंक ने डबल्यू.डी.आर.ए. पंजीकृत भांडागारों द्वारा जारी इ–एन.डब्ल्यू.आर. के विरुद्ध किसानों के लिए "उत्पाद विपणन ऋण (पी.एम.एल.)" नामक एक उत्पाद शुरू किया था, जिसमें शून्य प्रसंस्करण शुल्क, ब्याज की कम दर, संपार्श्विक सुरक्षा की छूट जैसी आकर्षक विशेषताएं थीं।

4.10 गिरवी वित्त की वृद्धि

डबल्यू.डी.आर.ए. पंजीकृत भांडागारों ने अब तक 5 लाख से ज्यादा एन.डब्ल्यू.आर./इ–एन.डब्ल्यू.आर. जारी किए हैं। कई बैंक इ–एन.डब्ल्यू.आर. के बदले गिरवी ऋण दे रहे हैं और गिरवी वित्त में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। यह इ–एन.डब्ल्यू.आर. प्रणाली पर बैंकों और जमाकर्ताओं के विश्वास को दर्शाता है।

कुछ गत वर्षों में एन.डब्ल्यू.आर./इ–एन.डब्ल्यू.आर. के विरुद्ध गिरवी वित्त की प्रगति इस प्रकार है:–

चित्र 4.1

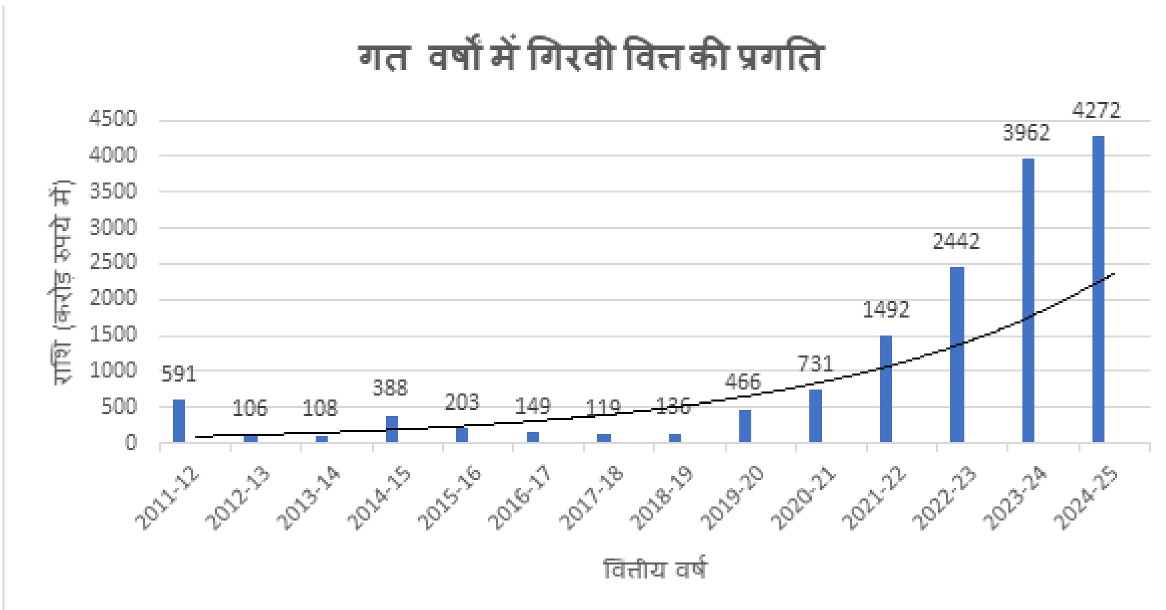

वित्त वर्ष 2024–25 में जारी किए गए इ–एन.डब्ल्यू.आर. का राज्यवार विवरण निम्नानुसार सारणीबद्ध है:–

राज्य का नाम	इ–एन.डब्ल्यू.आर. गणना	अनुमानित मूल्य (लाखों में)	मात्रा (क्विंटल)
आंध्र प्रदेश	3251	134618.22	926817
बिहार	53	2203.02	93508
छत्तीसगढ	33	1592.08	48963
गुजरात	21944	115841.49	2296415
हरीयाणा	598	22832.79	517558
कर्नाटक	491	23704.01	199236

केरल	51	2109.03	11240
मध्य प्रदेश	6823	170779.27	4313280
महाराष्ट्र	7170	63768.27	1045547
ओडिशा	14	1328.89	9642
पुदुचेरी	19	310.86	6224
पंजाब	59	13472.42	354593
राजस्थान	18764	207817.88	3137304
तमिलनाडु	1161	30372.86	619390
तेलंगाना	1835	30413.13	372503
उत्तर प्रदेश	2915	49000.03	1073339
कुल योग	**65181**	**870164.27**	**15025560**

वित्त वर्ष 2024–25 में जारी किए गए इ–एन.डब्ल्यू.आर. की राज्यवार प्रतिशत गणना इस प्रकार है:–

चित्र 4.2 – वित्त वर्ष 2024–25 में इ–एन.डब्ल्यू.आर. की गणना

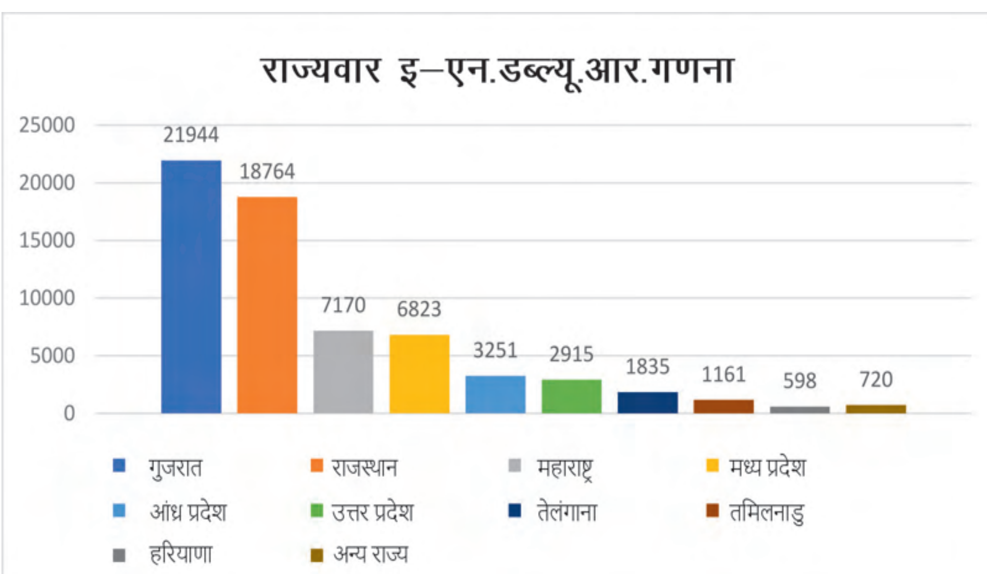

वित्त वर्ष 2024–25 में जारी किए गए इ–एन.डब्ल्यू.आर. का प्रमुख वस्तु–वार विवरण इस प्रकार है:–

चित्र 4.3

ट्रेलिंग मेल के अनुसार, सत्यापन कार्य दिनांक 09.07.2025 से लेकर नियमित आधार पर पूरे दिन या दिन के दूसरे भाग में पूरा होने तक संसाधित किया जाएगा।

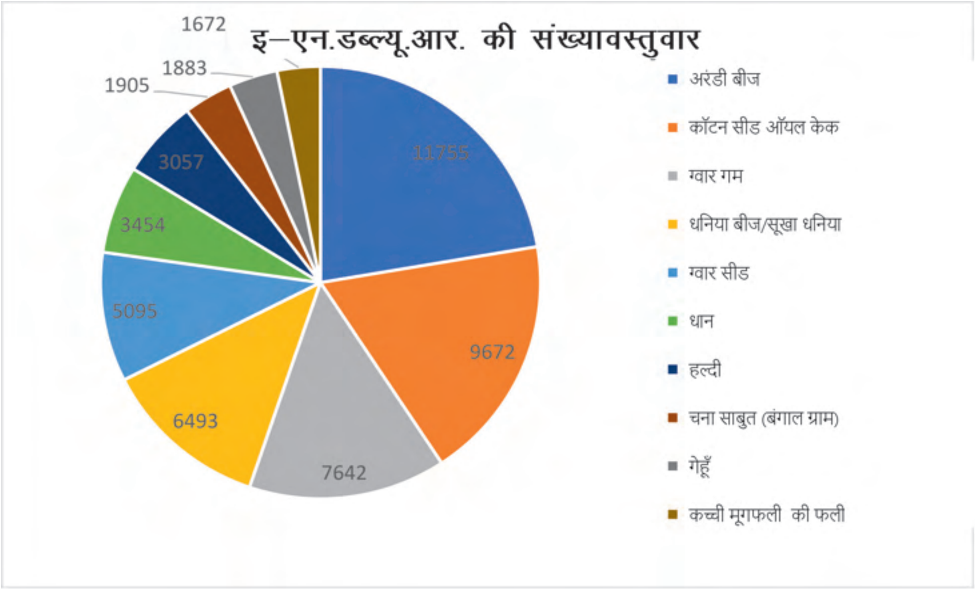

अध्याय–5

2024–25 में डबल्यू.डी.आर.ए. की उपलब्धियाँ

5.1 इ–एन.डब्ल्यू.आर. आधारित गिरवी वित्त पर ऋण गारंटी योजना

इ–एन.डब्ल्यू.आर. आधारित गिरवी वित्त हेतु ऋण गारंटी योजना को भारत सरकार द्वारा अनुमोदित किया गया। तत्पश्चात, इस योजना का शुभारंभ माननीय उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण तथा नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री श्री प्रल्हाद जोशी के कर कमलों द्वारा 16.12.2024 को भारत मंडपम, नई दिल्ली में किया गया। यह योजना छोटे और सीमांत किसानों (एस.एम.एफ.)/महिलाआ/एस.सी./एस.टी./दिव्यांग किसानों, अन्य किसानों, एम.एस.एम.ई., व्यापारियों, एफ.पी.ओ. और किसान सहकारी समितियों द्वारा भांडागारण विकास और विनियामक प्राधिकरण (डबल्यू.डी.आर.ए.) से मान्यता प्राप्त भांडागारण में वस्तुओं को जमा करने के बाद प्राप्त इलेक्ट्रॉनिक परक्राम्य भांडागार रसीदों (इ–एन.डब्ल्यू.आर.) के आधार पर फसल कटाई के उपरांत वित्त के लिए 1,000 करोड़ रुपये का कोष प्रदान करती है।

16.12.2024 को माननीय उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण तथा नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री श्री प्रल्हाद जोशी द्वारा ऋण गारंटी योजना का शुभारंभ

ऋण गारंटी योजनाओं से लक्षित लाभार्थियों के लिए वित्त की उपलब्धता और सुगमता में वृद्धि होने की उम्मीद है, क्योंकि ये आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। इ–एन.डब्ल्यू.आर. आधारित गिरवी वित्त के लिए ऋण गारंटी योजना की विभिन्न हितधारकों, विशेष रूप से बैंकिंग क्षेत्र द्वारा मांग की जा रही है। ऋण गारंटी योजना इ–एन.डब्ल्यू.आर. के आधार पर फसलोत्तर ऋण को बढ़ाने में सहायक होगी और इस प्रकार, किसानों की आय में सुधार लाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी।

यह योजना मुख्य रूप से छोटे और सीमांत किसानों, महिलाओं, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और दिव्यांगजन किसानों पर केंद्रित है, जिसके लिए न्यूनतम गारंटी शुल्क लिया जाता है। इसके अलावा, छोटे व्यापारी (एम.एस.एम.ई.), किसान उत्पादक संगठन भी इस योजना के अंतर्गत लाभान्वित होते हैं। छोटे और सीमांत किसानों को दिए गए 75 लाख रुपये तक के ऋणों का कवरेज 80 से 85% तक एम.एस.एम.ई./एफ.पी.ओ./व्यापारियों को दिए गए 200 लाख रुपये तक के ऋणों का कवरेज 75% तक होगा।

इ–एन.डब्ल्यू.आर. आधारित गिरवी वित्त (सीजीएस–एनपीएफ) के लिए ऋण गारंटी योजना की मुख्य विशेषताएं इस प्रकार हैं:

<table>
<tr><td>कुल कोष</td><td>1000 करोड़ रुपये</td></tr>
<tr><td>कवरेज</td><td>कृषि प्रयोजन के लिए 75 लाख रुपये तक का ऋण और गैर–कृषि प्रयोजन के लिए 200 लाख रुपये तक का ऋण।</td></tr>
<tr><td>पात्र संस्थान</td><td>सभी अनुसूचित बैंक और सभी सहकारी बैंक</td></tr>
<tr><td>पात्र उधारकर्ता</td><td>लघु एवं सीमांत किसान (एसएमएफ)/महिलाएं/एससी/एसटी/दिव्यांग किसान, अन्य किसान, एमएसएमई, व्यापारी, एफपीओ और किसान सहकारी समितियां।</td></tr>
<tr><td>कवर किए गए जोखिम</td><td>ऋण और भांडागार जोखिम</td></tr>
<tr><td>गारंटी शुल्क</td><td>किसानों के लिए 0.4% प्रति वर्ष और गैर–किसानों के लिए 1% प्रति वर्ष</td></tr>
<tr><td>गारंटी कवरेज</td><td>3 लाख रुपये तक के ऋण पर 85% लघु तथा छोटे एवं सीमांत किसानों/महिलाओं/अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/दिव्यांगजनों के लिए 3 से 75 लाख रुपये तक के ऋण पर 80% और अन्य उधारकर्ताओं के लिए 75%।</td></tr>
<tr><td>दावे का निपटान*</td><td>
<table>
<tr><td>क्र. स.</td><td>पात्र दावा</td><td>दावे की पहली किस्त (डिफ़ॉल्ट राशि का%)</td><td>दावे की दूसरी किस्त (डिफ़ॉल्ट राशि का :)</td></tr>
<tr><td>(क)</td><td>75 लाख रुपये तक</td><td>75%</td><td>25%</td></tr>
<tr><td>(ख)</td><td>75 लाख रुपये से अधिक और 2 करोड़ रुपये तक</td><td>60%</td><td>40%</td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

इसके बाद, इलेक्ट्रॉनिक परक्राम्य भांडागार रसीद (इ–एन.डब्ल्यू.आर.) आधारित गिरवी ऋणों के वित्त के लिए पात्र ऋण संस्थानों (ईएलआइ) द्वारा विस्तारित ऋणों को ऋण गारंटी प्रदान करने के उद्देश्य से इ–एन.डब्ल्यू.आर. आधारित गिरवी वित्त (सीजीएस–एनपीएफ) परिचालन दिशानिर्देशों के लिए क्रेडिट गारंटी योजना के संबंध में 13.02.2025 को राजपत्र अधिसूचना जारी की गई थी।

एनसीजीटीसी के साथ बैंकों की ऑनबोर्डिंग शुरू हो गई है और वित्त वर्ष 2024–25 में तक 8 बैंक ऑनबोर्ड हुए हैं।

5.2 वित्तीय वर्ष 2024–25 के लिए डब्ल्यूडीआरए की महत्वपूर्ण उपलब्धियां/गतिविधियां:

गतिविधि का नाम	वित्तीय वर्ष 2024–2025 के लिए उपलब्धियां
डबल्यू.डी.आर.ए. के साथ पंजीकृत भांडागारों की संख्या	1681
जारी की गयी इ–एन.डब्ल्यू.आर. की संख्या	65181
इ–एन.डब्ल्यू.आर. के विरुद्ध ऋण राशि (करोड़ रुपये में)	4271.61
इ–एन.डब्ल्यू.आर. के विरुद्ध जमा की गई वस्तुओं की मात्रा (लाख टन में मात्रा)	15.02
इ–एन.डब्ल्यू.आर. के विरुद्ध जमा की गई वस्तुओं का मूल्य (करोड़ रुपये में)	8701.58
किसान जागरूकता कार्यक्रमों की संख्या	212
भाग लेने वाले किसानों की संख्या	10869
भांडागार प्रबंधकों के लिए प्रशिक्षणों की संख्या	16
प्रतिभागियों की संख्या (भांडागार प्रबंधक)	545
परख प्रशिक्षण कार्यक्रमों की संख्या	20
प्रतिभागियों (परखकर्ताओं) की संख्या	490
पैनलबद्ध तृतीय पार्टी निरीक्षण एजेंसियों के माध्यम से किए गए भौतिक और स्टॉक निरीक्षणों की संख्या	3611 (2286+1325)

पंजीकृत भांडागारों की संख्या (वर्षवार)

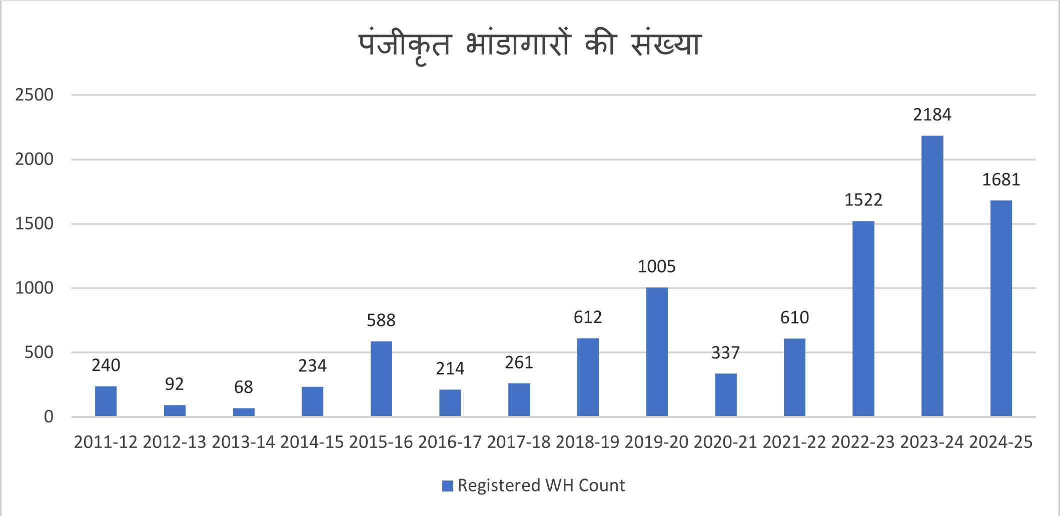

इ–एन.डब्ल्यू.आर. के विरुद्ध जारी गिरवी ऋण (वर्षवार)

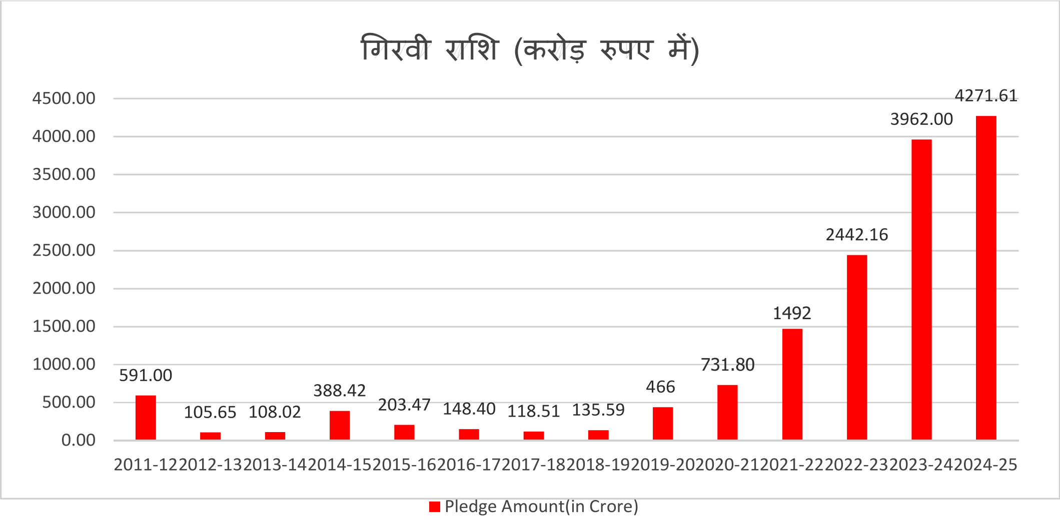

5.3 डब्ल्यूडीआरए द्वारा किए गए सुधार:

- दिनांक 05.06.2024 के राजपत्र अधिसूचना के अनुसार, भांडागारपाल द्वारा इलेक्ट्रॉनिक परक्राम्य भांडागार रसीद जारी करना अनिवार्य हैं। अतः भांडागारपाल सभी परक्राम्य भांडागार रसीद केवल इलेक्ट्रॉनिक रूप में कर सकता है। प्राधिकरण, इलेक्ट्रॉनिक परक्राम्य भांडागार रसीदों के सृजन तथा प्रबंधन के लिए स्वयं एक रेपोजिटरी के रूप में कार्य कर सकता है या इस कार्य के लिए एक या अधिक निकायों को पंजीकृत कर सकता है।
- डब्ल्यूडीआरए ने गतिशील प्रतिभूति जमा आवश्यकता को युक्तिसंगत बनाया है। अब, डब्ल्यूडीआरए के साथ भांडागारों के पंजीकरण के लिए गतिशील प्रतिभूति जमा आवश्यकता को पहले स्लैब

में मौजूदा 3% से घटाकर 1% कर दिया गया है और अन्य स्लैब में भी इसे कम कर दिया गया है, जैसा कि प्रतिभूति जमा आवश्यकताओं को राजपत्र अधिसूचना दिनांक 12.07.2024 के पैरा 4 (ख) में दर्शाया गया है।

- प्रक्रिया का सरलीकरणः पहले व्यक्तिगत और गैर–व्यक्तिगत भांडागारपालों के लिए पंजीकरण हेतु दो अलग–अलग आवेदन पत्र होते थे। अब, प्रक्रिया को सरल बनाने के लिए, दोनों श्रेणियों के लिए दोनों आवेदन पत्रों को एक ही आवेदन पत्र में मिला दिया गया है। इसके परिणामस्वरूप भांडागार पंजीकरण की प्रक्रिया सरल हो गयी है तथा आवेदन पत्र का आकार छोटा और उपयोगकर्ता–अनुकूल है।
- भांडागारण (विकास और विनियमन) पंजीकरण नियम, 2017 को 17.02.2025 को जारी राजपत्र अधिसूचना के अनुसार आकस्मिक योजना को संचालित करने के लिए संशोधित किया गया।
- (v) देश में इ–एन.डब्ल्यू.आर. (इलेक्ट्रॉनिक परक्राम्य भांडागार रसीद) के विरुद्ध गिरवी वित्त को बढ़ावा देने के लिए 19.08.2024 को डब्ल्यूडीआरए कार्यालय में भांडागारण विकास और विनियामक प्राधिकरण एवं बैंकों के बीच समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए, जिससे किसानों और व्यापारियों को बिना किसी अतिरिक्त संपार्श्विक के आकर्षक ब्याज दरों पर ऋण प्राप्त करने में सुविधा होगी।

डब्ल्यूडीआरए के तत्कालीन अध्यक्ष श्री टी.के. मनोज कुमार और इंडियन बैंक के महाप्रबंधक श्री बिजय कुमार सारंगी के बीच एक समझौता ज्ञापन का आदान–प्रदान किया गया। इस अवसर पर डब्ल्यूडीआरए के तत्कालीन सदस्य मुकेश कुमार जैन, उप निदेशक (एम एंड सी) श्री नवीन बरोलिया, डब्ल्यूडीआरए के सहायक निदेशक (एसएओ) श्री साई प्रदीप, इंडियन बैंक के डीजीएम श्री वसीम अहमद और डब्ल्यूडीआरए के अन्य अधिकारी उपस्थित थे।

(vi) आईटी विकासः

प्राधिकरण ने आंतरिक स्वचालन और व्यावसायिक प्रक्रिया अनुकूलन हेतु आईटी अनुप्रयोगों को लागू करने हेतु एक सिस्टम इंटीग्रेटर की नियुक्ति की है, जिसमें डब्ल्यूडीआरए वेब पोर्टल संस्करण 2.0 का डिज़ाइन, विकास, कार्यान्वयन, संचालन और रखरखाव शामिल है। उन्नत पोर्टल में निम्नलिखित सुविधाएँ होंगीः

- पंजीकरण/नवीनीकरण/अभ्यर्पण/रद्दीकरण;
- निरीक्षण;
- बीमा;
- प्रतिभूति जमा प्रबंधन;
- प्रबंधन सूचना प्रणाली;

- निगरानी और मॉनीटरिंग प्रणाली;
- शिकायत निवारण और विवाद समाधान प्रणालीय और
- वित्त, प्रशिक्षण और जागरूकता के लिए आंतरिक स्वचालन।

(vii) कृषि और गैर–कृषि वस्तुओं की अधिसूचना: भांडागारण (विकास और विनियमन) पंजीकरण नियम 2017 के अनुसार, 10 और कृषि वस्तुओं को राजपत्र अधिसूचना दिनांक 02.07.2024 द्वारा से अधिसूचित किया गया है, जिन्हें नीचे दी गई तालिका में निर्दिष्ट पंजीकृत वेयरहाउस में संग्रहीत किया जाएगा:

तालिका

क्र. स.	वस्तु का नाम
1	बार्नयार्ड मिलेट
2	ब्राउनटॉप मिलेट
3	फॉक्सटेल मिलेट
4	अदरक बीज
5	कटहल बीज
6	कोडो मिलेट
7	लिटल मिलेट
8	प्रोसो मिलेट
9	कच्चा अरारोट पाउडर
10	सफेद मटर

उक्त तालिका में निर्दिष्ट वस्तुएँ एगमार्क या भारतीय मानक ब्यूरो या भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण के गुणात्मक विनिर्देशों या मानकों के अनुरूप होंगी। यदि इन वस्तुओं के लिए एगमार्क या भारतीय मानक ब्यूरो या भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण के मानक उपलब्ध नहीं हैं, तो केंद्र सरकार या राज्य सरकारों या सरकारी निकायों द्वारा निर्धारित गुणवत्ता मानक लागू होंगे।

रासायनिक या संबद्ध प्रयोगशाला विश्लेषण की आवश्यकता वाली वस्तुओं के लिए, सभी एगमार्क प्रयोगशालाएं, राष्ट्रीय परीक्षण और अंशांकन प्रयोगशाला प्रत्यायन बोर्ड द्वारा अधिसूचित सभी मान्यता प्राप्त प्रयोगशालाएं और भारतीय मानक ब्यूरो तथा भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण द्वारा मान्यता प्राप्त प्रयोगशालाएं परीक्षण के लिए अधिकृत हैं।

इसके अतिरिक्त, केन्द्र सरकार या राज्य सरकार की प्रयोगशालाएं और उनके द्वारा मान्यता प्राप्त अन्य प्रयोगशालाएं उक्त वस्तुओं का परीक्षण कर सकती हैं।

प्राधिकरण ने अब तक अनाज, दालें, तिलहन, वनस्पति तेल, मसाले, खाद्य मेवे, रबर, तंबाकू, चाय, कॉफी, मखाना आदि सहित 167 कृषि वस्तुए जिनमें आलू, प्याज, लहसुन, अदरक, हल्दी, सेब, किशमिश आदि शामिल है, को अधिसूचित किया है। एल्युमीनियम, तांबा, निकल, सीसा, जस्ता, टिन, पीतल, इस्पात और लौह अयस्क जैसी 09 गैर–कृषि वस्तुओं को भी अधिसूचित किया गया है।

5.4 प्रदर्शनी / मेलाः

डब्ल्यूडीआरए ने 10 मार्च, 2025 से 11 मार्च, 2025 तक एसकेएन कृषि विश्वविद्यालय, जोबनेर–जयपुर, राजस्थान द्वारा आयोजित किसान मेलाध्कृषि एक्सपो 2025 में भाग लिया। इस एक्सपो में किसानों, छात्रों, एफपीओ, पैक्स, भांडागारपालों और भावी भांडागारपालों सहित विविध दर्शकों ने भाग लिया।

(i) डब्ल्यूडीआरए का स्टॉल दर्शकों के लिए मुख्य आकर्षण का केंद्र रहा तथा 635 आगंतुकों को आकर्षित किया। हमारे प्रयासों को सराहा गया और कार्यक्रम के दौरान हमारे स्टॉल पर सबसे अधिक आगंतुकों को लाने के लिए हमें प्रथम पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इस भागीदारी ने डब्ल्यूडीआरए की पहलों को प्रदर्शित किया और कृषि क्षेत्र के हितधारकों के साथ हमारे संबंधों को मजबूत किया।

ii) डब्ल्यूडीआरए ने 22 फरवरी, 2025 से 24 फरवरी, 2025 तक पूसा कृषि विज्ञान मेला 2025 में भाग लिया। डब्ल्यूडीआरए स्टॉल का 505 आगंतुकों ने दौरा किया, जिसमें किसान, भांडागारपाल, भावी भांडागारपाल आदि शामिल थे।

अध्याय – VI

वित्तीय प्रदर्शन सहित डबल्यू.डी.आर.ए. के संगठनात्मक मामले

6.1 डब्ल्यूडीआरए संगठनात्मक (मानव संसाधन)

31 मार्च, 2025 तक डब्ल्यूडीआरए की स्वीकृत संख्या तथा भरे गए पद निम्नानुसार हैः

क्र.सं.	पदों का नाम	पदों की स्वीकृत संख्या	भरे गए पदों की संख्या 31 मार्च, 2025 को
1	संयुक्त सचिव	1	1
2	निदेशक	2*	2
3	अवर/सचिव	2	2
4	उप निदेशक	9	3
5	प्रधान निजी सचिव	1	1
6	सहायक निदेशक	8	8
7	अनुभाग अधिकारी	1**	1
8	सहायक स्तर 7	11	8
9	सहायक स्तर 6	1	1
10	लेखाकार	1	1
11	निजी सचिव	2	2
12	स्टाफ फील्ड ऑफिसर	1	1
13	पीए/स्टेनो	2	1
14	ड्राइवर	1	1
	कुल	**43**	**33**

*निदेशक (आईटी) का एक पद 31.03.2025 को समाप्त माना गया था, जिसके पुनरुद्धार को वित्त मंत्रालय द्वारा अनुमोदित किया गया है (डीओई, आईडी नोट संख्या 12(2)/सीए/एफएंडपीडी,2025/ई.कोऑर्ड./पीएचवाई, दिनांक 08.04.2025)।

**वित्त मंत्रालय द्वारा अनुभाग अधिकारी (तकनीकी) का एक पद समाप्त माना गया है (डीओई, आईडी नोट संख्या 12(2)/सीए/एफ एंड पीडी,2021/ई.कोऑर्ड. (300494990), दिनांक 08.04.2025)।

6.2 प्राधिकरण में सतर्कता निगरानी

श्री जीतेश शर्मा, निदेशक (प्रशासन एवं वित्त) प्राधिकरण के मुख्य सतर्कता अधिकारी के रूप में कार्यरत हैं। 31.03.2025 तक, वर्ष के दौरान प्राधिकरण में कोई भी सतर्कता मामला न तो विचाराधीन था और न ही लंबित था।

6.3 प्राधिकरण में आरटीआई अधिनियम, 2005 का कार्यान्वयन

वित्त वर्ष 2024–25 के दौरान, श्री जीतेश शर्मा, निदेशक (प्रशासन एवं वित्त) पूरे वर्ष केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी (सीपीआईओ) के पद पर कार्यरत रहे हैं। केंद्रीय सहायक लोक सूचना अधिकारी (सीएपीआईओ) का कार्यभार तत्कालीन उप निदेशक (एएफ एंड सी), सुश्री नवनीत संधू ने 12.08.2024 तक संभाला। तत्पश्चात, श्री मनीष कुमार जैन, अवर सचिव (ए एंड एफ) को 13.08.2024 से सीएपीआईओ नामित किया गया। प्रारंभ में, श्री धीरज साहू , तत्कालीन संयुक्त सचिव और बाद में श्री अनिरुद्ध कुमार, संयुक्त सचिव, वित्त वर्ष 2024–25 के दौरान अपीलीय प्राधिकारी के रूप में कार्यरत रहे। यह जानकारी आम जनता की जानकारी के लिए प्राधिकरण की वेबसाइट पर प्रदर्शित की गई है। वर्ष 2024–25 के दौरान सूचना का अधिकार अधिनियम के अंतर्गत कुल 12 संदर्भ प्राप्त हुए, जिनके लिए समय पर जानकारी प्रदान की गई। वित्त वर्ष 2024–25 के दौरान एक प्रथम अपील भी प्राप्त हुई और उसका समय पर निपटारा कर दिया गया।

6.4 राजभाषा कार्यान्वयन

(i) प्राधिकरण में राजभाषा कार्यान्वयन की समीक्षा के लिए त्रैमासिक बैठकें 22 मई, 2024, 20 सितम्बर, 2024, 23 दिसम्बर, 2024 और 21 मार्च, 2025 को संयुक्त सचिव, डब्ल्यूडीआरए की अध्यक्षता में आयोजित की गईं।

(ii) गृह मंत्रालय के राजभाषा विभाग ने दक्षिण दिल्ली स्थित केंद्र सरकार के कार्यालयों के लिए दक्षिण दिल्ली–110003 नराकास समूह का गठन किया है। नराकास की अर्धवार्षिक बैठकें आईआईएमसी (भारतीय जनसंचार संस्थान) के महानिदेशक की अध्यक्षता में दिनांक 26.06.2024 और 22.11.2024 को आयोजित की गईं और वार्षिक सम्मेलन 14.02.2025 को आईआईएमसी में आयोजित किया गया।

(iii) राजभाषा कार्यशालाएं 06.06.2024, 19.09.2024, 27.09.2024, 27.12.2024 एवं 28.03.2025 को आयोजित की गईं।

(iv) प्राधिकरण में हिंदी पखवाड़ा 14 सितंबर से 3 अक्टूबर 2024 तक आयोजित किया गया। पखवाड़े की शुरुआत शपथ लेकर की गई। पखवाड़े के दौरान हिंदी टिप्पण लेखन एवं राजभाषा प्रतियोगिता, निबंध लेखन प्रतियोगिता, अनुवाद एवं सामान्य ज्ञान प्रतियोगिता, शुद्ध लेख प्रतियोगिता, स्वरचित काव्य प्रतियोगिता, भाषण प्रतियोगिता, प्रश्नावली प्रतियोगिता आदि आयोजित की गई तथा कर्मचारियों को प्रोत्साहित करने के लिए पुरस्कार वितरित किए गए।

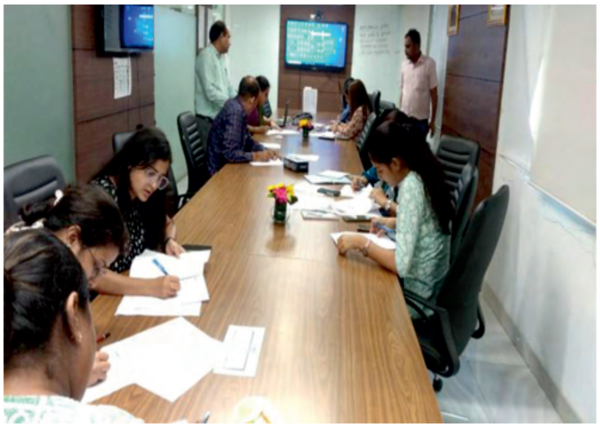

राजभाषा प्रतिज्ञा

राजभाषा शुद्ध लेख प्रतियोगिता

राजभाषा निबंध लेखन प्रतियोगिता

राजभाषा प्रश्नावली प्रतियोगिता

राजभाषा कार्यशाला

6.5 स्वच्छता पखवाड़ा का आयोजन

वर्ष 2024–25 के दौरान, प्राधिकरण ने निम्नलिखित दो स्वच्छता कार्यक्रम आयोजित किएः

1. 17 सितंबर – 03 अक्टूबर, 2024
2. 17 फरवरी – 03 मार्च, 2025

इस दौरान निम्नलिखित गतिविधियाँ की गईं:

स्वच्छता पखवाड़ा शपथ : 17 सितंबर, 2024 और 17 फरवरी, 2025 को डब्ल्यूडीआरए के अधिकारियों और कर्मचारियों ने स्वच्छता शपथ ली, जिसे पहले पखवाड़े के अवसर पर डब्ल्यूडीआरए के तत्कालीन अध्यक्ष, श्री टी.के. मनोज कुमार तथा दूसरे पखवाड़े के शुभारंभ के अवसर पर वर्तमान अध्यक्ष, सुश्री अनीता प्रवीण द्वारा दिलाई गई । इस दौरान स्वच्छ और टिकाऊ पर्यावरण बनाए रखने के महत्व पर बल दिया गया। इस अभियान का उद्देश्य सभी अधिकारियों और कर्मचारियों को सक्रिय रूप से भाग लेने और कार्यस्थल तथा अपने आसपास के वातावरण को स्वच्छ और स्वास्थ्यकर बनाने के लिए प्रोत्साहित करना था।

17.09.2024 और 17.02.2025 को स्वच्छता पखवाड़ा प्रतिज्ञा, तत्कालीन अध्यक्ष/वर्तमान अध्यक्ष, डबल्यू.डी.आर.ए. द्वारा दिलाई गई

एक पेड़ माँ के नाम : डब्लूडीआरए ने 'एक पेड़ माँ के नाम' में भाग लिया तथा 17.09.2024 को वृक्षारोपण करके प्राधिकरण की पर्यावरणीय स्थिरता के प्रति प्रतिबद्धता मजबूत की।

कार्यालय के अंदर स्वच्छता अभियान : डबल्यू.डी.आर.ए. परिसर में 23.09.2024 और 18.02.2025 को एक स्वच्छता अभियान चलाया गया जिसका उद्देश्य एक स्वच्छ और स्वास्थ्यकर कार्य वातावरण को बढ़ावा देना था। कर्मचारियों ने इस पहल में सक्रिय रूप से भाग लिया और डेस्क, कांच के दरवाजे, केबिन और सामान्य क्षेत्रों की सफाई पर ध्यान केंद्रित किया गया। इस अभियान के परिणामस्वरूप डबल्यू.डी.आर.ए. परिसर की समग्र स्वच्छता और साफ–सफाई में उल्लेखनीय सुधार हुआ।

23.09.2024 और 18.02.2025 को डब्ल्यूडीआरए परिसर में स्वच्छता अभियान चलाया

धातु के डस्टि्बन : कार्यालय परिसर में धातु के डस्टि्बन भी लगाए गए।

कांच की बोतलों का वितरण : प्लास्टिक के उपयोग को कम करने के लिए, डब्ल्यूडीआरए कर्मचारियों के बीच कांच की बोतलें वितरित की गईं।

सुरक्षा उपकरणों का वितरण : सफाई मित्रों को सुरक्षा उपकरण भी वितरित किए गए।

कार्यालय के बाहर स्वच्छता अभियान : एनसीयूआई परिसर के अंदर और कार्यालय परिसर के बाहर क्रमशः 23.09.2024 और 19.02.2025 को स्वच्छता अभियान चलाया गया। डब्ल्यूडीआरए के अधिकारियों और कर्मचारियों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया और एनसीयूआई परिसर के अंदर और कार्यालय परिसर के बाहर, आसपास के क्षेत्र, पार्किंग क्षेत्र और सड़क किनारे फुटपाथ सहित प्रमुख क्षेत्रों की सफाई पर ध्यान केंद्रित किया ताकि पैदल चलने वालों के लिए इसे सुविधाजनक बनाया

जा सके। इस अभियान का उद्देश्य अपशिष्ट प्रबंधन और स्वच्छता के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाना भी था।

एनसीयूआई परिसर के अंदर स्वच्छता अभियान

कार्यालय परिसर के बाहर सफाई अभियान

हौज़ खास में स्वच्छता अभियान: डब्ल्यूडीआरए ने एमसीडी काउंसलर, श्री कमल भारद्वाज के सहयोग से सफाई अभियान का आयोजन किया । 'स्वच्छता ही सेवा 2024 अभियान' के तहत 25.09.2024 को हौज़ खास मार्केट में सफाई अभियान चलाया गया। सफाई अभियान के बाद, दिल्ली नगर निगम के सफाई कर्मचारियों के लिए जलपान वितरित किया गया।

हौज़खास में स्वच्छता अभियान

सफ़ाईकर्मियों के बीच जलपान का वितरण किया गया

निबंध लेखन प्रतियोगिता : "स्वच्छता" और "स्वच्छता में डब्ल्यूडीआरए की भागीदारी" विषय पर 19.09.2024 और 21.02.2025 को अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए एक निबंध लेखन प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। विभिन्न विभागों के अधिकारियों और कर्मचारियों ने इस कार्यक्रम में उत्साहपूर्वक भाग लिया। प्रतिभागियों ने अपने विचार लिखे। प्रतिभागियों ने निबंधों में अच्छी तरह एवं व्यावहारिक तरीकों के माध्यम से साझा किए।

डब्ल्यूडीआरए के अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए निबंध लेखन प्रतियोगिता का आयोजन

भांडागारपालों को भेजे गए पत्र : डब्ल्यूडीआरए द्वारा 21 फरवरी, 2025 को सभी भांडागारपालों को पत्र भेजे गए, जिनमें 'स्वच्छता पखवाड़ा' के महत्व पर ध्यान केंद्रित किया गया। स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत यह एक महत्वपूर्ण पहल है जिसका उद्देश्य सभी मंत्रालयों और विभागों को स्वच्छता संबंधी गतिविधियों में शामिल करना है। इस पत्र में भांडागारपालों की अपने भांडागार परिसर के भीतर और आसपास स्वच्छता और सफाई बनाए रखने में भूमिका पर ज़ोर दिया गया और इस पहल में अपने कर्मचारियों की सक्रिय भागीदारी को प्रोत्साहित किया गया। पत्र में स्वच्छता बनाए रखने के सर्वोत्तम तरीकों, जैसे नियमित अपशिष्ट निपटान, स्वच्छता और जागरूकता, पर मार्गदर्शन प्रदान किया गया।

डब्ल्यूडीआरए द्वारा सभी भांडागारों को स्वच्छता के संबंध में पत्र भेजे गए

राजकीय बालिका विद्यालय का दौरा : डब्ल्यूडीआरए ने राजकीय बालिका वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय, वसंत कुंज, नई दिल्ली का दौरा किया तथा छात्राओं में स्वच्छता और सफ़ाई को बढ़ावा देने के लिए 20.09.2024 और 24.02.2025 को स्वच्छता और सफ़ाई के बारे में जागरूकता बढ़ाने पर केंद्रित इस पहल में छात्राओं को बेहतर स्वास्थ्य और सफ़ाई के लिए सैनिटरी पैड के इस्तेमाल के महत्व के बारे में शिक्षित किया गया। छात्राओं को मुफ्त सैनिटरी पैड भी वितरित किए गए। इसके अलावा, स्वच्छता पर एक स्लोगन और पेंटिंग प्रतियोगिता का भी आयोजन किया गया, जिससे छात्राओं को अपनी रचनात्मकता और स्वच्छता प्रथाओं की समझ दिखाने का मौका मिला और विजेताओं को पुरस्कार भी वितरित किए गए।

दिनांक 20.09.2024 को वसंत कुंज, नई दिल्ली स्थित राजकीय बालिका वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय का दौरा

दिनांक 24.02.2025 को वसंत कुंज, नई दिल्ली स्थित राजकीय बालिका वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय का दौरा

राजकीय बाल वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय का दौरा : डब्ल्यूडीआरए ने राजकीय बाल वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय, वसंत कुंज, नई दिल्ली, का दौरा कर 25 फरवरी, 2025 को स्वच्छता अभियान चलाया। डबल्यू.डी.आर.ए. के अधिकारियों और कर्मचारियों ने स्कूल परिसर की सफाई में सक्रिय रूप से भाग लिया और स्वच्छता एवं सफाई के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाई गई। इसके अतिरिक्त, छात्रों को स्टेशनरी सामग्री भी वितरित की गई।

वसंत कुंज, नई दिल्ली स्थित राजकीय बाल वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय का दौरा

स्वच्छता पर कार्यशाला : डब्ल्यूडीआरए ने 18.09.2024 और 27.02.2025 को स्वच्छता पर कार्यशाला का आयोजन किया। अधिकारियों और कर्मचारियों ने इस कार्यक्रम में उत्साहपूर्वक भाग लिया और कार्यस्थल तथा समुदाय दोनों में स्वच्छ वातावरण बनाए रखने के महत्व पर ज़ोर दिया। अधिकारियों और कर्मचारियों को अपने आस–पास की सफ़ाई बनाए रखने की भी सलाह दी गई, जैसाकि अपने डेस्क की सफ़ाई, कागज़, कूड़े और कचरे को कूड़ेदान में डालना। इसके अतिरिक्त, प्रतिभागियों द्वारा अपनाई जाने वाली सर्वोत्तम प्रथाओं पर सुझाव भी दिए गए। इस कार्यक्रम ने सभी को कार्यस्थल और अपने आस–पास स्वच्छ और स्वस्थ वातावरण बनाने में योगदान देने के लिए प्रेरित किया गया।

स्वच्छता पर कार्यशाला

समापन समारोह : डब्ल्यूडीआरए ने स्वच्छता अभियान का समापन दिनांक 03.10.2024 और 03.03.2025 को किया गया। कार्यक्रम का समापन पुरस्कार वितरण समारोह के साथ हुआ। निबंध लेखन प्रतियोगिता के विजेताओं को नकद पुरस्कार प्रदान किए गए। इसके अतिरिक्त, हमारे मल्टी–टास्किंग स्टाफ (एमटीएस) और सफाई कर्मचारियों के समर्पण और कड़ी मेहनत को मान्यता देते हुए उन्हें मानदेय भी प्रदान किया गया। डब्ल्यूडीआरए की अध्यक्ष, संयुक्त सचिव, सदस्यों और निदेशक ने कार्यालय और दैनिक जीवन में स्वच्छता, अपशिष्ट प्रबंधन और सफाई के महत्व पर प्रकाश डाला। उन्होंने आयोजन टीम और पखवाड़े के प्रत्येक प्रतिभागी के प्रयासों की सराहना की और सभी को स्वच्छता की भावना को बनाए रखने के लिए प्रोत्साहित किया।

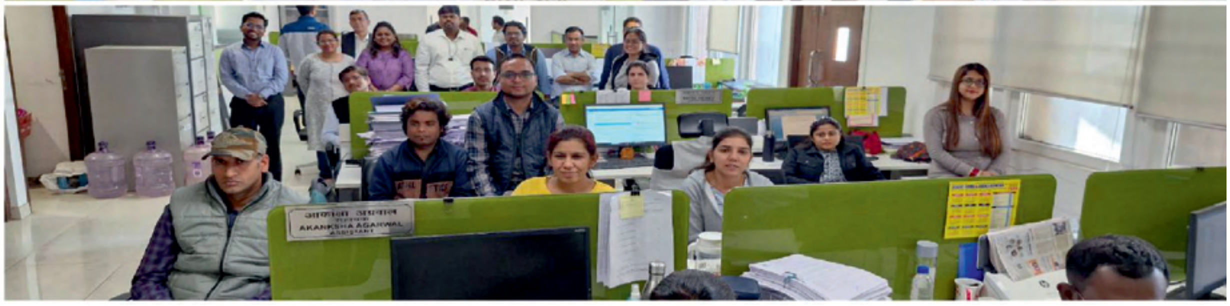

6.6 प्राधिकरण के कार्मिकों का प्रशिक्षण

डब्ल्यूडीआरए अपने कर्मचारियों के बीच निरंतर सीखने और व्यावसायिक विकास की संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए प्रतिबद्ध है। रिपोर्टिंग अवधि के दौरान, प्राधिकरण के कर्मचारियों के कौशल विकास और दक्षताओं को बढ़ाने के लिए कई पहल की गईः

i. डब्ल्यूडीआरए के नवनियुक्त अधिकारियों और कर्मचारियों ने प्राधिकरण के कामकाज, भूमिकाओं और जिम्मेदारियों से परिचित कराने के लिए एक अभिविन्यास कार्यक्रम में भाग लिया। इन सत्रों में प्रशासनिक कुशलता में सुधार के लिए ई–कार्यालय के उपयोग पर प्रशिक्षण भी शामिल था।

ii. "कमोडिटी डेरिवेटिव मार्केट्स के मूल सिद्धांतों" पर एक दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में व्यापारी के निपटान में शामिल संचालन, संबद्ध अवधारणाएँ और व्यापार निपटान में इलेक्ट्रॉनिक परक्राम्य भांडागार रसीदों (इ–एन.डब्ल्यू.आर.) की महत्वपूर्ण भूमिका जैसे प्रमुख विषयों को शामिल किया गया।

iii. डब्ल्यूडीआरए कार्मिकों के बीच डिजिटल सुरक्षा और संरक्षा जागरूकता को मजबूत करने के लिए साइबर जागरूकता पर एक दिवसीय प्रशिक्षण सत्र आयोजित किया गया।

सभी कर्मचारियों को iGOT पर पंजीकृत किया गया है। कर्मयोगी प्लेटफॉर्म के तहत, फरवरी 2025 से सभी कर्मचारियों को हर महीने कम से कम दो प्रासंगिक प्रशिक्षण पाठ्यक्रम लेने की सलाह दी गई है। भागीदारी को प्रोत्साहित करने के लिए हर महीने सबसे अधिक प्रासंगिक पाठ्यक्रम पूरा करने वाले कर्मचारियों को सम्मानित और प्रोत्साहित किया जा रहा है।

उपरोक्त के अतिरिक्त, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर, डब्ल्यूडीआरए की प्रथम महिला अध्यक्ष श्रीमती अनीता प्रवीण ने प्राधिकरण के कर्मचारियों को संबोधित किया। उन्होंने जीवन के सभी क्षेत्रों, विशेषकर कार्यस्थल पर, महिलाओं की महत्वपूर्ण भूमिका पर प्रकाश डाला। प्राधिकरण के वरिष्ठ अधिकारियों ने भी लैंगिक समानता और महिला सशक्तिकरण पर अपने विचार साझा किए, जिससे यह सत्र सार्थक और प्रेरणादायक रहा।

6.7 वर्ष 2024–25 के लिए प्राधिकरण के लेखापरीक्षा खाते

प्राधिकरण के 2024–25 के लिए स्वीकृत बजट के विरुद्ध प्राप्त अनुदान सहायता 2469 लाख रुपये थी । अन्य प्राप्तियां 38.97 लाख रुपये थीं (पीएनबी से 38.79 लाख रुपये का ब्याज सहित, जो सरकारी खाते में आगे हस्तांतरण के लिए विविध देय के तहत दिखाया गया है)। पिछले वित्त वर्ष 2023–24 से 144.71 लाख रुपये अव्ययित थे (भारत सरकार को हस्तांतरित 38.50 रुपये के ब्याज सहित)। इस प्रकार, कुल उपलब्ध निधि 2614.19 लाख रुपये थी । वर्ष के दौरान वास्तविक व्यय 2307.82 लाख रुपये था । अप्रयुक्त राशि 38.97 लाख रुपये थी । 31 मार्च 2025 तक 306.36 लाख रुपये (सरकारी अनुदान पर ब्याज के रूप में 38.79 लाख रुपये अगले वित्त वर्ष 2025–26 में सरकारी खाते में देय हैं) जिसे वित्त वर्ष 2025–26 के लिए आगे ले जाया गया है।

31.03.2025 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए प्राधिकरण के वित्तीय विवरण, साथ ही भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा प्रधान निदेशक, लेखापरीक्षा (कृषि, खाद्य एवं जल संसाधन), नई दिल्ली के माध्यम से वर्ष 2024–25 के लिए की गई लेखापरीक्षा रिपोर्ट क्रमशः अनुबंध–I और II में संलग्न हैं। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक ने 31.03.2025 को समाप्त वर्ष के लिए प्राधिकरण के वित्तीय विवरणों पर कोई प्रमुख अवलोकन नहीं किया है। तथापि, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन (एसएआर) में अवलोकनों पर प्राधिकरण के उत्तर/टिप्पणियाँ अनुबंध–III में दी गई हैं।

अनुलग्नक—I

WDRA
Warehousing Development & Regulatory Authority

वित्तीय वर्ष 2024—25 के लिए

वार्षिक लेखा विवरण

भण्डारण विकास एवं विनियामक प्राधिकरण

भारत सरकार

Manoj Mohan & Associates
Chartered Accountants Since 1999

Audit Report

We have conducted internal audit of Accounts of Warehousing Development and Regulatory Authority (WDRA) for the Financial Year 2024-25. We have examined payment vouchers, journal entries, accounts ledgers, bank accounts, etc. for the Financial Year 2024-25.

Our audit plan involved the following:

- Examination of maintenance of books of accounts
- Examination of payment vouchers
- Examination of accuracy and timeliness in maintenance of books of accounts
- Examination of timeliness and accuracy of financial statements

Based on our audit procedure/plan, the maintenance of books of accounts, preparation and entries of payment vouchers, accuracy and timeliness in maintenance of accounts, accuracy of financial statements and compliance with laid down systems, procedures and policies followed as per the requirement of Accounting Standards and their policies.

The Balance Sheet and the profit and loss account are in agreement with the books of accounts.

We have reviewed the books of accounts in the capacity of internal audit and we are signing the balance sheet and other financial statements in the capacity of internal auditors with review of Financial Statement.

The management of the Warehousing Development and Regulatory Authority is responsible for:

(a) Completeness and accuracy of the underlying data and complete disclosure of all material and relevant information to the accountant.
(b) Maintaining adequate accounting and other records.
(c) Preparation and presentation of financial statements in accordance with the applicable laws and regulation, if any.
(d) Establishing controls to safeguard the assets of the entity.
(e) Establishing controls for ensuring that the activities of the entity are carried out in accordance with the applicable laws and regulations and preventing and detecting any non-compliance.

We, further report according to Section 37(1) of Warehousing (Development and Regulation) Act, 2007 all fees and charges received by the Authority should be credited to the WDRA Fund.

Section 37(2) further provides that the Fund is meant for meeting expenses on:

(a) The salaries, allowances and other remuneration of the members, officers and other employees of the Authority and
(b) The other expenses of the Authority in connection with the discharge of its functions and for the purposes of this Act

MANOJ MOHAN & ASSOCIATES
FRN 009196C
NOIDA
Chartered Accountants

Manoj Mohan & Associates is a
MSME Registered & ISO 9001 - 2015 Certified CA Firm
H.O.: F 18A Sector 27 Noida 201301 UP INDIA
mma.ca@rediff.com www.mmaca.org
+91 120 4314155; 2556515

As per Accounts of Financial Year 2024-25, WDRA has earned an income of **Rs.136.39 lakhs** towards Registration/renewal fee of Warehouses and other receipts. However, this income has been credited to Sundry Payable Account and shown as liability in the books of accounts which is not in consonance with the provisions of Section 37(1) of Warehousing (Development and Regulation) Act, 2007. In our opinion, these receipts should have been accounted for as income in the books and not as liability.

Other income (Schedule-18) includes **Rs. 398,866/-** which is excess provisions/ liabilities pertaining to previous years.

For Manoj Mohan & Associates
Chartered Accountants
Firm's Registration No.009195C

CA (Dr.) Manoj Kumar Agrawal
Managing Partner
Membership No. 076980

UDIN: 25076980BMIPH47660
Date: 21.05.2025
Place: Noida

WDRA

Warehousing Development & Regulatory Authority

FORM A
(See Rule 3)
BALANCE SHEET AS ON 31/03/2025

Amount (in Rs.)

Name	Schedule	Current Year	2023-24
CORPUS/CAPITAL FUND AND LIABILITIES		**360,311,938**	**325,482,588**
Corpus/Capital Fund	1	**176,959,587**	**143,735,085**
Corpus/Capital Fund(Opening)		143,735,085	152,620,471
EXCESS/DEFICIT OF INCOME & EXPENDITURE		33,224,502	-8,885,386
Reserve and Surplus	2	0	0
Earmarked /Endowment Funds	3	0	0
Secured Loans and Borrowings	4	0	0
Unsecured Loans and Borrowings	5	0	0
Deferred Credit Liabilities	6	0	0
Current Liabilities and Provisions	7	**183,352,351**	**181,747,503**
ASSETS		**360,311,938**	**325,482,588**
Fixed Asset	8	**160,353,898**	**152,016,526**
Fixed Asset		149,222,372	152,016,526
Capital Work in Progress		11,131,526	0
Investment- From earmarked/endowment funds	9	0	0
Investment-Others	10	0	0
Current Assets, Loans & Advances etc.	11	**199,958,040**	**173,466,062**
Miscellaneous Expenditure (to the extent not written off or adjusted)		0	0
Significant Accounting Policies	24	0	0
Contingent Liabilities & Notes on Accounts	25	0	0

मनीष कुमार जैन/MANISH KUMAR JAIN
अवर सचिव/Under Secretary
भांडागारण विकास और विनियामक प्राधिकरण
Warehousing Development and Regulatory Authority
(भारत सरकार/Government of India)
हौज खास, नई दिल्ली-16/Hauz Khas, New Delhi-16

VETTED

MANOJ MOHAN & ASSOCIATES ★ Chartered Accountants ★ FRN 009195C NOIDA

अनिरुद्ध कुमार/ANIRUDH KUMAR
संयुक्त सचिव/Joint Secretary
भांडागारण विकास और विनियामक प्राधिकरण
Warehousing Development and Regulatory Authority
(भारत सरकार/Government of India)
हौज खास, नई दिल्ली-16/Hauz Khas, New Delhi-16

शांति लाल जैन/Shanti Lal Jain
सदस्य/Member
भांडागारण विकास एवं विनियामक प्राधिकरण
Warehousing Development and Regulatory Authority
(भारत सरकार/Government of India)
हौज खास, नई दिल्ली/Hauz Khas, New Delhi-110016

3

अनीता प्रवीण/ANITA PRAVEEN
भा.प्र.से. (सेवानिवृत्त)/IAS (RETD.)
अध्यक्ष/Chairperson
भांडागारण विकास और विनियामक प्राधिकरण
Warehousing Development and Regulatory Authority
(भारत सरकार/Government of India)
हौज खास, नई दिल्ली-16/Hauz Khas, New Delhi-16

WDRA

Warehousing Development & Regulatory Authority

FORM B
(See Rule 3)
INCOME AND EXPENDITURE ACCOUNT FOR THE PERIOD ENDED ON 31/03/2025

Amount (in Rs.)

Name	Schedule	Current Year	2023-24
(A) INCOME		247,518,196	201,921,812
Income from sales/services	12	0	0
Grants/Subsidies	13	246,900,000	201,000,000
Fees/Subscriptions	14	0	0
Income from Investment (Income on Investment from Earmarked/Endowment fund transferred to funds)	15	0	0
Income from Royalty,Publications etc.	16	0	0
Interest Earned	17	132,427	75,863
Other Income	18	485,769	845,949
Increase/(Decrease) in stock of finished goods and work in progress	19	0	0
(B) EXPENDITURE		214,293,694	210,807,198
Establishment Expenses	20	88,378,196	77,071,694
Other Administrative Expenses etc.	21	121,370,365	128,664,294
Expenditure on Grants Subsidies etc.	22	0	0
Interest	23	0	0
Depreciation (Net total at the year end corresponding to schedule 8)	8	4,545,133	5,071,210
Balance being excess/(deficit) of income over expenditure (A-B)		33,224,502	-8,885,386
Transfer to Special Reserve		0	0
Transfer to/from General Reserve		0	0
Balance being surplus/(deficit) carried to Corpus/Capital Fund		33,224,502	-8,885,386
Significant accounting policies	24	0	0
Contingent liabilities and Notes to Accounts	25	0	0

VETTED

MANOJ MOHAN & ASSOCIATES
Chartered Accountants
FRN 009195C
NOIDA

अनिरुद्ध कुमार/ANIRUDH KUMAR
संयुक्त सचिव/Joint Secretary
भांडागारण विकास और विनियामक प्राधिकरण
Warehousing Development and Regulatory Authority
(भारत सरकार/Government of India)
हौज खास, नई दिल्ली-16/Hauz Khas, New Delhi-16

मनीष कुमार जैन/MANISH KUMAR JAIN
अवर सचिव/Under Secretary
भांडागारण विकास और विनियामक प्राधिकरण
Warehousing Development and Regulatory Authority
(भारत सरकार/Government of India)
हौज खास, नई दिल्ली-16/Hauz Khas, New Delhi-16

शांति लाल जैन/Shanti Lal Jain
सदस्य/Member
भांडागारण विकास एवं विनियामक प्राधिकरण
Warehousing Development and Regulatory Authority
(भारत सरकार/Government of India)
हौज खास, नई दिल्ली/Hauz Khas, New Delhi-110016

4

अनीता प्रवीण/ANITA PRAVEEN
भा.प्र.से. (सेवानिवृत्त)/IAS (RETD.)
अध्यक्ष/Chairperson
भांडागारण विकास और विनियामक प्राधिकरण
Warehousing Development and Regulatory Authority
(भारत सरकार/Government of India)
हौज खास, नई दिल्ली-16/Hauz Khas, New Delhi-16

WDRA

Warehousing Development & Regulatory Authority

SCHEDULE 1 - CORPUS/CAPITAL FUND AS ON 31/03/2025

Amount (in Rs.)

Name	Current Year	2023-24
Corpus/Capital Fund	0	0
20000.01 Corpus/Capital Fund (Opening Balance)	143,735,085	152,620,471
Add. Contribution towards Corpus/Capital Fund	0	0
Add/Deduct. Bal of net income/expenditure transfer from income and expenditure account	33,224,502	-8,885,386
Balance at the Year End	176,959,587	143,735,085

VETTED

MANOJ MOHAN & ASSOCIATES
FRN 009195C
NOIDA
Chartered Accountants

मनीष कुमार जैन/MANISH KUMAR JAIN
अवर सचिव/Under Secretary
भांडागारण विकास और विनियामक प्राधिकरण
Warehousing Development and Regulatory Authority
(भारत सरकार/Government of India)
हौज खास, नई दिल्ली-16/Hauz Khas, New Delhi-16

WDRA

Warehousing Development & Regulatory Authority

SCHEDULE-2 RESERVE AND SURPLUS AS ON 31/03/2025

Amount (in Rs.)

Name	Current Year	2023-24
21000.01 Capital Reserve	**0**	**0**
As Per Last Account	0	0
Addition during the Year	0	0
Less: Deductions during the year	0	0
21000.02 Revenue Reserve	**0**	**0**
As per Last Account	0	0
Addition During the year	0	0
Less: Deductions during the year	0	0
21000.03 Special Reserve	**0**	**0**
As per Last Account	0	0
Addition during the year	0	0
Less: Deductions during the year	0	0
21000.04 General Reserve	**0**	**0**
As per Last Account	0	0
Addition During the year	0	0
Less: Deductions during the year	0	0
TOTAL	**0**	**0**

VETTED

MANOJ MOHAN & ASSOCIATES
FRN 009195C
NOIDA
Chartered Accountants

मनीष कुमार जैन/MANISH KUMAR JAIN
अवर सचिव/Under Secretary
भांडागारण विकास और विनियामक प्राधिकरण
Warehousing Development and Regulatory Authority
(भारत सरकार/Government of India)
हौज खास, नई दिल्ली-16/Hauz Khas, New Delhi-16

WDRA

Warehousing Development & Regulatory Authority

SCHEDULE-3 EARMARKED/ENDOWMENT FUND AS ON 31/03/2025

Amount (in Rs.)

Name	Current Year	2023-24
(a) Opening Balance of the Funds	**0**	**0**
(b) Addition to the Fund	**0**	**0**
i. Donations/Grants	0	0
ii. Income from Investment made on account of funds	0	0
iii. Other Addition	0	0
Total c (a+b)	**0**	**0**
(d) Utilization/Expenditure towards objective of funds	**0**	**0**
(i) Capital Expenditure	**0**	**0**
Fixed	0	0
Others	0	0
(ii) Revenue Expenditure	**0**	**0**
Salaries, Wages and Allowances etc	0	0
Rent	0	0
Other Administrative expenses	0	0
Utilization/Expenditure Total (d)	**0**	**0**
22000.01 Balance at the Year End (c-d)	**0**	**0**

VETTED

MANOJ MOHAN & ASSOCIATES
Chartered Accountants
FRN 009195C
NOIDA

मनीष कुमार जैन/MANISH KUMAR JAIN
अवर सचिव/Under Secretary
भांडागारण विकास और विनियामक प्राधिकरण
Warehousing Development and Regulatory Authority
(भारत सरकार/Government of India)
हौज खास, नई दिल्ली-16/Hauz Khas, New Delhi-16

WDRA

Warehousing Development & Regulatory Authority

SCHEDULE-4 SECURED LOANS AND BORROWINGS AS ON 31/03/2025

Amount (in Rs.)

Name	Current Year	2023-24
23000.01 Central Government (Secured Loan)	**0**	**0**
23000.02 State Government (Secured Loan)	**0**	**0**
23000.03 Financial Institution (Secured Loan)	**0**	**0**
23000.03A Term Loans	0	0
23000.03B Interest accrued and due on term loan	0	0
23000.04 Secured Loan from Banks	**0**	**0**
23000.04A Secured Term Loans (Bank)	0	0
23000.04B Interest accrued and due on term loan (Bank)	0	0
23000.04C Other Loans (Bank)	0	0
23000.04D Interest accrued and Due (Others)	0	0
23000.05 Other Institutions and Agencies	**0**	**0**
23000.06 Debentures and Bonds	**0**	**0**
23000.07 Others	**0**	**0**
TOTAL	**0**	**0**

VETTED

MANOJ MOHAN & ASSOCIATES
Chartered Accountants
FRN 009195C
NOIDA

मनीष कुमार जैन/MANISH KUMAR JAIN
अवर सचिव/Under Secretary
भांडागारण विकास और विनियामक प्राधिकरण
Warehousing Development and Regulatory Authority
(भारत सरकार/Government of India)
हौज खास, नई दिल्ली-16/Hauz Khas, New Delhi-16

WDRA

Warehousing Development & Regulatory Authority

SCHEDULE-5 UNSECURED LOANS AND BORROWINGS AS ON 31/03/2025

Amount (in Rs.)

Name	Current Year	2023-24
24000.01 Central Government (Unsecured Loan)	**0**	**0**
24000.02 State Government (Unsecured Loan)	**0**	**0**
24000.03 Financial Institution (Unsecured Loan)	**0**	**0**
24000.04 Banks (Unsecured Loan)	**0**	**0**
24000.04A Term Loans (Unsecured)	0	0
24000.04B Other Loans (Unsecured)	0	0
24000.05 Other Institutions and Agencies	**0**	**0**
24000.06 Debentures and Bonds	**0**	**0**
24000.07 Fixed Deposits	**0**	**0**
24000.08 Others	**0**	**0**
TOTAL	**0**	**0**

VETTED

MANOJ MOHAN & ASSOCIATES
FRN 009195C
NOIDA
Chartered Accountants

मनीष कुमार जैन/MANISH KUMAR JAIN
अवर सचिव/Under Secretary
भांडागारण विकास और विनियामक प्राधिकरण
Warehousing Development and Regulatory Authority
(भारत सरकार/Government of India)
हौज खास, नई दिल्ली-16/Hauz Khas, New Delhi-16

WDRA

Warehousing Development & Regulatory Authority

SCHEDULE-6 DEFERRED CREDIT LIABILITIES AS ON 31/03/2025

Amount (in Rs.)

Name	Current Year	2023-24
25000.01 Acceptance Secured by Hypothecation of Capital Equipment and Assets	0	0
25000.02 Others	0	0
TOTAL	0	0
Note: Amount due within one year	0	0

मनीष कुमार जैन/MANISH KUMAR JAIN
अवर सचिव/Under Secretary
भांडागारण विकास और विनियामक प्राधिकरण
Warehousing Development and Regulatory Authority
(भारत सरकार/Government of India)
हौज खास, नई दिल्ली-16/Hauz Khas, New Delhi-16

VETTED

MANOJ MOHAN & ASSOCIATES
Chartered Accountants
FRN 009195C
NOIDA

WDRA
Warehousing Development & Regulatory Authority

Warehousing Development & Regulatory Authority

SCHEDULE-7 CURRENT LIABILITIES AND PROVISIONS AS ON 31/03/2025

Amount (in Rs.)

Name	Current Year	2023-24
26000.01 Current Liabilities	**180,413,641**	**174,509,911**
26000.01A Acceptance	**0**	**0**
26000.01B Sundry Creditors	**157,513,935**	**151,593,007**
26000.01BA Sundry Creditors for Goods	0	0
26000.01BB Sundry Creditors Others	157,513,935	151,593,007
26000.01BB1 Sundry Creditors Others (BECIL)	0	0
26000.01BB2 Sundry Creditors Others (Post Master)	0	0
26000.01BB3 Sundry Creditors Others (Others)	3,581,075	11,943,079
26000.01BB4 Sundry Payble	153,932,860	139,649,928
26000.01C Advances Received	**0**	**0**
26000.01D Interest Accrued but not due on	**0**	**0**
26000.01DA Secured Loans/Borrowings	0	0
26000.01DB Unsecured Loans/Borrowings	0	0
26000.01E Statutory Liabilities	**979,467**	**1,603,793**
26000.01EA Statutory Liability-Overdue	0	0
26000.01EB TDS	979,467	1,603,793
26000.01EBA TDS-Salary	753,666	682,760
26000.01EBB TDS-Others	225,801	921,033
26000.01EBC GST-TDS	0	0
26000.01F Other Current Liabilities	**21,920,239**	**21,313,111**
26000.01FA Security Deposit	11,602,712	15,573,919
26000.01FB Earnest Money Deposit (EMD)	0	0
26000.01FC Stale Cheque Pending for Re-issue	299,801	299,801
26000.01FD Salary Payable	10,017,726	5,337,691
26000.01FE Withheld from Party's Bills	0	100,000
26000.01FF Leave Salary Contribution Payable	0	0
26000.01FG Other Liabilities	0	1,700
26000.01FGA PM/CM Relief Fund	0	0
26000.01FGB Misc Liability	0	1,700
26000.01FH NPS/Pension Contribution Payable	**0**	**0**
26000.02 Provision for Expenses	**2,938,710**	**7,237,592**
26000.02A Provision for Taxation	**0**	**0**
26000.02B Provision for Gratuity	**1,337,549**	**1,074,897**
26000.02C Provision for Superannuation/Pension	**0**	**0**
26000.02D Provision for Accumulated Leave Encashment	**687,037**	**1,049,092**

WDRA

Warehousing Development & Regulatory Authority

Name	Current Year	2023-24
26000.02E Provision for Trade Warranties/Claims	**0**	**0**
26000.02F Provisions for Unpaid Expenses	**914,124**	**5,113,603**
26000.02FA Provisions for Telephone Expenses	31,901	23,788
26000.02FB Provisions for Audit Fee	0	0
26000.02FC Provisions for Rent, Rates and Taxes	0	0
26000.02FD Provisions for Inspection system in Warehouses	0	0
26000.02FE Provisions for Newspapers & Periodicals	9,913	0
26000.02FF Provisions for Training of Warehouseman	0	0
26000.02FG Provisions for Miscellaneous Expenses	424,868	5,079,382
26000.02FH Provision for Professional Charges	447,442	10,433
26000.02FI Provision for Outsourced Manpower (DEO)	0	0
26000.02FJ Provision for Repair & Maintenance Exp.	0	0
26000.02FK Provisions for Farmers Awareness	0	0
TOTAL	**183,352,351**	**181,747,503**

मनीष कुमार जैन/MANISH KUMAR JAIN
अवर सचिव/Under Secretary
भांडागारण विकास और विनियामक प्राधिकरण
Warehousing Development and Regulatory Authority
(भारत सरकार/Government of India)
हौज खास, नई दिल्ली-16/Hauz Khas, New Delhi-16

VETTED

MANOJ MOHAN & ASSOCIATES
Chartered Accountants
FRN 009195C
NOIDA

भांडागारण विकास एवं विनियामक प्राधिकरण
WAREHOUSING DEVELOPMENT AND REGULATORY AUTHORITY

WDRA
Warehousing Development & Regulatory Authority

Schedule 8 - Fixed Assets as on 31.03.2025

S. No.	Description	Factor	Cost/ valuation as at beginning of the year	Addition (more than 180 days)	Addition (less than 180 days)	Deduction during the year	Cost/ valuation at the year end	Depreciation as at beginning of the year	Depreciation during the year	Depreciation on deduction during the year	Total depreciation upto the year end	NET as at the current year end (WDV)	NET as at the previous year end (WDV)
1	A. Fixed Asset:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	1. LAND	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	a) Freehold	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	b) Leasehold	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	2. Buildings	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	a). Freehold Land	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	b) Leasehold Land	56 Years	174,200,000	-	-	-	174,200,000	24,885,714	3,110,714	-	27,996,428	146,203,572	149,314,286
8	c) Ownership Flats/Premises	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	d) Superstructures on land not belonging to the entity	40%	19,357,676	-	-	-	19,357,676	19,357,675	-	-	19,357,675	1	1
10	3. Plant, Machinery & Equipments	15%	4,998,670	-	-	4,850	4,993,820	4,969,071	24,785	4,849	4,989,007	4,813	29,599
11	4. Vehicles	15%	703,433	-	-	-	703,433	703,432	-	-	703,432	1	1
12	5. Furniture & Fixtures	10%	5,810,525	33,040	142,880	-	5,986,445	4,064,667	549,369	-	4,614,036	1,372,409	1,745,858
13	6. Office Equipment	15%	1,259,213	99,491	354,538	13,500	1,699,742	896,357	151,966	13,499	1,034,824	664,918	362,856
14	7. Computer & Peripheral	40%	5,253,092	127,533	810,469	191,059	6,000,035	4,696,132	644,774	173,217	5,167,689	832,346	556,960
15	8. Electric Installation	15%	87,045	-	-	-	87,045	80,442	1,275	-	81,717	5,328	6,603
16	9. Library Books	40%	170,236	3,261	6,935	42,176	138,256	169,893	9,836	42,088	137,641	615	343
17	10. Tubewells & W.Supply	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18	11. Software	40%	27,415,307	-	172,925	-	27,588,232	27,415,288	34,575	-	27,449,863	138,369	19
19	Total of A	-	239,255,197	263,325	1,487,747	251,585	240,754,684	87,238,671	4,527,294	233,653	91,532,312	149,222,372	152,016,526
20	B. Capital Work in Progress	-	-	-	11,131,526	-	11,131,526	-	-	-	-	11,131,526	-
21	**Total (A + B)**	-	**239,255,197**	**263,325**	**12,619,273**	**251,585**	**251,886,210**	**87,238,671**	**4,527,294**	**233,653**	**91,532,312**	**160,353,898**	**152,016,526**

VETTED

FRN: 009195C
NOIDA

मनीष कुमार जैन/MANISH KUMAR JAIN
अवर सचिव/Under Secretary
भांडागारण विकास और विनियामक प्राधिकरण
Warehousing Development and Regulatory Authority
(भारत सरकार/Government of India)
हौज खास, नई दिल्ली-16/Hauz Khas, New Delhi-16

WDRA

Warehousing Development & Regulatory Authority

SCHEDULE-9 INVESTMENT FROM EARMARKED/ENDOWMENT FUND AS ON 31/03/2025

Amount (in Rs.)

Name	Current Year	2023-24
11000.01 In Government Securities	0	0
11000.02 Other Approved Securities	0	0
11000.03 Share	0	0
11000.04 Debentures and Bonds	0	0
11000.05 Subsidiaries and Joint Venture	0	0
11000.06 Other (Fixed Deposit)	0	0
TOTAL	0	0

VETTED

MANOJ MOHAN & ASSOCIATES ★ Chartered Accountants ★ FRN 009195C NOIDA

मनीष कुमार जैन/MANISH KUMAR JAIN
अवर सचिव/Under Secretary
भांडागारण विकास और विनियामक प्राधिकरण
Warehousing Development and Regulatory Authority
(भारत सरकार/Government of India)
हौज खास, नई दिल्ली-16/Hauz Khas, New Delhi-16

WDRA

Warehousing Development & Regulatory Authority

SCHEDULE-10 INVESTMENT - OTHERS AS ON 31/03/2025

Amount (in Rs.)

Name	Current Year	2023-24
12000.01 In Government Securities	0	0
12000.02 Other Approved Securities	0	0
12000.03 Shares	0	0
12000.04 Debentures and Bonds	0	0
12000.05 Subsidiaries and Joint Ventures	0	0
12000.06 Others	0	0
TOTAL	0	0

VETTED

MANOJ MOHAN & ASSOCIATES
FRN 009195C
NOIDA
Chartered Accountants

मनीष कुमार जैन/MANISH KUMAR JAIN
अवर सचिव/Under Secretary
भांडागारण विकास और विनियामक प्राधिकरण
Warehousing Development and Regulatory Authority
(भारत सरकार/Government of India)
हौज खास, नई दिल्ली-16/Hauz Khas, New Delhi-16

WDRA

Warehousing Development & Regulatory Authority

SCHEDULE-11 CURRENT ASSETS, LOANS & ADVANCES ETC. AS ON 31/03/2025

Amount (in Rs.)

Name	Current Year	2023-24
(A) 13000.01 Current Assets	**184,793,371**	**167,493,685**
13000.01A Inventories	**0**	**0**
13000.01AA Stores and Spares	0	0
13000.01AB Loose Tools	0	0
13000.01AC Stock in Trade	0	0
13000.01AD Finished Goods	0	0
13000.01AE Work in Progress	0	0
13000.01AF Raw Materials	0	0
13000.01B Sundry Debtors	**0**	**0**
13000.01C Cash Balance in Hand (Including Cheque/Draft and Imprest)	**0**	**30,000**
13000.01CA Imprest Cash	0	0
13000.01CB Temporary Advance	0	30,000
13000.01CC Cheque/Draft in Hand	0	0
13000.01D Bank Balance	**184,793,371**	**167,463,685**
13000.01DA With Schedule Banks	184,793,371	167,463,685
13000.01DAA On Current Account (PNB)	30,636,284	14,471,577
13000.01DAB On Deposit Account (Includes Margin Money)	2,256,413	1,604,280
13000.01DAC On Saving Account (Canara Bank)	0	0
13000.01DAD On Saving Account (SBI)	151,900,674	151,387,828
13000.01DB With Non- Schedule Banks	0	0
13000.01DBA On Current Account	0	0
13000.01DBB On Deposit Account	0	0
13000.01DBC On Saving Account	0	0
13000.01E Post Office Saving Account	**0**	**0**
(B) 13000.02 Loan,Advances and Other Assets	**15,164,669**	**5,972,377**
13000.02A Loans	**22,624**	**77,875**
13000.02AA Loan to staff	22,624	77,875
13000.02AA1 TA Advance	22,624	77,875
13000.02AB Other Entities Engaged in Activities/Objective Similar to That Entity	0	0
13000.02AC Other	0	0
13000.02B Adv & Other Recoverable in Cash/ Kind or for Value to be Received	**5,277,701**	**5,867,280**
13000.02BA On Capital Account	0	0
13000.02BB Prepayments (Prepaid Expenses)	1,178,108	1,209,584
13000.02BC Security Deposit Made by WDRA	0	0
13000.02BD EMD made by WDRA	0	0

WDRA

Warehousing Development & Regulatory Authority

Name	Current Year	2023-24
13000.02BE Advance to Others (Suppliers)	4,099,593	4,657,696
13000.02BF Sundry recoverable	0	0
13000.02BFA Sundry Recoverable - FCI	0	0
13000.02BFB Sundry Recoverable - FCI PVT. GDNS	0	0
13000.02BFC Sundry Recoverable-Others	0	0
13000.02C Income Accrued	**9,864,344**	**27,222**
13000.02CA On Investment from Earmarked/Endowment Fund	0	0
13000.02CB Accrued on Investment - Others	0	0
13000.02CC Accrued on Loan and Advances	0	0
13000.02CD Others (Includes Income due unrealized)	0	0
13000.02CE Accrued Interest	9,864,344	27,222
13000.02D Claim Receivable	**0**	**0**
TOTAL (A+B)	**199,958,040**	**173,466,062**

VETTED

MANOJ MOHAN & ASSOCIATES
FRN 009195C
NOIDA
Chartered Accountants

मनीष कुमार जैन/MANISH KUMAR JAIN
अवर सचिव/Under Secretary
भांडागारण विकास और विनियामक प्राधिकरण
Warehousing Development and Regulatory Authority
(भारत सरकार/Government of India)
हौज खास, नई दिल्ली-16/Hauz Khas, New Delhi-16

WDRA

Warehousing Development & Regulatory Authority

SCHEDULE-12 INCOME FROM SALES/SERVICES FOR THE PERIOD ENDED ON 31/03/2025

Amount (in Rs.)

Name	Current Year	2023-24
30000.01 Income from Sales	**0**	**0**
30000.01A Sales of Finished Goods	0	0
30000.01B Sale of Raw Material	0	0
30000.01C Sale of Scraps	0	0
30000.02 Income from Services	**0**	**0**
30000.02A Labour and Processing Charges	0	0
30000.02B Professional/Consultancy Charges	0	0
30000.02C Agency Commission and Brokerage	0	0
30000.02D Maintenance Services (Equipment/Property)	0	0
30000.02E Others	0	0
TOTAL	**0**	**0**

VETTED

MANOJ MOHAN & ASSOCIATES
FRN 009195C
NOIDA
Chartered Accountants

मनीष कुमार जैन/MANISH KUMAR JAIN
अवर सचिव/Under Secretary
भांडागारण विकास और विनियामक प्राधिकरण
Warehousing Development and Regulatory Authority
(भारत सरकार/Government of India)
हौज खास, नई दिल्ली-16/Hauz Khas, New Delhi-16

WDRA

Warehousing Development & Regulatory Authority

SCHEDULE-13 GRANT/SUBSIDIES FOR THE PERIOD ENDED ON 31/03/2025

Amount (in Rs.)

Name	Current Year	2023-24
31000.01 Central Government (Min. of CAF & PD)	246,900,000	201,000,000
31000.01A Grant In Aid for Salary Head	96,900,000	78,000,000
31000.01B Grant In Aid for General Head	150,000,000	123,000,000
31000.02 State Government	0	0
31000.03 Government Agencies	0	0
31000.04 Institutions/Welfare Bodies	0	0
31000.05 International Organisation	0	0
TOTAL	**246,900,000**	**201,000,000**

मनीष कुमार जैन/MANISH KUMAR JAIN
अवर सचिव/Under Secretary
भांडागारण विकास और विनियामक प्राधिकरण
Warehousing Development and Regulatory Authority
(भारत सरकार/Government of India)
हौज खास, नई दिल्ली-16/Hauz Khas, New Delhi-16

VETTED

MANOJ MOHAN & ASSOCIATES
Chartered Accountants
FRN 009195C
NOIDA

WDRA

Warehousing Development & Regulatory Authority

SCHEDULE-14 FEES/SUBSCRIPTIONS FOR THE PERIOD ENDED ON 31/03/2025

Amount (in Rs.)

Name	Current Year	2023-24
32000.01 Entrance Fee	0	0
32000.02 Fees/Subscriptions	0	0
32000.03 Seminar/program Fees	0	0
32000.04 Consultancy Fees	0	0
32000.05 Inspection Agency Empanelment Fees	0	0
32000.06 Other Fees	0	0
TOTAL	0	0

मनीष कुमार जैन/MANISH KUMAR JAIN
अवर सचिव/Under Secretary
भांडागारण विकास और विनियामक प्राधिकरण
Warehousing Development and Regulatory Authority
(भारत सरकार/Government of India)
हौज खास, नई दिल्ली-16/Hauz Khas, New Delhi-16

VETTED

MANOJ MOHAN & ASSOCIATES
Chartered Accountants
FRN 009195C
NOIDA

WDRA

Warehousing Development & Regulatory Authority

SCHEDULE-15 INCOME FROM INVESTMENT FOR THE PERIOD ENDED ON 31/03/2025

Amount (in Rs.)

Name	Current Year	2023-24
33000.01 INTEREST FROM INVESTMENT (Earmarked/Endowment Fund)	**0**	**0**
33000.01A On Government Securities	0	0
33000.01B Other Bonds/Debentures	0	0
33000.02 Dividends	**0**	**0**
33000.02A On Shares	0	0
33000.02B On Mutual Fund and Securities	0	0
33000.03 Rents	**0**	**0**
33000.04 Others (FD etc.)	**0**	**0**
TOTAL (Transferred to Earmarked/Endowment Fund)	**0**	**0**
33001.01 INTEREST FROM OTHER INVESTMENT	**0**	**0**
33001.01A Interest on Government Securities	0	0
33001.01B Interest on other Bonds/Debentures	0	0
33001.02 Dividends from Investment	**0**	**0**
33001.02A Dividend on Shares	0	0
33001.02B Dividend on Mutual Fund and Securities	0	0
33001.03 Rent Received	**0**	**0**
33001.04 Others (FD etc.)	**0**	**0**
TOTAL	**0**	**0**
GRAND TOTAL	**0**	**0**

VETTED

MANOJ MOHAN & ASSOCIATES
Chartered Accountants
FRN 009195C
NOIDA

मनीष कुमार जैन/MANISH KUMAR JAIN
अवर सचिव/Under Secretary
भांडागारण विकास और विनियामक प्राधिकरण
Warehousing Development and Regulatory Authority
(भारत सरकार/Government of India)
हौज खास, नई दिल्ली-16/Hauz Khas, New Delhi-16

WDRA

Warehousing Development & Regulatory Authority

SCHEDULE-16 INCOME FROM ROYALTY, PUBLICATION ETC. FOR THE PERIOD ENDED ON 31/03/2025

Amount (in Rs.)

Name	Current Year	2023-24
34000.01 Income from Royalty	0	0
34000.02 Income from Publications	0	0
34000.03 Others	0	0
TOTAL	0	0

VETTED

MANOJ MOHAN & ASSOCIATES ★ Chartered Accountants ★ FRN 009195C NOIDA

मनीष कुमार जैन/MANISH KUMAR JAIN
अवर सचिव/Under Secretary
भांडागारण विकास और विनियामक प्राधिकरण
Warehousing Development and Regulatory Authority
(भारत सरकार/Government of India)
हौज खास, नई दिल्ली-16/Hauz Khas, New Delhi-16

WDRA

Warehousing Development & Regulatory Authority

SCHEDULE-17 INTEREST EARNED FOR THE PERIOD ENDED ON 31/03/2025

Amount (in Rs.)

Name	Current Year	2023-24
35000.01 Interest on Term Deposits	**0**	**0**
35000.01A From Schedule Bank	0	0
35000.01B From Non- Schedule Bank	0	0
35000.01C From Institutions	0	0
35000.01D From Others	0	0
35000.02 Interest on Saving Accounts	**132,427**	**75,863**
35000.02A From Schedule Bank	132,427	75,863
35000.02A1 Interest from PNB (Current)	132,427	75,863
35000.02A3 Interest from SBI (Savings)	0	0
35000.02A2 Interest from Canara Bank (Savings)	0	0
35000.02B From Non-Schedule Bank	0	0
35000.02C Interest from Post Office Saving Accounts	0	0
35000.02D Interest Others	0	0
35000.03 Interest from Loans	**0**	**0**
35000.03A Int. on loan from Employee/Staff	0	0
35000.03B Int. on loan (Others)	0	0
35000.04 Interest on Others	**0**	**0**
TOTAL	132,427	75,863

VETTED

MANOJ MOHAN & ASSOCIATES
FRN 009195C
NOIDA
Chartered Accountants

मनीष कुमार जैन/MANISH KUMAR JAIN
अवर सचिव/Under Secretary
भांडागारण विकास और विनियामक प्राधिकरण
Warehousing Development and Regulatory Authority
(भारत सरकार/Government of India)
हौज खास, नई दिल्ली-16/Hauz Khas, New Delhi-16

WDRA

Warehousing Development & Regulatory Authority

SCHEDULE-18 OTHER INCOME FOR THE PERIOD ENDED ON 31/03/2025

Amount (in Rs.)

Name	Current Year	2023-24
36000.01 Profit on Sale/Disposal of Assets	**68,903**	**12,725**
36000.01A Profit on Sale/Disposal of Owned Assets	68,903	12,725
36000.01B Profit on Sale/Disposal of assets acquired out of Grants or received free of cost	0	0
36000.02 Income from Export Incentives Realized	**0**	**0**
36000.03 Fee for Miscellaneous Services	**0**	**0**
36000.04 Prior Period Income	**0**	**0**
36000.05 Excess Provision/Liabilities Written Back	**398,866**	**808,386**
36000.06 Miscellaneous Income	**18,000**	**24,838**
36000.07 Receipts against Penalty	**0**	**0**
36000.07A Penalty - Repository	0	0
36000.07B Penalty - Warehousemen	0	0
36000.07C Penalty - Others	0	0
TOTAL	485,769	845,949

मनीष कुमार जैन/MANISH KUMAR JAIN
अवर सचिव/Under Secretary
भांडागारण विकास और विनियामक प्राधिकरण
Warehousing Development and Regulatory Authority
(भारत सरकार/Government of India)
हौज खास, नई दिल्ली-16/Hauz Khas, New Delhi-16

VETTED

MANOJ MOHAN & ASSOCIATES
FRN 009195C
NOIDA
Chartered Accountants

WDRA

Warehousing Development & Regulatory Authority

SCHEDULE-19 INCREASE/(DECREASE) IN STOCK OF FINISHED GOODS & WORK IN PROGRESS FOR THE PERIOD ENDED ON 31/03/2025

Amount (in Rs.)

Name	Current Year	2023-24
(a) Closing Stock	0	0
37000.01 Finished Goods	0	0
37000.02 Work in Progress	0	0
(b) Less Opening Stock	0	0
37000.01 Finished Goods	0	0
37000.02 Work in Progress	0	0
NET INCREASE/(DECREASE) (a-b)	0	0

मनीष कुमार जैन/MANISH KUMAR JAIN
अवर सचिव/Under Secretary
भांडागारण विकास और विनियामक प्राधिकरण
Warehousing Development and Regulatory Authority
(भारत सरकार/Government of India)
हौज खास, नई दिल्ली-16/Hauz Khas, New Delhi-16

VETTED

MANOJ MOHAN & ASSOCIATES
FRN 009195C
NOIDA
Chartered Accountants

WDRA

Warehousing Development & Regulatory Authority

SCHEDULE-20 ESTABLISHMENT EXPENSES FOR THE PERIOD ENDED ON 31/03/2025

Amount (in Rs.)

Name	Current Year	2023-24
40000.01 Salary and Wages	70,569,783	60,995,272
40000.01A Basic Pay	46,069,781	40,524,176
40000.01B Dearness Allowance (DA)	14,252,205	11,571,000
40000.01C Transport Allowance	2,511,380	2,395,928
40000.01D HRA	7,320,208	6,293,618
40000.01E Deputation Expenses	416,209	210,550
40000.02 Allowances and Bonus	737,738	661,306
40000.03 Employer Contribution to Provide Fund	2,412,104	2,757,111
40000.04 Contribution to Other Fund	236,871	0
40000.05 Medical Facility	2,879,744	1,903,351
40000.06 Expenses on Employment Retirement and Terminal Benefits	262,652	568,350
40000.06A Retirement Benefit-Gratuity (WDRA)	262,652	297,540
40000.06B Retirement Benefit-Leave Encasement (WDRA)	0	270,810
40000.07 Other Employee Expenses	5,818,510	4,847,556
40000.07A Leave Encashment	1,548,999	345,649
40000.07B Leave Salary Contribution	4,195,330	4,242,677
40000.07C Leave Travel Concession	74,181	259,230
40000.08 Other Expenses	0	0
40000.09 Employer Contribution to NPS/Pension	4,753,324	4,379,240
40000.10 Gratuity Contribution (On Deputation)	707,470	959,508
TOTAL	**88,378,196**	**77,071,694**

VETTED

MANOJ MOHAN & ASSOCIATES
Chartered Accountants
FRN 009195C
NOIDA

मनीष कुमार जैन/MANISH KUMAR JAIN
अवर सचिव/Under Secretary
भांडागारण विकास और विनियामक प्राधिकरण
Warehousing Development and Regulatory Authority
(भारत सरकार/Government of India)
हौज खास, नई दिल्ली-16/Hauz Khas, New Delhi-16

WDRA

Warehousing Development & Regulatory Authority

SCHEDULE-21 OTHER ADMINISTRATIVE EXPENSES ETC. FOR THE PERIOD ENDED ON 31/03/2025

Amount (in Rs.)

Name	Current Year	2023-24
41000.01 Purchase	0	0
41000.02 Labour and Processing Expenses	0	0
41000.03 Cartage and Carriage Inward	0	0
41000.04 Electricity and Water Charges	1,825,601	1,779,681
41000.05 Insurance	10,282	8,902
41000.06 Repairs and Maintenance	1,648,424	1,166,292
41000.07 Office Expenses	929,820	710,190
41000.08 Rent, Rates, Taxes	18,750	25,000
41000.09 Vehicles, Running and Maintenance	173,864	115,891
41000.10 Postage, Telephone and Communication Charges	1,043,043	910,194
41000.11 Printing and Stationery	402,611	192,432
41000.12 Travelling and Conveyance Expenses	3,303,426	4,040,765
41000.12A TA/DA Expenses	2,258,927	2,653,699
41000.12B Local Conveyance Expenses	42,121	89,182
41000.12D Taxi Hiring Charges	1,002,378	1,297,884
41000.13 Expenses on Training and Awareness Programme / Seminar	28,182,069	29,362,698
41000.13A Training of Warehousemen	6,978,128	5,110,898
41000.13B Awareness Programme of Farmers	15,902,317	18,535,875
41000.13C Seminar Conference and Workshop	2,914,024	3,119,925
41000.13D Assayer Training Program(ATP)	2,387,600	2,596,000
41000.14 Subscription Expenses	0	0
41000.15 Sponsorship Fees	0	0
41000.16 Auditors Remuneration	189,800	61,360
41000.17 Expenses on System Inspection of Warehouse	45,600,993	38,135,084
41000.18 Professional Charges	7,074,770	6,370,938
41000.19 Provision for Bad and Doubtful Debts/Advances	0	0
41000.20 Irrevocable Balance Written-Off	0	0
41000.21 Studies	998,988	12,128,195
41000.21B Transformation plan for WDRA	998,988	12,128,195
41000.22 Foundation Day Celebration Expenses	30,740	30,029
41000.23 Outsource Manpower (DEO) Expenses	6,649,943	6,400,434
41000.24 Advertisement and Publicity	13,481,391	8,014,686
41000.25 Legal Expenses	598,145	1,104,500
41000.26 Bank Charges	41,436	109
41000.27 Other Expenses	1,630,927	1,415,160

VETTED

MANOJ MOHAN & ASSOCIATES Chartered Accountants
FRN 009195C
NOIDA

मनीष कुमार जैन/MANISH KUMAR JAIN
अवर सचिव/Under Secretary
भांडागारण विकास और विनियामक प्राधिकरण
Warehousing Development and Regulatory Authority
(भारत सरकार/Government of India)

WDRA

Warehousing Development & Regulatory Authority

Name	Current Year	2023-24
41000.27A Misc Exp	1,630,839	1,415,160
41000.27B Loss on disposal/sale of owned Assets	88	0
41000.28 Newspaper & Periodicals	160,085	169,097
41000.29 Paise Rounded off	-5	1
41000.30 Prior Period Expenses	-50,146	1,545,036
41000.31 Software O & M expenses	1,554,905	9,376,632
41000.32 CLOUD SERVICE EXPENSES	5,870,503	5,600,988
TOTAL	**121,370,365**	**128,664,294**

मनीष कुमार जैन/MANISH KUMAR JAIN
अवर सचिव/Under Secretary
भांडागारण विकास और विनियामक प्राधिकरण
Warehousing Development and Regulatory Authority
(भारत सरकार/Government of India)
हौज खास, नई दिल्ली-16/Hauz Khas, New Delhi-16

VETTED

MANOJ MOHAN & ASSOCIATES
FRN 009195C
NOIDA
Chartered Accountants

WDRA

Warehousing Development & Regulatory Authority

SCHEDULE-22 EXPENDITURE ON GRANTS SUBSIDIES ETC. FOR THE PERIOD ENDED ON 31/03/2025

Amount (in Rs.)

Name	Current Year	2023-24
(a) 42000.01 Grant given to Institution/Organisations	0	0
(b) 42000.02 Subsidies given to Institution/Organisation	0	0
TOTAL	0	0

मनीष कुमार जैन/MANISH KUMAR JAIN
अवर सचिव/Under Secretary
भांडागारण विकास और विनियामक प्राधिकरण
Warehousing Development and Regulatory Authority
(भारत सरकार/Government of India)
हौज खास, नई दिल्ली-16/Hauz Khas, New Delhi-16

VETTED

MANOJ MOHAN & ASSOCIATES
FRN 009195C
NOIDA
Chartered Accountants

WDRA

Warehousing Development & Regulatory Authority

SCHEDULE-23 INTEREST PAID FOR THE PERIOD ENDED ON 31/03/2025

Amount (in Rs.)

Name	Current Year	2023-24
(a) 43000.01 Interest Paid on Fixed Loans	0	0
(b) 43000.02 Interest Paid On other Loans	0	0
(c) 43000.03 Interest Paid - Others	0	0
TOTAL	0	0

VETTED

MANOJ MOHAN & ASSOCIATES
FRN 009195C
NOIDA
Chartered Accountants

मनीष कुमार जैन/MANISH KUMAR JAIN
अवर सचिव/Under Secretary
भांडागारण विकास और विनियामक प्राधिकरण
Warehousing Development and Regulatory Authority
(भारत सरकार/Government of India)
हौज खास, नई दिल्ली-16/Hauz Khas, New Delhi-16

SCHEDULE 24 - SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES

1. ACCOUNTING CONVENTION

i. The financial statements have been prepared in the prescribed form of Accounts as per the Warehousing (Development and Regulatory) Authority Annual Statement of Accounts and Records Rules, 2010).

ii. Accounts have been prepared on accrual basis for the current year i.e. 2024-25.

2. INVENTORY VALUATION

Stores and spares (including machinery spares) are valued at cost.

3. FIXED ASSETS

Fixed assets are stated at cost of acquisition inclusive of inward freight, duties and taxes and incidental and direct expenses related to acquisition.

4. DEPRECIATION

i. Depreciation is provided on straight line method as per rates specified in the Income Tax Act, 1961 except depreciation on cost adjustments arising on account of conversion of foreign currency liabilities for acquisition of fixed assets, which is amortized over the residual life of the respective assets.

ii. Assets costing Rs. 5,000 or less each are fully provided.

5. GOVERNMENT GRANTS/SUBSIDIES

Government grants/subsidies are accounted on realization basis

VETTED

MANOJ MOHAN & ASSOCIATES
FRN 009195C
NOIDA
Chartered Accountants

मनीष कुमार जैन/MANISH KUMAR JAIN
अवर सचिव/Under Secretary
भांडागारण विकास और विनियामक प्राधिकरण
Warehousing Development and Regulatory Authority
(भारत सरकार/Government of India)
हौज खास, नई दिल्ली-16/Hauz Khas, New Delhi-16

SCHEDULE 25 – FY 2024-25

SCHEDULE FORMING PART OF THE ACCOUNTS FOR THE PERIOD ENDED ON 31ST MARCH 2025.

1. As per Section 49 of Warehousing (Development and Regulation) Act, 2007, the Warehousing Development and Regulatory Authority (WDRA) is not liable to pay wealth-tax, income tax or any other tax in respect of their wealth, income, profits or gains derived

2. Section 37 of the Warehousing (Regulatory and Development) Act, 2007 provides that there shall be constituted a fund to be called the Warehousing Development and Regulatory Authority Fund and all Central Government grants, fees, charges received by the Authority, all sums received by the Authority from such other sources as may be decided by the Central Government, and all sums realized by way of penalties under this Act shall be credited thereto. However as per accounting procedure advised by Office of Controller General of Accounts (CGA) and concurred by the Office of the Comptroller and Auditor General of India (CAG), all receipts of Authority will be credited to Consolidated Fund of India (CFI) under the minor head "105-Warehousing Development and Regulation receipts" below the Major Head "0408-Food Storage and Warehousing". The above accounting procedure is not in tune with the provisions of the Act. The amount received by the Authority against all receipts including Fee and Security Deposit from the warehouses and inspection agencies and interest earned thereon from SBI etc. are being deposited in SBI account and has been recorded under the Head 'Current Liabilities'. No expenditure is being done from this amount deposited in SBI.

3. The amount received on account of warehouse registration fee, security deposit, accreditation/inspection agency registration money/security deposit, interest thereon from Canara Bank/SBI, renewal fee etc. have been shown under the headings "Interest received", "Fees & Subscription" and "Other Income" in the Receipts and Payments Account.

4. The Authority had written to the Department of Food and Public Distribution (DF&PD) to enquire from the Ministry of Finance and the Ministry of Corporate Affairs about the deposit of receipts similar to that of the SEBI, IRDA, PFRDA and CCI in the funds created at the Authority level. It was also requested that rather than insisting WDRA to deposit all the receipts in the Government Accounts (Consolidated Fund of India), the DF&PD may take up with CGA/CAG for creation of WDRA Fund and deposit of all receipts in it as per the provision of the Act. The DF&PD had not concurred to it comparing WDRA with constitutional bodies such as Office of CAG, Supreme Court, and UPSC etc. WDRA again requested the DF&PD to reconsider the matter and take up with the Department of Economic Affairs since the constitutional bodies with which the WDRA has been compared enjoy the specific provisions under Article 112 and 315 of the Constitution of India having their expenditure charged to the Consolidated

Fund of India. As such, their autonomy is different and protected under these articles of the Constitution of India.

5. The DF&PD had taken up the issue with the Department of Economic Affairs (DoEA), GOI. The DoEA vide its letter dated 16.07.2018 informed the accounting procedure to adopt by WDRA in this regard which suggest that all other receipts in the form of fees, income, charges etc. would be deposited in the WDRA Fund in Public Account of India after meeting operational requirements on monthly basis. The grants from Government would also be deposited in this Fund. For meeting its requirements, WDRA shall withdraw from this Fund in Public Account after making requisition to CA/CCA of DF&PD.

6. WDRA agreed to the proposed accounting procedure of DEA to constitute WDRA Fund in Public Account of India and proposed to deposit all its receipts in WDRA Fund Public Account of India till WDRA becomes self-sufficient. WDRA will utilise grants received from the Government for the expenditure on its activities and thereafter withdraw from WDRA Fund for any additional requirement by making request to CCA/CA of DFPD. On acquiring self-sufficiency, WDRA will meet its expenses from the receipts and deposit (except refundable security deposit/EMD) the balance to WDRA Fund in Public Account every month. Further, WDRA has not agreed for deposit of Government Grants to Public Accounts but to deposit in separate bank account maintained by WDRA for deposit of Govt. Grants and for receipts. It is also agreed by WDRA to deposit all sum realised by way of penalties and fines to Consolidated Fund of India (CFI). However, operationalisation of this requires the amendment to W(D&R) Act, 2007. In this regard, the proposal for amendment to W(D&R) Act, 2007 is already submitted to the DFPD. Till then the penalties and fines shall be deposited in separate bank account maintained by WDRA and transfer to CFI after notification of said amendment to W(D&R) Act.

7. In brief, WDRA had agreed to the following: -

7.1 WDRA would deposit its receipts every month in Public Account under WDRA Fund and meet its operational requirements from Grants-in-Aid. The amount so deposited in the Public Account may be made available to WDRA expeditiously to meet its expenses as and when requested.

7.2 It was suggested by WDRA that in compliance to provisions of Section 37(l)(a) of the W(D&R) Act,2007, the Grants-in-Aid shall be deposited in the WDRA Fund in the Public Account and immediately transferred to WDRA's bank account for meeting expenses.

7.3 The sums realized as penalties & fines will be credited to CFI as suggested by MoF. However, this requires amendment to W(D&R) Act,2007. The detailed proposal for Act Amendment has already been sent to DFPD. After amendment in Act, amount so collected if any, will be remitted to CFI.

8. WDRA had again taken up the issue with the DFPD vide letter dated 25.3.2021, 28.02.2023 and 30.06.2023. The reply of the DF&PD is awaited.

9. Further, vide letter dt 12.02.2025, WDRA proposed the followings which are in line with accounting procedure followed by NFRA:

   9.1 Fine and Penalty, if any, realised by WDRA in it's Bank Account shall not form part of WDRA Fund and shall be transferred to CFI after finalisation of Annual Accounts and Audit by C&AG. Such transfer shall commence only after amendment of WDRA's Act which is already in process.

   9.2 Grant received shall be credited into WDRA Fund (WDRA's Bank Account). Grant in Aid and Interest Earned on Grant in Aid shall be utilised to meet the expenditures of WDRA. Unspent Grant (together with interest earned on Grant in Aid) shall remain part of WDRA Fund and will not be refunded to GoI.

   9.3 Receipts of WDRA (other than penalty and fine) would be credited into WDRA's Bank Account. This amount shall be utilised for operational requirement of WDRA and surplus, if any, shall form part of WDRA Fund at the end of financial year. This is in line with WDRA's earlier proposal.

10. Vide letter dt 30.04.2025, DFPD sought some clarification on the matter and advised us to submit a detailed proposal. In view of above, previous practice has been followed during FY 2024-25.

11. The cost of stationary and printing being consumables have been charged to revenue expenditure.

12. Capital Expenditure on purchase of the fixed assets made in connection with the discharge of the functions of the Authority has been shown as utilization of fund in Utilization Certificate and it is accounted for as fixed assets in the Books of Account and depreciation thereon is charged to Income & Expenditure Account.

13. Amount received as Grants-in-Aid from Ministry of Consumer Affairs, Food & Public Distribution, Department of Food & Public Distribution, Government of India, is accounted under the head Grant/Subsidies. Surplus/Deficit of Income over revenue expenditure is transferred to Corpus/Capital Fund.

14. The Accounts are maintained on accrual basis of Accounting whereas Receipts & Payments account is prepared on Cash Basis. The difference in Establishment & Administrative Expense of Income & Expenditure Account and Receipts & Payment Account is due to payment yet to be made.

15. **Establishment Expenses** (Amount in Rs.)

Particular	For the Year 2024-25	For the Year 2023-24
Establishment Expenses (As Per Schedule 20)	8,83,78,196	7,70,71,694
Less:- Closing Establishment Liabilities	1,27,95,978	60,20,451
Less:-Opening Establishment Assets	NIL	NIL
Net Payment	7,55,82,218	7,04,82,893

16. **Administrative Expenses** (Amount in Rs.)

Particular	For the Year 2024-25	For the Year 2023-24
Administrative Expenses (As Per Schedule 21)	12,13,70,365	12,86,64,294
Less:- Closing Administrative Liabilit ies	50,20,801	1,83,77,516
Less:-Opening Administrative Assets	13,17,459	3,72,248
Net Payment	11,50,32,105	10,99,14,530

17. The WDRA has entered into Memorandum of Understanding (MOU) on 30th March, 2016 with National Cooperative Union of India (NCUI) for taking office premises on lease of 56 years (from the date of occupation) on the 4th Floor of NCUI building at 3, Siri Institutional Area, August Kranti Marg, New Delhi-110016. WDRA has paid a sum of Rs.17.42 Crore.

18. As per MOU dated 30th March, 2016, it has been agreed between the parties that if the period of tenancy is reduced/ shortened (from the agreed period of 56 years) on account of inability or refusal to obtain permission of Income Tax Authorities, Delhi Development Authority or failure/ refusal of Registration of the Lease Deed by NCUI or for any other reason whatsoever, then in the said eventuality, the NCUI shall pay to the WDRA by way of refund of total amount paid, the sum equivalent to the

unexpired lease period in the worksheet, as per the sheet attached with the MOU. Necessary lease deed between NCUI and WDRA has been registered on 1st February,2019.

19. Provisions for Gratuity and Leave Encashment in respect of regular employees have been made on the basis of actuarial valuation report. Assumptions considered in the valuation are as under:-

Membership Data	
Number of Members	5
Total monthly salary	Rs. 2.44 Lakh
Average Past Service (Years)	7.13
Average age (Years)	53.85
Valuation Method	Projected Unit Credit Method
Actuarial Assumption	
Mortality & Morbidity Rate	100% of IALM (2012-14)
Discount Rate	7.07 % p.a.
Salary Escalation	8%
Benefit Value (Gratuity ceiling)	Rs. 20,00,000

20. The fully depreciated assets have been kept with written down value (WDV) of Rs. 1/- to recognise in the books of accounts.

21. Income earned by WDRA during the financial year has been shown as liability and transferred to Sundry Payable Account under schedule-7 in view of CAG observation being payable to Government of India. (Refer sl. No.2 above)

22. Interest earned of Rs 38,79,185/- on grant account are shown is sundry payable account for onwards transfer to Government account as per GFR 230(8).

23. Security Deposit received from the warehousemen in the form of FDRs/Bank Guarantees/I-Bonds as on 31.3.2025 is Rs.209.31 Crores.

24. Opening balances/ Corresponding Figures for previous year have been regrouped/ rearranged/re- casted wherever necessary.

VETTED

MANOJ MOHAN & ASSOCIATES
FRN 009195C
NOIDA
Chartered Accountants

मनीष कुमार जैन/MANISH KUMAR JAIN
अवर सचिव/Under Secretary
भांडागारण विकास और विनियामक प्राधिकरण
Warehousing Development and Regulatory Authority
(भारत सरकार/Government of India)
हौज खास, नई दिल्ली-16/Hauz Khas, New Delhi-16

भांडागारण विकास एवं विनियामक प्राधिकरण
WAREHOUSING DEVELOPMENT AND REGULATORY AUTHORITY

WDRA
Warehousing Development & Regulatory Authority

फॉर्म C (FORM-C) रूल 3 देखें (See Rule-3)

31.03.2025 को समाप्त वर्ष के लिए प्राप्तियां और भुगतान (RECEIPTS AND PAYMENTS FOR THE YEAR ENDED ON 31.03.2025)

RECEIPTS	Current Year	Previous Year	PAYMENTS	Current Year	Previous Year
I. OPENING BALANCES			I. EXPENSES		
a) Cash in hand		-	a) Establishment Expenses *	75,582,218	70,482,893
b)Bank Balance			(Corresponding to Schedule 20)		
i) In Current Account (PNB)	14,471,577	9,731,620	b) Administrative Expenses**	115,032,105	109,914,530
ii)In Deposit Account	1,604,280	1,145,663	(Corresponding to Schedule 21)		
iii) Saving Account (Canara Bank)			II. Payments made against funds for various projects		
iv) In Saving Account(SBI)	151,387,828	134,930,285			
II. GRANT RECEIVED			III. Investments and deposits made		
a) From Govt. of India			a) Out of Earmarked/Endowment Funds		
i) In Salary Fund	96,900,000	78,000,000	b) Out of Own Funds (Investments-Others)		
ii)In General Fund	150,000,000	123,000,000	IV. Expenditure on Fixed Assets and Capital Work-in-Progress		
b)From State Govts.			a) Purchase of Fixed Assets	12,882,598	302,260
c) From Other Sources (details)			b) Expenditure on Capital Work-in-Progress		-
(Grants for capital and revenue exp.			V. Refunds of Surplus Money/Loans		
to be shown separate amt.)			a) To the Govt. Of India		-
III. INCOME FROM SALES & SERVICE			b) To the State Govt.		-
a) Income from Sales			c) To other Providers of Funds		-
b) Income from Service			VI. Interest Paid		
IV. INCOME FROM INVESTMENT			VII. Other Payments		
a) Earmarked/Endowment Funds			- Advance to Others (Suppliers) (Net): 13000.02BE		909,258
b) Own Funds (Other Investment)			- Prepayments 13000.02BB	1,178,108	1,209,584
V. INCOME FROM ROYALTY ETC.			-TA Advance 13000.02AA1	22,624	77,875
a) Royalty			-LTC Advance		-
b)Publication			-Other Advance		-
c)Others			-Temporary Advance	-	-
VI. INTEREST RECEIVED					30,000
a) On Term Deposit	1,523,339	9,241,116	-Refund of EMD		-
b) On Bank Deposits (Savings)			-Refund of Security Deposit	4,000,000	55,000
i) PNB	4,011,612	3,898,861			
ii) Canara Bank			-Refund of Warehouse/Inspection Agency Reg/	25,000	175,000
iii) SBI	25,014	3,905	Renewal Fees(Sundry Payable)		
c) On Loans and Advances			-Payment to Other Opening Current Liability	29,973,222	16,798,725
d) On Others			-Payment for Inspection of FCI Warehouses		
VII. FEE & SUBSCRIPTIONS					
i)Enterance Fee			VIII. Closing Balances		
ii)Annusl Fee/Subscription	2,000,000	2,000,000	a) Cash in Hand		
iii)Warehouse/Inspection Agency Reg/Renewal Fees	890,002	1,323,332	b) i) Bank Balance in current Accounts (PNB)	30,636,284	14,471,577
iv)Seminar Prog. Fee			ii) Bank Bal in Deposits Accounts(Fixed Deposit)	2,256,413	1,604,280
v)Consultancy Fee			iii) Bank Bal in Saving Accounts (SBI)	151,900,674	151,387,828
vi)Inspection Agency Empannelment					
vii)Other Fee					
VIII. OTHER INCOME					
i) Misc Receipts	88,698	44,028			
ii) EMD					
iii) Security Deposit	28,793	4,100,000			
iv) Stale cheque					
v) Sale of Fixed asstes					
v) Advance to Others (Suppliers) (Net)	558,103				
TA Advance					
LTC Advance					
Other Advance					
Temporary Advance					
Total	423,489,246	367,418,810	Total	423,489,246	367,418,810

अनिरुद्ध कुमार/ANIRUDH KUMAR
संयुक्त सचिव/Joint Secretary
भांडागारण विकास और विनियामक प्राधिकरण
Warehousing Development and Regulatory Authority
(भारत सरकार/Government of India)
हौज खास, नई दिल्ली-16/Hauz Khas, New Delhi-16

शांति लाल जैन/Shanti Lal Jain
सदस्य/Member
भांडागारण विकास एवं विनियामक प्राधिकरण
Warehousing Development and Regulatory Authority
(भारत सरकार/Government of India)
... New Delhi-110016

VETTED
MANOJ MOHAN & ASSOCIATES
CHARTERED ACCOUNTANTS
FRN 009[illegible]C
NOIDA

मनीष कुमार जैन/MANISH KUMAR JAIN
अवर सचिव/Under Secretary
भांडागारण विकास और विनियामक प्राधिकरण
Warehousing Development and Regulatory Authority
(भारत सरकार/Government of India)
हौज खास, नई दिल्ली-16/Hauz Khas, New Delhi-16

अनीता प्रवीण/ANITA PRAVEEN
भा.प्र.से. (सेवानिवृत्त)/IAS (RETD.)
अध्यक्ष/Chairperson
भांडागारण विकास और विनियामक प्राधिकरण
Warehousing Development and Regulatory Authority
(भारत सरकार/Government of India)
हौज खास, नई दिल्ली-16/Hauz Khas, New Delhi-16

कार्यालय प्रधान निदेशक लेखापरीक्षा,
केन्द्रीय व्यय
(कृषि, खाद्य एवं जल संसाधन),
आठवां एवं नवॉं तल सी.ए.जी. संकाय भवन,
10, बहादुर शाह ज़फर, मार्ग,
नई दिल्ली–110002

SUPREME AUDIT INSTITUTION OF INDIA
लोकहितार्थ सत्यनिष्ठा
Dedicated to Truth in Public Interest

OFFICE OF THE PRINCIPAL DIRECTOR OF AUDIT,
CENTRAL EXPENDITURE
(AGRICULTURE, FOOD & WATER RESOURCES),
8TH & 9TH, FLOOR, CAG ANNEXE BUILDING,
10 BAHADUR SHAH ZAFAR MARG,
NEW DELHI-110002

Dated: 05-08-25

457-PDA(AFWR)/AMG-II/WDRA/A/Cs/2025-26/2402

सेवा में,

अध्यक्ष,
भांडागारण विकास और विनियामक प्राधिकरण,
4 तल, सीरी इंस्टीट्यूशनल एरिया, हौज़ ख़ास, नई दिल्ली-16

विषय: भांडागारण विकास और विनियामक प्राधिकरण (WDRA), नई दिल्ली के लेखों पर 31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष के लिए पृथक लेखापरीक्षा रिपोर्ट का मसौदा ।

महोदय,

भांडागारण विकास और विनियामक प्राधिकरण (WDRA), नई दिल्ली के लेखों पर 31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष के लिए पृथक लेखापरीक्षा रिपोर्ट (DSAR) का मसौदा संलग्न है।

आपसे अनुरोध किया जाता है कि DSAR के मसौदे में उल्लिखित तथ्यों और आंकड़ों की पुष्टि कर ली जाए और टिप्पणियां, यदि कोई हों, तो इस पत्र के जारी होने के 07 दिनों के भीतर इस कार्यालय को भेजी जाए। यदि निर्धारित समय के भीतर कोई उत्तर प्राप्त नहीं होता है, तो यह माना जाएगा कि आपके पास देने के लिए कोई टिप्पणी नहीं है और पृथक लेखापरीक्षा रिपोर्ट के मसौदे में शामिल सभी तथ्यों और आंकड़ों को पुष्टि के रूप में माना जाएगा। यह भी अनुरोध किया जाता है कि उत्तर amg2.afwr.au@cag.gov.in ई-मेल पर भी भेजे जा सकते है ।

भवदीया,

संलग्न : यथोपरि।

(साहिल सांगवान)
उप- निदेशक (AMG-II)

Phone- 011-23239419] 23239420 Fax : 91-23239416, Email : dgaafwr@cag.gov.in

31 मार्च 2025 को समाप्त वर्ष के लिए भांडागारण विकास और विनियामक प्राधिकरण, नई दिल्ली के लेखों पर भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का मसौदा मत।

हमने भांडागारण विकास और विनियामक प्राधिकरण (डब्ल्यू.डी.आर.ए.), नई दिल्ली के वित्तीय विवरणों का लेखा परीक्षा की है, जिसमें 31 मार्च, 2025 तक की वित्तीय स्थिति का विवरण और इस तारीख को समाप्त वर्ष के लिए आय और व्यय लेखा/प्राप्तियां और भुगतान लेखा सहित भांडागारण (विकास और विनियमन) अधिनियम, 2007 (2007 का 37) की धारा 38 (2) के साथ पठित वित्तीय विवरणों के लिए टिप्पणियाँ तथा नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के (कर्तव्य, शक्तियां और सेवा की शर्तें) अधिनियम, 1971 की धारा 19 (2) के तहत महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियों का सारांश शामिल है।

इस लेखापरीक्षा रिपोर्ट में भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (सीएजी) की टिप्पणियाँ की केवल वर्गीकरण, सर्वोत्तम लेखांकन प्रक्रियाओं के अनुरूप, लेखांकन मानकों, प्रकटीकरण मानदंडों आदि के संबंध में लेखांकन उपचार शामिल हैं। कानून, नियमों और विनियमों (औचित्य और नियमितता) और कुशलता सह प्रदर्शन पहलुओं आदि के अनुपालन के संबंध में वित्तीय लेनदेन पर लेखापरीक्षा टिप्पणियां, यदि कोई हों, तो निरीक्षण रिपोर्ट/सीएजी की लेखापरीक्षा रिपोर्टों के माध्यम से अलग से रिपोर्ट की जाती हैं।

हमारी राय में, भांडागारण विकास और विनियामक प्राधिकरण (डब्ल्यू.डी.आर.ए.), नई दिल्ली के वित्तीय विवरण, लेखांकन नीतियों और उन पर टिप्पणियाँ और पृथक लेखापरीक्षा रिपोर्ट में उल्लिखित मामलों के साथ पठित, 31 मार्च, 2025 तक स्वायत्त निकाय की वित्तीय स्थिति और उसके वित्तीय प्रदर्शन और उसके नकदी प्रवाह का सही और निष्पक्ष विवरण भारत में आम तौर पर स्वीकृत लेखों और लेखांकन मानकों के एक समान प्रारूप के अनुसार समाप्त वर्ष के लिए मेल खाता है।

मत के लिए आधार

हमने अपनी लेखा–परीक्षा नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के लेखा–परीक्षा विनियमों/मानकों/मैनुअल/दिशानिर्देशों/मार्गदर्शन–टिप्पणियों/आदेशों/परिपत्रों आदि के अनुसार की है। हमारा दायित्वों का विवरण हमारी रिपोर्ट के "वित्तीय विवरणों की लेखा–परीक्षा हेतु लेखा परीक्षक की जिम्मेदारियाँ" के भाग में दिया गया है। वित्तीय विवरणों की हमारी लेखा–परीक्षा से संबंधित नैतिक आवश्यकताओं के अनुसार हम स्वायत्त निकाय से स्वतंत्र हैं। हमने इन आवश्यकताओं के अनुसार अपनी अन्य नैतिक जिम्मेदारियाँ भी पूरी की हैं। हमारा मानना है कि हमें प्राप्त लेखा–परीक्षा साक्ष्य हमारी राय के लिए पर्याप्त और उपयुक्त हैं।

वित्तीय विवरणों के लिए प्रबंधन की जिम्मेदारियां

भांडागारण विकास और विनियामक प्राधिकरण (डब्ल्यू.डी.आर.ए.), नई दिल्ली, भारत में सामान्यतः स्वीकृत लेखे और लेखा मानकों के एकरूप प्रारूप के अनुसार वित्तीय विवरणों की तैयारी और निष्पक्ष प्रस्तुति तथा आंतरिक नियंत्रण के लिए भी जिम्मेदार है क्योंकि प्रबंधन यह सुनिश्चित करता है कि वित्तीय विवरण धोखाधड़ी या त्रुटि के कारण होने वाले भौतिक गलत बयानों से मुक्त हों।

वित्तीय विवरणों की लेखा–परीक्षा के लिए लेखा परीक्षक का दायित्व

हमारा उद्देश्य इस बारे में उचित आश्वासन प्राप्त करना है कि क्या समग्र वित्तीय विवरण, धोखाधड़ी या त्रुटि के कारण, किसी भी प्रकार की भौतिक गलतबयानी से मुक्त है, तथा लेखापरीक्षक रिपोर्ट जारी करने में सक्षम है तथा जिसमें नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के लेखापरीक्षा विनियमा/ मानकों/मैनुअलों/दिशानिर्देशा/ मार्गदर्शन–टिप्पणियों/आदेशो/ परिपत्रों आदि के अनुसार हमारी राय शामिल हो।

उप निदेशक (एएमजी–II)

वर्ष 2024–25 के लिए भांडागारण विकास एवं विनियामक प्राधिकरण (डब्ल्यू.डी.आर.ए.), नई दिल्ली के लेखों पर पृथक मसौदा लेखापरीक्षा रिपोर्ट

क. तुलन पत्र

वर्तमान देयताएं और प्रावधान (अनुसूची–7)ः 18.34 करोड़ रुपये

31 मार्च 2025 को समाप्त वर्ष के लिए 3.06 करोड़ रुपये का अप्रयुक्त अनुदान मंत्रालय को वापस किया जाना चाहिए था। हालाँकि, प्राधिकरण ने न तो 3.06 करोड़ रुपये का अप्रयुक्त अनुदान वापस किया और न ही इसे अनुसूची–7 में चालू देयताओं के अंतर्गत मंत्रालय को वापसी योग्य दिखाया है। इसके परिणामस्वरूप चालू देयताओं को कम और पूंजीगत निधि को 3.06 करोड़ रुपये अधिक दर्शाया गया है।

2020–21 से इसी तरह की टिप्पणी को उल्लिखित करने के बावजूद, प्रबंधन द्वारा कोई सुधारात्मक कार्रवाई नहीं की गई है।

ख. आय एवं व्यय लेखा

व्यय– स्थापना व्यय (अनुसूची–20)– 8.83 करोड़ रुपए

डब्ल्यू.डी.आर.ए. ने वर्ष 2024–25 के दौरान 4.15 लाख रुपये के कम प्रावधान के कारण अवकाश वेतन अंशदान के लिए 46.10 लाख रुपये के बजाय 41.95 रुपये का व्यय लेखाबद्ध किया है। इसके परिणामस्वरूप स्थापना व्ययः अवकाश वेतन अंशदान (अनुसूची–20) के साथ–साथ वर्तमान देयताएँ एवं प्रावधानय अन्य वर्तमान देयताएँ (अनुसूची–7) को कम दर्शाया गया और पूंजीगत निधि को 4.15 लाख रुपये अधिक दर्शाया गया।

ग. प्राप्तियाँ और भुगतान लेखा

प्राप्त ब्याजः बैंक जमा पर (बचत–पीएनबी)– 0.40 करोड़ रुपए

उपरोक्त में सेवानिवृत्ति लाभ के लिए जमा की गई सावधि जमा (एफडी) पर अर्जित 44,160/– रुपए का ब्याज शामिल है। इसके परिणामस्वरूप अर्जित ब्याज राशि को शामिल करने प्राप्त ब्याज के साथ–साथ जमा खातों (सावधि जमा) में बैंक बैलेंस को भी बढ़ा–चढ़ाकर दिखाया गया है। दूसरी ओर, चालू परिसंपत्तियों, ऋणों और अग्रिमों आदि (अनुसूची–I1) में भी 'जमा खातों पर बैंक बैलेंस' को बढ़ा–चढ़ाकर दिखाया गया है और 'अर्जित आय' – अर्जित ब्याज को उसी सीमा तक कम करके दिखाया गया है।

घ. सामान्य

घ.1 डब्ल्यू.डी.आर.ए. की लेखा–परीक्षा नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा पर वार्षिक लेखाओं के प्रमाणीकरण हेतु किया जाता है। डब्ल्यू.डी.आर.ए. नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (सीएजी) को लेखा–परीक्षण शुल्क का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी है। तथापि, वित्तीय वर्ष 2024–25 के वार्षिक लेखों में लेखा–परीक्षा शुल्क का कोई प्रावधान नहीं किया गया था।

2023–24 के दौरान भी इसी तरह की टिप्पणी की गई थी। तथापि, प्रबंधन द्वारा कोई सुधारात्मक कार्रवाई नहीं की गई है।

घ.2 मार्च, 2021 से पहले की 1.14 करोड़ रुपये की प्रतिभूति जमा राशि अनुसूची–7 में चालू देयताओं एवं प्रावधानों शीर्ष के अंतर्गत दिखाई गई है जो श्अन्य चालू देयताएंश विवरणधरिकार्ड के अभाव में अप्रमाणित रही।

घ.3 डब्ल्यू.डी.आर.ए. के पास संचयी शुल्क, अंशदान और बैंक ब्याज1 सहित 15.39 करोड़ रुपये (अनुसूची–7) की राशि है, जिसे भारत की संचित निधि (सीएफआई) में जमा किया जाना था। यह राशि सीएफआई को हस्तांतरित नहीं की गई है और इसे अपने ही एक अलग खाते में रखा गया है। पिछले कई वर्षों से डबल्यू.डी.आर.ए. के एसएआर में यह टिप्पणी बार–बार उठाई जाती रही है। तथापि, अभी तक कोई सुधारात्मक कार्रवाई नहीं की गई है।

खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग द्वारा डब्ल्यू.डी.आर.ए. की प्राप्तियों को शुल्क, आय तथा प्रभारों को आदि के रूप में सीएफआई में जमा करने के मुद्दे को आर्थिक मामलों का विभाग, भारत सरकार के समक्ष उठाया गया। आर्थिक मामलों का विभाग ने सुझाव दिया है कि डब्ल्यूडीआरए की उपरोक्त प्राप्तियों को प्रत्येक माह भारत के लोक लेखा में समर्पित डब्ल्यू.डी.आर.ए. कोष तथा जुर्माना और राशि सीएफआई में जमा किया जाएगा।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि डब्ल्यू.डी.आर.ए. ने निधि का रखरखाव नहीं किया है और न ही निधि की राशि हस्तांतरित की है। निधि का गठन न करना, वित्त मंत्रालय के आर्थिक मामलों के विभाग द्वारा जारी दिशानिर्देशों और सलाह का उल्लंघन है। फरवरी 2025 में, डब्ल्यू.डी.आर.ए. ने आगे स्पष्टीकरण के लिए मंत्रालय से फिर संपर्क किया है।

ड. प्रबंधन पत्र

जिन कमियों को लेखापरीक्षा रिपोर्ट में शामिल नहीं किया गया है, उन्हें सुधारात्मक कार्रवाई के लिए अलग से जारी प्रबंधन पत्र के माध्यम से प्रबंधन के ध्यान में लाया गया है।

च. आंतरिक नियंत्रणों का आकलन

(i) आंतरिक नियंत्रण प्रणाली की पर्याप्तता

प्राधिकरण की आंतरिक नियंत्रण प्रणाली अपर्याप्त है, क्योंकि डब्ल्यू.डी.आर.ए. के पास कोई आंतरिक लेखा परीक्षा विभाग या मैनुअल नहीं है, और वेतन एवं लेखा कार्यालय द्वारा प्राधिकरण की आंतरिक लेखा परीक्षा 2022–23 से लंबित है।

(ii) आंतरिक लेखा परीक्षा प्रणाली की पर्याप्तता

प्राधिकरण का आंतरिक की लेखा परीक्षा उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के प्रधान लेखा कार्यालय द्वारा 2021–22 तक किया गया तथा 10 पैरा लंबित हैं।

1वर्ष 2024–25 के लिए जीआईए पर प्राप्त ब्याज सहित – 38,79,185/– रुपये

(iii) स्थायी परिसम्पतियों के भौतिक सत्यापन संपत्ति की प्रणाली

डब्ल्यू.डी.आर.ए. ने स्थायी परिसम्पति रजिस्टर प्रारूप 22 में तैयार नहीं किया है जैसा कि जीएफआर 211 के तहत निर्धारित है। हालाँकि, भंडार का भौतिक सत्यापन और स्थायी परिसम्पति, अर्थात फर्नीचर और फिक्सचर और कंप्यूटर और सहायक सामान का भौतिक सत्यापन 31 मार्च 2025 तक किया गया

(iv) वस्तु सूची के सत्यापन की प्रणाली

वस्तु सूची जैसे पुस्तके, प्रकाशन तथा स्टेश्नरी उपभोज्य मदों का सत्यापन 31 मार्च 2025 तक किया गया है।

तथा डब्ल्यू.डी.आर.ए. ने उपभोज्य वस्तुओं के स्टॉक रजिस्टर तैयार नही किया हैं।

(v) वैधानिक बकाया में नियमितता और इसका भुगतान

लेखों के अनुसार, 31 मार्च 2025 तक वैधानिक बकाया के संबंध में छह महीने से अधिक का कोई भुगतान बकाया नहीं था।

(छ) अनुदान सहायता

डब्ल्यू.डी.आर.ए. को वर्ष 2024–25 के दौरान उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय से 24.69 करोड़ रुपये का अनुदान प्राप्त हुआ। पिछले वर्ष से इसका आरंभिक शेष 1.45 करोड़ रुपये था। डबल्यू.डी.आर.ए. को अनुदान पर 0.38 करोड़ रुपये का ब्याज भी प्राप्त हुआ। कुल अनुदान 26.52 करोड़ रुपये में से, इसने 23.46 करोड़ रुपये (राजस्व 22.18 करोड़ रुपये और पूंजी 1.29 करोड़ रुपये) का उपयोग किया, जिससे 3.06 करोड़ रुपये का शेष रह गया।

उप निदेशक (एएमजी–II)

क्रम सं.	लेखापरीक्षा टिप्पणी	डबल्यू.डी.आर.ए. का उत्तर
(क)	**तुलन पत्र: वर्तमान देयताएं और प्रावधान (अनुसूची-7): 18.34 करोड़ रुपये** 31 मार्च 2025 को समाप्त वर्ष के लिए 3.06 करोड़ रुपये का अप्रयुक्त अनुदान मंत्रालय को वापस किया जाना चाहिए था। हालाँकि, प्राधिकरण ने न तो 3.06 करोड़ रुपये का अप्रयुक्त अनुदान वापस किया और न ही इसे अनुसूची-7 में चालू देयताओं के अंतर्गत मंत्रालय को वापसी योग्य दिखाया है। इसके परिणामस्वरूप चालू देयताओं को कम और पूंजीगत निधि को 3.06 करोड़ रुपये अधिक दर्शाया गया है।	क. शेष 3.06 करोड़ रुपये की राशि में सरकारी खाते में देय 0.39 करोड़ रुपये का ब्याज भी शामिल है। डबल्यू.डी.आर.ए. ने देय खाते पर प्राप्त ब्याज के रूप में 0.39 करोड़ रुपये देय खाते में लेखाबद्ध कर लिए हैं। यह राशि जल्द ही खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग के खाते में स्थानांतरित कर दी जाएगी। प्राधिकरण के खाते प्रोद्भूत आधार पर हैं। शेष व्यय न की गयी राशि की सूचना मंत्रालय को इस कार्यालय के पत्र संख्या जी-28/1/2019-एंडएफ़ 2037 दिनांक 21.8.2024 के माध्यम से दे दी गई है। 2.67 करोड़ रुपये की व्यय न की गयी राशि (3.06 करोड़ रुपये में से 0.39 करोड़ रुपये की ब्याज राशि घटाकर) वित्त वर्ष 2025-26 के दौरान खर्च कर दी गई है। इसलिए, इसे प्राधिकरण की चालू देयता नहीं माना गया। यह राशि वेतन, पिछले वर्ष में पहले से ही पूरे किए गए कार्यों/गतिविधियों के लिए आवश्यक थी। इसे बनाए रखना आवश्यक था। इसलिए, चालू देयताओं को कम करके और पूंजीगत निधि को अधिक करके नहीं दिखाया गया।
(ख)	**ख. आय एवं व्यय लेखा- व्यय- स्थापना व्यय (अनुसूची-20)- 8.83 करोड़ रुपए** डब्ल्यू.डी.आर.ए. ने वर्ष 2024-25 के दौरान 4.15 लाख रुपये के कम प्रावधान के कारण अवकाश वेतन अंशदान के लिए 46.10 लाख रुपये के बजाय 41.95 रुपये का व्यय लेखाबद्ध किया है। इसके परिणामस्वरूप स्थापना व्यय: अवकाश वेतन अंशदान (अनुसूची-20) के साथ-साथ वर्तमान देयताएँ एवं प्रावधान; अन्य वर्तमान देयताएँ (अनुसूची-7) को कम	वित्त वर्ष 2023-24 के दौरान अवकाश वेतन अंशदान के लिए किए गए वास्तविक भुगतान के आधार पर 38.72 लाख रुपये का प्रावधान किया गया है। गणना के अंतिम रूप देने पर, वास्तविक अवकाश वेतन अंशदान 43.05 लाख रुपये निकला।

	दर्शाया गया और पूंजीगत निधि को 4.15 लाख रुपये अधिक दर्शाया गया।	लेखा मानक 8 के प्रावधानों के अनुसार वित्त वर्ष 2025-26 में 4.33 लाख रुपये की अंतरीय राशि का लेखाबद्ध किया गया है।
(ग)	**प्राप्तियाँ और भुगतान लेखा - प्राप्त ब्याज: बैंक जमा पर (बचत-पीएनबी)- 0.40 करोड़ रुपए** उपरोक्त में सेवानिवृत्ति लाभ के लिए जमा की गई सावधि जमा (एफडी) पर अर्जित 44,160/- रुपए का ब्याज शामिल है। इसके परिणामस्वरूप अर्जित ब्याज राशि को शामिल करने प्राप्त ब्याज के साथ-साथ जमा खातों (सावधि जमा) में बैंक बैलेंस को भी बढ़ा-चढ़ाकर दिखाया गया है। दूसरी ओर, चालू परिसंपत्तियों, ऋणों और अग्रिमों आदि (अनुसूची-11) में भी 'जमा खातों पर बैंक बैलेंस' को बढ़ा-चढ़ाकर दिखाया गया है और 'अर्जित आय' - अर्जित ब्याज को उसी सीमा तक कम करके दिखाया गया है।	पंजाब नेशनल बैंक में डब्ल्यू.डी.आर.ए. के स्थायी कर्मचारियों के सेवानिवृत्ति लाभों (ग्रेच्युटी और अवकाश वेतन अंशदान) के प्रति डब्ल्यू.डी.आर.ए. की देनदारियों को पूरा करने के लिए कुछ सावधि जमा रसीद बनाई गई हैं। इन सावधि जमा रसीद पर 31.03.2025 तक 44,160.00 रुपए का ब्याज अर्जित किया गया है। पी.एन.बी. द्वारा जारी बैंक बैलेंस सर्टिफिकेट में सावधि जमा रसीद के संबंध में 31.03.2025 तक अर्जित ब्याज शामिल है। इसके आधार पर, ब्याज को "अर्जित ब्याज" के रूप में लेखाबद्ध किया गया है, न कि "उपार्जित ब्याज" के रूप में। इसलिए, सावधि जमा खाते में अर्जित ब्याज या बैंक बैलेंस में कोई अधिक करके नहीं दिखाया गया है। इसके अलावा, अर्जित ब्याज खाते में सही राशि दर्शाती है और अर्जित ब्याज को कम करके नहीं दिखाते।
(घ)	**सामान्य –** 1. डब्ल्यू.डी.आर.ए. की लेखा-परीक्षा नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा %0पर वार्षिक लेखाओं के प्रमाणीकरण हेतु किया जाता है। डब्ल्यू.डी.आर.ए. नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (सीएजी) को लेखा-परीक्षण शुल्क का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी है। तथापि, वित्तीय वर्ष 2024-25 के वार्षिक लेखों में लेखा-परीक्षा शुल्क का कोई प्रावधान नहीं किया गया था। 24-2023के दौरान भी इसी तरह की टिप्पणी की गई थी। तथापि, प्रबंधन द्वारा कोई सुधारात्मक कार्रवाई नहीं	1. वर्ष 2024-25 के लिए भांडागारण विकास और विनियामक प्राधिकरण (डब्ल्यू.डी.आर.ए.) के लेखा प्रमाणन/लेखा लेखापरीक्षा हेतु लेखापरीक्षा दल को दिनांक 05.06.2025 की ईमेल द्वारा 06.06.2025 से 16.06.2025 तक लेखापरीक्षा करने हेतु नामित किया गया है। चूँकि नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को देय शुल्क की कोई पूर्व सूचना नहीं है, इसलिए लेखापरीक्षा शुल्क के लिए कोई प्रावधान नहीं किया गया। हमने लेखापरीक्षा टिप्पणी को नोट कर लिया है और आगे से लेखापरीक्षा शुल्क की अनुमानित राशि के लिए प्रावधान किया जाएगा।

	की गई है। 2. मार्च, 2021 से पहले की 11.4 करोड़ रुपये की प्रतिभूति जमा राशि अनुसूची-7 में चालू देयताओं एवं प्रावधानों शीर्ष के अंतर्गत दिखाई गई है जो 'अन्य चालू देयताएं' विवरण/रिकार्ड के अभाव में अप्रमाणित रही।	2. हम मार्च 2021 से पहले की 1.14 करोड़ रुपये की प्रतिभूति जमा राशि के संबंध में नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा की गई लेखापरीक्षा टिप्पणी को स्वीकार करते हैं। डब्ल्यू.डी.आर.ए. निम्नलिखित प्रयास करेगा: i) इस राशि के पूर्ण मिलान के लिए पुराने रिकॉर्ड का पता लगाना ii) वर्तमान स्थिति की जाँच करना और iii) समस्या के समाधान के लिए आवश्यक कार्रवाई करना।
	3. डब्ल्यू.डी.आर.ए. के पास संचयी शुल्क, अंशदान और बैंक ब्याज[1] सहित 15.39 करोड़ रुपये (अनुसूची-7) की राशि है, जिसे भारत की संचित निधि (सीएफआई) में जमा किया जाना था। यह राशि सीएफआई को हस्तांतरित नहीं की गई है और इसे अपने ही एक अलग खाते में रखा गया है। पिछले कई वर्षों से डब्ल्यू.डी.आर.ए. के एसएआर में यह टिप्पणी बार-बार उठाई जाती रही है। तथापि, अभी तक कोई सुधारात्मक कार्रवाई नहीं की गई है।	3. उल्लेखनीय है कि पंजीकरण शुल्क, नवीनीकरण शुल्क आदि, केनरा बैंक/भारतीय स्टेट बैंक से प्राप्त ब्याज और प्रतिभूति जमा राशि (अनुदानों को छोड़कर) सभी प्राप्तियाँ केनरा बैंक/ भारतीय स्टेट बैंक में जमा की जाती हैं। प्रतिभूति जमा राशि सरकार को देय नहीं है क्योंकि यह भांडागारपालों/अन्य को वापस की जानी है। 31.03.2025 तक सरकार को वापस की जाने वाली राशि केवल 15.39 करोड़ रुपए है, जिसमें 4.86 करोड़ रुपए का उपार्जित ब्याज भी शामिल है। इसे अनुसूची-7 "वर्तमान देयताएँ और प्रावधान" शीर्ष "26000.01बीबीबी-4 विविध देय" के अंतर्गत दर्शाया गया है।
	खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग द्वारा डब्ल्यू.डी.आर.ए. की प्राप्तियों को शुल्क, आय तथा प्रभारों को आदि के रूप में सीएफआई में जमा करने के मुद्दे को आर्थिक मामलों का विभाग, भारत सरकार के समक्ष उठाया गया। आर्थिक मामलों का विभाग ने सुझाव दिया है कि डब्ल्यूडीआरए की उपरोक्त प्राप्तियों को प्रत्येक माह भारत के लोक लेखा में समर्पित डब्ल्यू.डी.आर.ए. कोष तथा जुर्माना और राशि सीएफआई में जमा किया जाएगा। लेखापरीक्षा में पाया गया कि डब्ल्यू.डी.आर.ए. ने निधि का रखरखाव नहीं किया है और न ही निधि की राशि	खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग ने भारत सरकार के आर्थिक मामलों के विभाग के समक्ष डब्ल्यू.डी.आर.ए. की शुल्क, आय, प्रभार आदि के रूप में प्राप्तियों को जमा करने का मुद्दा उठाया है। आर्थिक मामलों के विभाग ने सुझाव दिया है कि डब्ल्यू.डी.आर.ए. की उपरोक्त प्राप्तियों को हर महीने भारत के लोक लेखा में समर्पित डब्ल्यू.डी.आर.ए. कोष में जमा किया जाए और जुर्माना एवं दंड भारत की समेकित निधि में जमा किया जाए। डबल्यू.डी.आर.ए. के दिनांक 12.02.2025 के पत्र और उसके बाद दिनांक 30.05.2025 के पत्र के माध्यम से डबल्यू.डी.आर.ए. ने निम्नलिखित सुझाव दिए:

	हस्तांतरित की है। निधि का गठन न करना, वित्त मंत्रालय के आर्थिक मामलों के विभाग द्वारा जारी दिशानिर्देशों और सलाह का उल्लंघन है। फरवरी 2025 में, डब्ल्यू.डी.आर.ए. ने आगे स्पष्टीकरण के लिए मंत्रालय से फिर संपर्क किया है।	(i) प्राप्त अनुदान डब्ल्यू.डी.आर.ए. कोष (डब्ल्यू.डी.आर.ए. के बैंक खाते) में जमा किया जाएगा। सहायता अनुदान और सहायता अनुदान पर अर्जित ब्याज का उपयोग डब्ल्यू.डी.आर.ए. के व्ययों को पूरा करने के लिए किया जाएगा। अप्रयुक्त अनुदान (सहायता अनुदान पर अर्जित ब्याज सहित) डब्ल्यू.डी.आर.ए. कोष का हिस्सा रहेगा और भारत सरकार को वापस नहीं किया जाएगा। (ii) डब्ल्यू.डी.आर.ए. द्वारा अपने बैंक खाते में वसूला गया जुर्माना और दंड, यदि कोई हो, डब्ल्यू.डी.आर.ए. कोष का हिस्सा नहीं होगा और नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा वार्षिक खातों और लेखा परीक्षा को अंतिम रूप देने के बाद भारत की समेकित निधि में हस्तांतरित कर दिया जाएगा। ऐसा हस्तांतरण डब्ल्यूडीआरए अधिनियम में संशोधन के बाद ही शुरू होगा, जो पहले से ही प्रक्रियाधीन है। (iii) डब्ल्यू.डी.आर.ए. की प्राप्तियां (जुर्माने और दंड के अलावा) डब्ल्यू.डी.आर.ए. के बैंक खाते में जमा की जाएंगी। इस राशि का उपयोग डब्ल्यू.डी.आर.ए. की परिचालन आवश्यकताओं के लिए किया जाएगा और यदि कोई अधिशेष राशि बची है, तो वह वित्तीय वर्ष के अंत में डब्ल्यू.डी.आर.ए. निधि का हिस्सा बन जाएगी। इसकी विस्तृत व्याख्या/प्रकटीकरण अनुसूची 25- लेखा नोट्स के पैरा (2) में किया गया है। इसके अलावा, इसकी व्याख्या की गई और संबंधित पत्राचार भी लेखापरीक्षा को दिखाया गया। हमारे पत्र पर खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग का प्रत्युत्तर की प्रतीक्षा है। भांडागारण विकास और विनियामक प्राधिकरण खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग की सलाह को क्रियान्वित करेगा।